पंचम माला, खंड 41, अंक 2, मंगलवार, 23 जुलाई, 1974/1 श्रावण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLI, No. 2, Tuesday, July 23, 1974/Sravana 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATE

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLI Contains Nos. 1 to 10]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणो आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 2, मंगलवार, 23 जुलाई, 1974 / 1 श्रावण, 1896 (शक)

No. 2, Tuesday, July 23, 1974/Sravana 1, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्रा० संख्या *S. Q.* **No.**		पृष्ठ/PAGES
22 नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	National Rayon Corporation Limited, Bombay	2—7
23 छोटे औषध एककों को रियायतें	Concessions to Small Drug Units	7—9
24 टैक्सी और आटो रिक्शा मालिकों की सहकारी समितियों को पैट्रोल पम्पों का नियतन	Allotment of Petrol to Co-operatives of Texi and Auto Rickshaw Owners	9—11
25 मद्रास तेलशोधक कारखाने से नेफ्था उठाया जाना	Lifting of Naphtha from Madras Refinery ..	11—13
26 रेल कर्मचारियों को दी गई रियायतों को लागू करना	Implementation of Concessions to Railway Employees ..	13—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** *S.Q.* No.	
ता० प्रा० संख्या *S. Q.* No.		
21 रेलवे हड़ताल का रेलवे अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of Railway Strike on Railway Economy ..	14
27 आसाम क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादत में वृद्धि	Stepping up production of Crude Oil from Assam Fields	15
28 केरल तट पर तेल की खोज	Oil Exploration on Kerala Coast	15—16
29 भारत में विदेशी कंपनियो को लाभप्रदता में वृद्धि	Increase in profitability of Foreign Companies in India	16—17
30 समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए अमरीकी फर्मों के साथ करार	Contract with American Firms for Offshore Oil Exploration	17—18

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रा० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
32	आसाम के गालेकी निक्षेपों से कच्चे तेल का उत्पादन	Production of Crude Oil from Galeki Deposits in Assam	18—19
33	हाल की रेलवे हड़ताल का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Impact of Recent Railway Strike on National economy	19
34	न्यायाधीश आर० एस० नरूला की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति	Appointment of Mr. Justice R.S. Narula as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court	19—20
35	केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Lines in Kerala ..	20
36	पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु जांच आयोग	Enquiry Commission to probe into the Allegations of Corruption against West Bengal Ministers	20—21
37	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के तबादले के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Law Commission's Report on Transfer of Chief Justic and Judges of High Courts ..	21
38	रेल हड़ताल के कारण कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान	Break in Service due to Railway Strike ..	21—22
39	पश्चिम बंगाल में भारत-जर्मन उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम	Indo German Fertilizer production Programme in West Bengal ..	22—23
40	सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच रेल सेवा को बंद करना	Suspension of Train Services between Siliguri and Jalpaiguri ..	23
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.			
191	प्रत्येक डिवीजन में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों के लिये न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले	Cases of Violence against railway employees pending in courts in each Division	24
192	हाल ही में हुई रेल हड़ताल से पहले तथा हड़ताल के दौरान डिवीजनबार वर्कशापवार बर्खास्त किये गये या सेवा मुक्त किये गये स्थायी कर्मचारी	Permanent Employees dismissed, removed or discharged from Service during and prior to recent Railway Strike, Division-wise Shop-wise	24

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
193	रेलवे सिब्बंदी संहिता के नियम 149 के अंतर्गत सेवा से निकाले गये अस्थायी कर्मचारियों की डिवीजनवार संख्या	Temporary Employees removed under rule 149 of Railway Establishment Code, Division wise ..	25
194	पेट्रोल की खपत में कमी	Decline in Petrol Consumption	25—26
195	ओ० पी० ई० सी० के महासचिव द्वारा तेल के मूल्यों के बारे में वक्तव्य	Statement by Secretary General OPEC on Oil Prices	26
196	गुजरात में फिलामेंट यार्न संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of Filament Yarn Plant in Gujarat ..	26
197	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड (ग्वालियर) के कार्यक्रम की जांच	Enquiry into the working of Messrs Jiyajeerao Cotton Mills Ltd. (Gwalior) by M.R.T.P. Commission	26—27
198	भारतीय रेल सब्बंदी संहिता में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा शर्तों के बारे में उपबंध	Provision in Indian Railway Establishment Code regarding Service Conditions of Casual Labour	27—28
199	नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी पदों पर लगाने के लिये संवर्ग का पुनर्विलोकन	Cadre Review for absorbing Casual Labour into Permanent Posts ..	28
200	हड़ताल से पहले रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की स्वीकार की गई मांगें	Demands of Employees conceded by Railway Authorities preceding the Strike	29
201	रेल कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने के लिये समिति के निदेश पद	Terms of Reference of Committee for Job evaluation for Railwaymen ..	30
202	बम्बई में मिट्टी के तेल की खपत	Consumption of Kerosene Oil in Bombay ..	30
203	तेल की खोज के लिए कुछ विदेशी फर्मों के साथ करार	Agreement with Certain Foreign Firms for Oil Exploration	31
204	गत रेल हड़ताल के दौरान मुअतिल किये गये, बरखास्त किये गये तथा नजर बंद रेल कर्मचारी	Railway Employees suspended, dismissed, detained during last strike ..	31—32
205	पेट्रोल व्यापारियों द्वारा सेवा शुल्क लिया जाना	Levying Service Charges by Petrol Dealers ..	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
207	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Crude Oil by Foreign Oil Companies	33—34
208	विभिन्न उर्वरक एककों में उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilisers at Different Fertiliser Units	34—35
209	ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Rural Areas ..	35—37
210	उर्वरक उत्पादन के काम आने वाले नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Naphtha used for Fertiliser production	37
211	दिल्ली बम्बई जनता एक्सप्रेस के भोजन यान के मैनेजर की हत्या	Murder of Manager of Dining Car of Delhi Bombay Janta Express	37
212	अशोधित तेल के आयात के लिये करार	Agreements for Import of Crude Oil ..	38
213	हाल ही की रेलवे हड़ताल से हानि	Loss incurred in recent Railway Strike ..	38—39
214	समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ सहयोग	Collaboration with Foreign Oil Companies for Off-shore Oil Exploration ..	39
215	फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार का प्रस्ताव	Proposal for expansion of FACT	39—40
216	भारतीय तेल निगम द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना	Opening of Kerosene Oil Retail Outlets by IOC in Southern Region ..	40
217	वर्ष 1970 से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक अपीलें	Convicts in Jails awaiting hearing of their appeals by Supreme Court since 1970	40—41
218	कलकत्ता में भूमिगत रेल परियोजनाओं का रूसी शिष्टमंडल द्वारा अध्ययन	Study by Soviet Delegation of Underground Railway Projects in Calcutta ..	41
219	कोयला उद्योग समुह के पैराक्सीलीन प्लांट के कम्प्रैसर का बंद हो जाना	Break down of the Compressor of Paraxylene Plant of Koyali Complex	42
220	रेलवे हड़ताल का मुकाबला करने के लिये खर्च की गई धनराशि	Amount spent to meet the Strike Situation ..	42
221	संयुक्त अरब इमीरात द्वारा भारत को अशोधित तेल तथा ऋण संबंधी सुविधायें देने की पेशकश	Crude Oil and Credit Facilities offered by UAE to India	43

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
222	पटना सिटी स्टेशन तथा पटना जंक्शन के नामों में परिवर्तन का प्रस्ताव	Proposals to change the names of Patna City Station and Patna Junction	43
223	पटना जंक्शन के विस्तार की योजना	Scheme to Expand Patna Junction	43—44
224	पटना में दीघा के सामने रेल एवं सड़क पुल का निर्माण	Construction of Rail-cum-Road Bridge in front of Digha near Patna ..	44
225	इंस्पैक्टर आफ वर्क्स (आई) धनवाद की कथित गिरफ्तारी के बारे में प्रतिवेदन	Report on Arrest of IOW (I), Dhanbad ..	45
226	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सरकारी आवासों के लिये फर्नीचर और सामग्री	Furniture and Material for Government Residences of Judges of Supreme Court ..	45
227	रेलवे हड़ताल के कारण उत्तर रेलवे में यात्रियों को वापिस किये गए टिकट के पैसे	Ticket Money Refunded to passengers due to strike in Railways in Northern Railway	45—46
228	उत्तर रेलवे में मई, 1974 के दौरान यात्री टिकटों और प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से राजस्व प्राप्ति	Sale proceeds of Passengers and Platform tickets during May, 1974 in Northern Railway	46
229	उत्तर रेलवे में हड़ताल में सम्मिलित होने वाले और हड़ताल के दौरान काम पर आने वाले कर्मचारी	Employees participated in strike and reported for duty in Northern Railway	46
230	खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा वफादार कर्मचारियों से हाथापायी किया जाना	Manhandling of Loyal workers in Kharagpur Railway Workshop by Striking Employees ..	46—47
231	हड़ताल के दौरान यात्री तथा माल यातायात संबंधी रेलवे को हानि	Loss suffered by Railways on Passenger and Goods Traffic during strike period	47—48
232	चार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बही खातों की जांच	Inspection of Account Books of Four Nationalised Banks	48
233	आयल इंडिया द्वारा आसाम में तेल कूपों से अधिकतम उत्पादन	Optimum Production from Oil Wells in Assam by Oil India	48—49
234	रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जन घंटों की हानि	Man Hours Lost as a Result of Recent Strike by Railway Employees	49

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
235	कोयले के नये मूल्यों के कारण रेलवे के खर्च में वृद्धि	Rise in Railway Bill due to New Coal prices ..	50
236	रेलवे कर्मचारी नेता श्री पाल द्विवेदी की कानपुर में पुलिस हिरासत में मृत्यु	Death of Railway Employees Leader, Shri Pal Divedi in Police Custody at Kanpur	50
237	हावड़ा तथा सियालदह रेलवे स्टेशनों (पूर्व रेलवे) में टिकटों की बिक्री से अर्जित आय	Amounts Earned by Sale of Tickets at Howrah and Sealdah Railway Stations (Eastern Railway).. ..	50—51
239	माल की ढुलाई में कमी	Fall in Freight Traffic ..	52
240	बिहार को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil to Bihar	52—53
241	ड्यूटी पर उपस्थित होने की अनुमति न दिये जाने वाले नैमित्तिक और स्थानापन्न श्रमिकों की डिवीजनवार और शापवार संख्या	Casual and Substitute Labour not permitted to Join Duty, Division-wise and Shop-wise	53
242	हड़ताल के दौरान काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को डिवीजनवार तथा वर्कशाप वार हड़ताल वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अन्य पुरस्कार	Railway Employees Given Strike-Increments, promotions and other Rewards Division-wise and Shop-wise	54
243	सभी रेलवे यूनियनों को एक यूनियन में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव	Proposal to Reorganise Railway Unions into Single Union ..	54
244	रूपसा रेलवे स्टेशन पर खड़े माल डिब्बे	Goods Wagons Stationed at Rupsa Railway Station..	55
245	मयूरभंज-तालबंद (दक्षिण पूर्व रेलवे) छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Mayurbhanj Talaband Narrow Gauge Line into Broad Gauge (South Eastern Railway)	55
46	वर्ष 1973–74 के दौरान उड़ीसा को माल डिब्बों का आवंटन	Allotment of Wagons to Orissa during 1973-74	55—56
247	दक्षिण पूर्व रेलवे में पैसेंजर हाल्ट के कमीशन एजेंटों को दिया गया कमीशन	Commission paid to the Commission Agents of Passenger Halt on South Eastern Railway ..	56
248	नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी फार रेलवे मेन्स स्ट्रगल से वार्ता	Talks with NCCRS ..	56—57

अतां० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
249	साबुन के मुल्यों में वृद्धि और इसकी कमी	Increase in prices and shortage of Soap ..	57
250	तिरुची जंकशन में रेलवे के डिब्बों को जोड़ने के कार्य में लगे एक कुली की मृत्यु	Death of a Porter doing Coupling work at Trichi Junction	57—58
251	पूर्व तथा उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की छंटनी, उनके दमन की कार्यवाही और उनको दिये गये आरोप पत्र	Railway Employees Retrenched, victamised and Charge Sheeted in Eastern and Northern Railways	58
252	त्रिचूर के निकट हुई रेलवे दुर्घटना	Train Accident near Trichur	58—59
253	मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान हुई दुर्घटनाएं	Accidents occurred during Railway strike in May, 1974	59
254	हड़ताल के कारण रेलवे में लिपिकों तथा अन्य पदों पर भर्ती	Recruitment to Clerical and other Jobs in Railways due to Strike ..	59—60
255	तेल की खोज के लिये छिद्रण रिगों का आयात	Import of Drilling Rigs for Oil Exploration ..	60
256	पालिएस्टर फाइबर का उत्पादन और वितरण	Production and Distribution of Polyester Fibre	60—61
257	भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्वी शाखा द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप	Allegations by Indian Oil Employees Union of Eastern Branch ..	61
258	गत तीन महीनों में समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई गाड़ियां	Trains cancelled in Samastipur Division during the Last three Months ..	62
259	प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन का प्रस्ताव	Proposal for one Union in Each Railway ..	62—63
260	हल्दिया तेल शोधक कारखाने में उत्पादन	Production at Haldia Refinery	63
261	उर्वरक के उत्पादन के लिये नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Naphtha for Fertilizer Production..	63—64
262	एटा स्थित डेरी की बिक्री के लिये हिन्दुस्तान लीवर का आवेदन-पत्र	Application of Hindustan Lever for Sale of Etah Dairy	64
263	तोड़-फोड़ तथा सम्पत्ति की हानि से रेलवे को क्षति, निष्ठावान कर्मचारियों के जीवन की हानि आदि	Loss to Railways due to Sabotage, Loss of Property and Loss of Life of Loyal Workers ..	65

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
264	बिजली की कटौती के कारण उर्वरक उत्पादन में हानि	Loss in Fertilizer production due to Power Cut	65
265	कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत	Talks with Employees Representatives on Grievances	65—66
266	केरल में पेट्रोल पम्प	Petrol pumps in Kerala ..	66
267	केरल उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	Cases pending in Kerala High Court	66—67
268	केरल में 1974–75 में निर्माण किये जाने वाले उपरिपुल	Over bridges to be constructed in Kerala during 1974-75	67
269	निष्ठावान कर्मचारियों को दिये गए नकद पुरस्कार पर खर्च की गई राशि	Amount Spent on Cash Awards to Loyal Employees	67
270	यातायात संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 15 वर्षीय योजना	15 Year plan to Meet Future Traffic Requirements	68
271	पूर्वोत्तर रेलवे में स्थायी कर्मचारियों की गिरफ्तारी, मुअत्तिली, बर्खास्तगी और सेवा-मुक्ति	Arrest, Suspension, Dismissal and Termination of Permanent Railway Employees in North Eastern Railway	68
272	मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन में मोटरमैनों की गिरफ्तारी, निलंबन और बर्खास्तिगी	Arrest, Suspension and Dismissal of Motormen of Bombay Division (Central Railway) ..	68
273	दिल्ली में रेल कर्मचारियों को उनकी कालोनियों से निकाला जाना	Railway Employees evicted from their Colonies in Delhi	69
274	रेल कर्मचारियों को दी गई नई रियायतों के कारण रेल बजट में अतिरिक्त घाटे को पूरा करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to meet additional Deficit in Railway Budget due to New Concessions in Railwaymen	69
275	साबुन की कमी	Shortage of Soap ..	69—70
276	शामगढ की जनता द्वारा प्लेटफार्म पर एक शैड का निर्माण करने की मांग	Demand made by People of Shamgarh for providing a Shed at the Platform	70—71
277	गरोठ स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) की विद्युतीकरण	Electrification of Garot Station (Western Railway)	71

अता० प्रा० संख्या

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
278	इन्दौर रेलवे स्टेशन के निकट सियागंज पुल का निर्माण कार्य	Construction work of Siaganj Bridge near Indore Railway Station.	71
279	रेल कर्मचारियों के नेता, श्री माल्गी की पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच	Investigation into death in Polce Custody of Shri Malgi, Leader of Railwaymen	71—72
280	कानपुर में दो उपरिपुलों का निर्माण	Construction of Two over-Bridges in Kanpur ..	72
281	हाल की हड़ताल के दौरान नियुक्ति अधिकारी से नीचे ओहदे वाले अधिकारियों द्वारा रेलवे कर्मचारियों की बर्खास्तगी	Dismissal of Railway Employeecs during recent Strike by Officers below Ranks than the Appointing Authority ..	73
282	आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के कुछ कर्मचारियों की बहाली के बारे में निर्णय	Award regarding reinstatement of certain Employees of IDPL Rishikesh	73
283	मई, 1974 में रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के दौरान माल गाड़ियां चलाया जाना	Movement of Goods Trains during Strike by Railwaymen in May, 1974 ..	73
284	उर्वरक कारखाने और उनका उत्पादन	Fertilizer Factories and their production ..	74
285	नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Nangal Talwara Railway Line ..	74
286	बिहार में नई रेलवे लाइन द्वारा गया को राजगीर से जोड़ने के लिये सर्वेक्षण	Survey for linking of Gaya with Rajgir in Bihar by New Railway Line ..	74—75
287	प्रत्येक रेलवे जोन के लिये क्षेत्रीय श्रम सलाहकार समितियों की स्थापना	Setting up of Zonal Labour Advisory Bodies for each Railway Zone ..	75
288	कर्मचारियों की रिहाई और मामलों की पुनरीक्षा	Release of workers and Review of Cases ..	75
289	मई, 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान गाड़ियों का चलना	Movement of Trains during Strike by Railwaymen in May, 1974 ..	75—76
290	रेल हड़ताल की अवधि के दौरान भर्ती किये गए अस्थायी कर्मचारियों का मजूरी बिल	Wage Bill of Temporary Hands recruited during Railway Strike Period	76
291	द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अति-विशिष्ट व्यक्तियों के लिये 'बर्थों' का निर्धारित कोटा	Fixed Quota of Berths for V.I.Ps. in Second and First Class Compartments	76—77

अता० प्रा० संख्या U. S. U. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
292	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों पर मुकदमें	Railway Employees being tried under MISA and DIR	77
293	हड़ताल का मुकाबला करने के लिये किये गये उपाय	Measures adopted to face strike	77—78
294	गोंडा स्थित ज़िला मुख्यालय	District Headquarters at Gonda	78
295	उत्तर-पूर्व और पूर्व रेलवे में सप्लाई किया जाने वाला घटिया किस्म का भोजन	Inferior Quality of Food Supplied in North Eastern and Eastern Railways	78—79
296	हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान मारे गये वफादार रेलवे कर्मचारी	Loyal Railway Workers killed during recent Railway Strike ..	79
297	समर गोपालपुर तथा रोहतक स्टेशनों के बीच चौकीदार रहित एक रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटना	Accident at an Unmanned Railway Crossing between Samar Gopalpur and Rohtak Railway Stations	79
298	विशेषज्ञ समिति द्वारा रेलवे के वित्तीय ढांचे की पुनः जांच	Expert Committee to re-Examine Financial Structure of Railways ..	80
299	गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री की जांच	Enquiry into Re-sale of Tickets at Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar (Northern Railway)	80
300	रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस जाना	Entry of RPF Personnel into Parcel Clerks Residences at Kalka Station	80
301	बिहार में तेल की खोज	Oil Exploration in Bihar	81
302	नवगठित द्वितीय श्रेणी में यात्रियों को सुविधायें	Amendments for Passengers of Newly Converted II Class	81
303	मिट्टी के तेल का रंग नीला करना	Blue Colouring of Kerosene Oil	81—82
304	'सागर सम्राट' द्वारा छिद्रण कार्य	Drilling Operations by 'Sagar Samarat' ..	82
305	दिल्ली स्टेशन क पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाना	Consignments booked underweight from Delhi to Howrah by Parcel Staff, Delhi Station ..	82

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
306	ड्रिलिंग रिगों की खरीद	Purchase of Drilling Rigs ..	82—83
307	तट-दूर तेल की खोज के लिये ठेके	Contracts for off-shore oil Exploration	83
308	अत्यधिक खपत वाली औषधियों के लागत ढांचे के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations of the Working Group on the Cost Structure of Bulk Drugs	83—84
309	वर्ष 1974 के दौरान माल-डिब्बों की प्राप्ति	Procurement of Wagons during 1974	84
310	मद्रास के निकट एक उर्वरक कारखाने में विस्फोट	Explosion in a Fertilizer Plant near Madras ..	85
311	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में नौकरी से हटाये गये रेल कर्मचारी	Railway Employees removed from Service in Katihar Division of North East Frontier Railway	85
312	कटिहार (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों तथा विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Employees and M.L.As. in Katihar (Northeast Frontier Railway) ..	85—86
313	बरौनी और कठिहार लाइन पर चलने वाली जनता और पार्सल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Janta and Parcel Trains running on Barauni and Katihar Line	86—87
314	पश्चिम बंगाल में गाय घाट के उप चुनाव में हुए कदाचारों की जांच का प्रतिवेदन	Report of Inquiry into Mal Practices Committed in by-election in Gaighata in West Bengal ..	87
315	गाड़ियों का सामान्य रूप से चलना	Normal running of Trains	88
316	हड़ताल की अवधि में भिन्नबलों का तैनात किया जाना तथा उन पर हुआ व्यय	Deployments of different Forces and expenditure incurred during Strike period	88
317	हमारा रेडियो एंड जनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	Hamara Radio and General Industries Ltd. ..	89
318	रेलवे समय-सारणियों का प्रकाशन	Publication of Railway Time Tables	89—90
319	हाल की हड़ताल से प्रभावित रेलवे कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिये प्रशासनिक तंत्र	Machinery dealing with Cases of Railwaymen affected by recent strike	90

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
320	मई, 1974 में हड़ताली रेल कर्मचारियों द्वारा जान बूझ कर किये गये हिंसात्मक और तोड़ फोड़ के कार्यों के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss due to deliberate acts of violence and sabotage by Striking Railwaymen in May, 1974 ..	90—91
321	वित्तीय कठिनाइयों से बचने के लिये औद्योगिक संबन्धों को सुधारने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to improve Industrial relations to avoid financial difficulties	91
322	उद्योगों को भट्टी-तेल की सप्लाई में कटौती	Cut in Supply of Furnace Oil to Industries ..	92
323	अहमदाबाद के निकट वटवा में एक पेट्रोरसायन कारखाने में आग	Fire in petro chemical factory at Vatva near Ahmedabad	92—93
324	रेलवे वैगन से बिजली के ट्रान्सफार्मरों का गायब हो जाना	Power transformers missing from Railway Wagon ..	93
325	औषध अकाल को रोकन के लिये भारतीय औषध निर्माताओं को प्रोत्साहन	Incentives to Indian Drug Manufacturers to avert Drug Famine ..	93—95
326	निर्माताओं पर औषधों की बिक्री सम्बन्धी शर्त लागू करना	Imposition of condition for Sale of Drugs on Manufacturers	95
327	रेलगाड़ियों से जंजीर खींचने के उपकरण को हटाया जाना	Withdrawal of Chain Pulling Device from Trains ..	95
328	तटदूर तेल की खोज करने वाली अमरीकन कम्पनियों में एक भारतीय एजेंट की नियुक्ति	Appointment of an Indian agent of American Companies entrusted with Off-shore oil Exploration	96
329	दिल्ली में एक हैंडपम्प लगाते समय तेल का पता लगना	Discovery of oil while installing a Hand Pump in Delhi	96
330	कल्याण और टीटवाला स्टेशनों के बीच वातावरण संदूषण के कारण ओवरहैड इंस्टालेशन्ज़ एंड फिटिंग्स में खराबी आना	Corrosion of overhead installations and fittings due to Atmospheric Pollution between Kalyan and Titwala Stations ..	96—97
331	बम्बई क्षेत्र से इगतपुरी तक लाए तथा ले जाए जा रहे खाली वैगन	Empty wagons moving from Bombay Area to Igatpuri	97
332	भारतीय रेलवे की क्रिओसोट की वार्षिक मांग	Annual requirement of Creosote by Indian Railways	97
333	डीजल लोकोमोटिव वर्कस, वाराणसी द्वारा लोकोमोटिव इंजनों का पूरा उत्पादन	Full production of Locomotives by DLW Varanasi	98

अता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table..	100
	अध्यक्ष द्वारा निदेशों में संशोधन—सभा-पटल पर रखे गये	Amendments to Directions by the Speaker—Laid ..	105
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	105
	अविलंबनीय लोक महत्व क विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	106
	लघ बुनाई उद्योग को स्टपल फाइबर सूत तथा रेयन फिलामेंट सूत सप्लाई न किये जाने का समाचार	Reported non supply of staple fibre yarn and rayon filament yarn to small scale weaving industry	106
	श्री० के० लकप्पा	Shri K. Lakappa ..	106
	श्री डी० पी० चटोपाध्याय	Shri D.P.Chattopadhyaya	106
	भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक जल सीमा तथा तत्संबन्धी मामलों पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement re. Agreement between India and Sri Lanka on boundary in historic waters between the two countries and related matters ..	113
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	113
	लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill ..	118
	संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	118
	अनुदानों की मांगें (गुजरात), 1974–75	Demands for Grants (Gujarat), 1974-75 ..	118
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	118
	श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.B. Mehta ..	119
	श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel ..	120
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	120
	श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.B. Jadeja ..	121
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	121
	श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh ..	121
	गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974– पुरःस्थापित तथा पारित	Gujarat Appropriation (No. 2) Bill, 1974—Introduced and passed	130

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	132
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	132
	श्री ए० पी० शर्मा	Shri A.P. Sharma	136
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	137
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	140
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen ..	140
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	141
	44वां प्रतिवेदन	Forty-Fourth Report ..	141

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री कृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहाड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन् (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णीसिंह, डॉ० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोन्नाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णान्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार) द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालकाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमरनाथ सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलूर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोअारदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चोक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (अन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बासबाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम्)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सरसा)
दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैराम्बूलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमति रोजा (बम्बई मध्य)

देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नगेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धाटे, श्री जाम्बूमूबंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बख्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम (ढंढका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभूदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहांडिया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायग (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायग (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई होओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण (चन्द हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल, (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन् (मावलिकारा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधान, श्री के० (नौसरंग पुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह, (भीरवाड़ी)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोर)
बरूआ, श्री वेदव्रद (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बालूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमातारी, श्री डी० (कोकराझार)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन श्री के० (अम्बलपूजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द, जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबद)
भट्टाचर्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भाट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी. श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरन)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाडा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्म, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्री किशन (सीकर).
मोहन स्वरूप श्री (पीलीभीत)

मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान्)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिंधी)
रवि, श्री, बायलार (चिरयिकील)
राउत श्री, भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिह, श्री (जौनपुर)
राजू श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम. श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (राम टेक)
रामेशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रार्बटसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राम, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीबी (काकानाडा)
रिछारिया, डा० गोविंददास (झांसी)
रुद्र प्रतापसिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर० (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी श्री पी० नरसिंम्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन् श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नबादा)
वर्मा श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा श्री बाल गोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकर श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुछूकोर्ट)
वैंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वैंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वैकारिया, श्री (जूनागगढ़)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफरत जग श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगज)
शास्त्री, श्री राजाराम (बाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर (बहराइच)
शूक्ल श्री विद्याचरण (रायपूर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एम० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेक्सैना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द (ढेकानाल)
सत्यानारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम्)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालसौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन श्री पी० ए० (गोबीच टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्रो शंकरराव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमति (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णूपूर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सज० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुज्फ्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री शिवनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नलान्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव(गुना)
सिंधिया, श्रीमति बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम्, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल, सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकारा, श्री इराज्मूद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेठ, श्री इब्राहीम, सुलेमान (ककौजीकांड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सैन, स्री रोबिन(आसरसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दर, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोम चंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (क़रोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एस० (मुक्तुपुज़ा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वामीनाथ, श्री आर० बी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पार)
स्वैल, श्री जी० के० (स्वायत्तशासी जिला)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदानापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजौ)
हाजरा, श्री मनोरजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुमर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० सी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वसंत साठे

डा० हेनरी आस्टिन

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री नवल किशोर सिंह

मौलाना इसहाक सम्भली

श्री जगन्नाथ राव जोशी

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
इस्पात और खान मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
संचार मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजनी महिषी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री वी० पी० मोर्य
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन

सिंचाई और विद्युत मंत्री . . .	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री . . .	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री .	श्री विद्याचरण शुक्ल
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविंद नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 जुलाई, 1974/1 श्रावण, 1896 (शक)

Tuesday, July 23, 1974/Sravana 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21 । श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल ।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, Sir, question No. 33 isalso on the same subject. Hence, it should also be taken up with this question.

Mr. Speaker : Please try to understand me. When the person in whose name the question stands is not there, whom should I call. How can I take up question number 33.

श्री पीलू मोदी : जब हम दो प्रश्नो को एक साथ ले लेते हैं तो दोनों में से कोई भी प्रश्न कता प्रश्न पूछ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तभी हो सकता था यदि श्री अग्रवाल पहले अपना प्रश्न पूछते ।

श्री पीलू मोदी : यदि दोनों प्रश्नों को जोड़ दिया गया होता तो दोनों सदस्यों के नाम छापे जाते और यदि उनमें से पहला अनुपस्थित हो तो दूसरा सदस्य प्रश्न पूछ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्न एक जैसे नहीं है, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता ।

श्री पीलू मोदी : प्रश्नों को सम्बन्द्ध करने का निर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता कि कौन सदस्य उपस्थित है और कौन नहीं यह कार्यवाही तो कार्यालय द्वारा ही कर दी जानी चाहिये थी और ऐसा करने पर दोनों के नाम छप जाते ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न अपने क्रम से ही किया जायेगा । अगला प्रश्न श्री पंडा ।

नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई

*22. **श्री डी० के० पण्डा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के सामान्य निकाय की एक वार्षिक बैठक अपने तीन निदेशकों का चुनाव करने के लिये 28 जून 1974 को आयोजित हुई थी ;

(ख) क्या शेयरधारी एसोसिएशन ने नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड का निमंत्रण प्राप्त करने हेतु पेशकश की थी और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया का समर्थन मांगा था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले :) (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) बम्बई शेयरधारी एसोसियेशन ने अपने सदस्यों/प्रतिनियोक्ताओं से, बड़ी संख्या में वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशियों के समर्थन में मत देने का परामर्श देते हुये एक प्रेस टिप्पणी प्रेषित की थी। इस प्रेस टिप्पणी के अनुसार एसोसियेशन के पदाधिकारियों को, नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के भावी प्रबन्ध की बावत, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की नीति पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, एवं यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने एसोसियेशन को अश्विासन दिया था कि उनका अभिप्राय कम्पनी का प्रबन्ध किसी के द्वारा ग्रहण किये जाने से नहीं है, परन्तु वे कम्पनी का प्रबन्ध ऐसे उद्योगपतियों व व्यवसायिकों की अध्यक्षता के अन्तर्गत किया जाना पसंद करेंगे, जो अपनी क्षमता से निष्कपट एवं दक्ष प्रबन्धकर्त्ता होना सिद्ध करें।

श्री डी० के० पण्डा: क्या यह सच है कि दो सरकारी निदेशकों का कार्यकाल 30 मार्च को समाप्त हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव का प्रश्न खड़ा हुआ ? सरकार की तरफ से नियुक्त किये जाने वाले दो निदेशकों के बारे में सरकार क्या कर रही है ? इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए किरेयन कारपोरेशन में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और अन्य अनेक सरकारी संस्थानों के काफी अधिक शेयर हैं, सरकार ने कपाड़िया ब्रादर्ज जैसे एकाधिकार गृह को इसका प्रबन्ध क्यों दिया ?

श्री एच० आर० गोखले : यह ठीक है कि सरकारी निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अब फिर निदेशकों की नियुक्ति की जाये या नहीं। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी तो है ही कि कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अनुसार किसी निदेशक की नियुक्ति एक बार केवल तीन वर्ष के लिए ही कि जा सकती है। तीन वर्ष का समय समाप्त हो गया, इसलिए कालावधि भी समाप्त हो गई है। अगर फिर से दो या तीन वर्षों के लिये निदेशक की नियुक्ति करनी पड़ती है तो उस के लिये सरकार को पुनः नये सिरे से जांच करनी पड़ेगी, स्थिती का जायज़ा लेना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि वह धारा 408 की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसी जांच की गई थी; तथा यूनिट आफ इण्डिया सहित सभी सम्बन्द्ध पक्षों को सुना गया था और अब कम्पनी विधि बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री डी० के० पंडा : जहां का उद्योगपतियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में हमें पहले ही काफी अनुभव हैं। कपाड़िया ब्रादर्ज 1972 से इस कार्य में लगे हुये हैं और पहले उनका प्रयत्न यह था कि वह इसका अध्यक्ष पद सम्भाल ले, वर्ष 1973 में इनके अपने ही पांच सदस्यों को निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आप तो स्वयं ही जानकारी देते जा रहे हैं, कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री डी० के० पंडा : इस सन्दर्भ में क्या यह आवश्यक था कि कपाड़िया ब्रादर्ज को इसमें आने दिया जाये क्योंकि वह तो सरकार तथा लोगों को ठगने के लिए पहले ही मशहूर हैं ? मैं यह जानना चाहता हुं कि अभी तक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई हैं ? क्या कोई ऐसा नियम भी है जिसके अन्तर्गत पुराने सरकारी निदेशकों को तब तक आपने पद पर बना रहने दिया जाता है जब तक कि चुनाव न हो जाये, चाहे इनका कार्यकाल समाप्त ही क्यों न हो चुका हो ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हुं, यदि आप चाहें तो मैं उन्हें दोहरा सकता हुं ।

श्री डी० के० पंडा : उन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है । यदि मंत्री महोदय मेरी बात न समझे हों . . .

अध्यक्ष महोदय : बात समझने का कोई प्रश्न ही नहीं है । आप बिना किसी प्रकार की भूमिका बांधे, सीधे अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री डी० के० पंडा : कपाड़िया ब्रादर्ज़ तथा अन्य उद्योगपतियों के कुकृत्यों के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या सरकार अपने निदेशकों की नियुक्ति करेगी और कपाड़िया ब्रादर्ज़ को इसमें नहीं आने देगी ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । कम्पनी विधि बोर्ड न किसी को रखवाना चाहता है और न किसी को बाहर निकालना चाहता है । कम्पनी विधि बोर्ड तो पूर्णतया कम्पनी अधिनियम के अनुसार ही अपना कार्य करता है । यह कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत आता है ।

मैं पहले ही यह बता चुका हुं कि एक समय पर किसी निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नही की जाती है । पहले यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए की गई थी । यद्यपि एक वर्ष का समय अभी शेष रहता था तथापि इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया ताकि तीन वर्ष का समय पूरा हो जाऐ । यदि निदेशकों की नई निक्युित की जानी है तो फिर पहले निदेशकों के अपने पद पर बने रहने का प्रश्न ही नहीं है । कम्पनी विधि बोर्ड को पहले जांच करनी पड़ती है, साक्ष्य लेने पड़ते है, सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लेने के बाद ही यह निर्णय करना पड़ता है कि नये निदेशकों की नियुक्ति की जाये या नहीं । कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया सहित अन्य सभी सम्बन्द्ध पक्षों तथा कपाड़िया ब्रादर्ज़ को भी सुना जा चुका है । अभी से मैं कम्पनी विधि बोर्ड के निर्णय के बारे में कोई भाविष्यबाणी नही कर सकता । कम्पनी विधि बोर्ड यह निर्णय भी कर सकता है कि निदेंशको की नियुक्ति की जाये तथा उसका निर्णय इससे भिन्न भी हो सकता है । सरकार द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को कोई निदेश जारी नहीं किये जाते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या कारण है कि निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्द्ध प्रश्न पर सरकार को नये सिरे से विचार करना पड़ा । वही बोर्ड है और वही उसके सदस्य हैं । सभी व्यक्ति उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं । सरकार को यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से काफी ब्याज

भी प्राप्त हुआ है । तो फिर सरकार को या बोर्ड को नये सिरे से इस सारे प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर मंत्री महोदय का कहना है कि वह निर्णय के बारे में किसी प्रकार की भविष्यबाणी नही कर सकते । अतः क्या सरकार यह कार्य निदेशक बोर्ड को ही सौंप देना चाहता है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं बता चुका हुं कि कानून के अन्तर्गत पद की अवधि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद स्वयं नहीं बढ़ायी जा सकती इससे आगे की कार्यवाही करने के लिए उन्हें पुनः यह विचार करना पड़ेगा कि किस आधार पर निदेशकों की नियुक्ति और अधिक समय के लिए की जा सकती है तथा वह एक वर्ष के लिए ही की जानी चाहिए, या दो वर्ष के लिए या फिर तीन वर्ष के लिए । कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा इसी का परीक्षण किया जा रहा है, उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हुं कि नेशनल रेयन कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड से श्री चिनाय द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सामान्य निकाय तथा उसके निदेशकों का चुनाव नियमों के अनुसार ही करवाया गया था और यदि हां तो क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन द्वारा आपने कर्मचारीयो तथा कम्पनी के छोटे शेयर धारियों को कुछ धनराशि दी गई थी ? मैं यह भी जानना चाहता हुं कि श्री चिनाय—जा कि कम्पनी कानून और नियमों का उल्लधंन करने की लिए उत्तरदायी हैं—-के त्यागपत्र के बाद कारपोरेशन में पुनः विश्वास व्यक्त किया गया था ? अन्ततः मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या श्री चिनाय के त्यागपत्र के बाद कापोरेशन में तत्काल कोई सुधार या परिवर्तन हुआ है ?

श्री एच० आर० गोखले : श्री चिनाय द्वारा त्यागपत्र नही दिया गया है, वह सेवा निवृत होने वाले थे तथा सेवा निवृत हो गये । परन्तु इसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । विषय से सम्बन्द्ध बात तो यह है कि चुनाव हुये और हमारी जानकारी के अनुसार उसमें तीन व्यक्ति यनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा खड़े किये गये और तीन कपाड़िया ग्रुप ब्रादर्ज द्वारा चुनावों का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अब चिनाय ग्रुप सत्तारूढ़ होगा या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया या फिर कपाड़िया ग्रुप । परन्तु एक बात जरूर है कि कम्पनी की हिस्से दारी इस प्रकार की है कि शेयर धारियों का कोई एक ग्रुप चाहे वह कपाड़िया ग्रुप हो या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, वह बिना विभिन्न छोटे शेयरधारियों के सहयोग के पूर्ण नियत्रंण प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता । कपाड़िया बादर्ज या किसी अन्य द्वारा कोई धनराशि दी गई है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री पीलू मोदी : किसी कंपनी के निर्देशक बोर्ड के सदस्यों का पुनः चुनाव करने के लिये एक संकलप पारित करने की प्रक्रिया है जिस में यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वे पुनः चुनाव के लिये पात्र हैं और इसलिये इसकी सिफ़ारिश की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि कुछ सरकारी निदेशकों के मामले में यह संकोच पदा क्यों हुआ है । यह पुनः चुनाव तो स्वतः ही हो जाना चाहिये था यदि वे लोग पुनः चुनाव के पात्र होते ; हां, यह दूसरी बात थी कि सरकार स्वयं ही यह कहकर निदेशकों को बदलना चाहती है कि ठीक है, आपको काफी संरक्षण दिया जा चुका है, अब हमें किसी अन्य को यह संरक्षण देना चाहिये, और शायद इसीलिये वे अपना कोई निश्चय अभी तक नहीं कर सकी अन्यथा इसमें परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं थी । यदि सरकार अपना संरक्षण

किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देना भी चाहती है तो भी इसमें $1\frac{1}{2}$ महीने का या इस अवधि तक जब तक कि बोर्ड में कोई सरकारी निदेशक नहीं रहा, तब तक विलंब करने की क्या जरूरत थी ?

श्री एच० आर० गोखले : सरकारी निदेशकों के चुनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकारी निदेशक तो सरकार द्वारा ही धारा 408 के अधीन नियुक्त किये जाते हैं। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के निदेशक चुनाव में थे और उस चुनाव का परिणाम अभी प्राप्त होना है।

Shri Madhu Limaye : We have been doing correpondence with the hon. Minister for a long time in this matter. The hon. Minister is very well aware that justice Rege of Bombay High Court has passed strictures against the activities of Kapadia and he regrteed that the Law Ministry was not implementing the Courts, verdicts. He is also aware that Kapadia is today in a position to have his complete hold on National Rayon Corporation because he has got a voting right in the shareholders, Conference. The hon. Minister had assured that that the right of shri Kapadia would be snatched from him. Despite that this Company is going into Kapadia's hand. Is the hon. Minister aware that the Kapadia Group against whom justice Rege had passed. stricture, have been distributing Rs. 30 lakh to Secure a decision in their favour.

श्री एच० आर० गोखले : यह सच है कि माननीय सदस्य ने अपने पत्र में मुझे यह सुझाव दिया था कि कानून में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि वरीयता प्राप्त शेयरधारियों को मत देने का अधिकार न रहे। इस समय भी केवल उन वरीयता प्राप्त शेयर धारियों को छोड़कर जो कि कंपनी अधिनियम बनने के पूर्व शेयर धारी थे, वरीयता प्राप्त शेयरधारी को वोट देने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः माननीय सदस्य के सुझाव के उत्तर में मैंने स्वयं संयुक्त समिति में एक संशोधन पेश किया जो कि कम्पनी कानून संशोधन विधेयक पर विचार कर रही हैं और उससे वह संशोधन स्वीकृत कराया है और परिणामतः जब विधेयक यहां आयेगा– शायद वह इसी सत्र में पेश होगा–और पास हो जायेगा तो वरीयता प्राप्त शेयर धारियों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा।

Shri Madhu Limaye : My main question is whether it is not a fact that justice Rege has passed strictures and regretted that the Government was not acting upon courts verdiets. In these circumstances, would the hon. Minister give an assurance that the national Rayon Corporation would not be allowed to go into the hands of Kapadia Group ?

श्री एच० आर० गोखले : पहली बात यह है कि यह सच नहीं है कि कोई आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के जस्टिस रेगे ने, जिन्होंने इस मामले पर विचार किया था, उस अवधि से संबंधित मामले पर विचार किया था जिसने नये निदेशकों की नियुक्ति के बारे में हमारा संबंध नहीं है। वस्तुतः कम्पनी विधि बोर्ड के कार्यक्षेत्र को ही न्यायालय में चुनौती दी गई है।

प्रो० मधु दण्डवटे : इस सभा के उपाध्यक्ष ने यह निर्णय दिया है कि उक्त निर्णय आलोचनात्मक टिप्पणियां सिद्ध होती हैं।

श्री पीलू मोदी : अब यह निर्णय आपने करना है कि इस समय यहां उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया निर्णय मान्य है अथवा नहीं।

Shri Madhu Limaye : Justice Rege had remarked that the Kapadias were the people of doubtful antecedents and they were ruining the Company. Now you kindly ask him to reply to my question. Would the Government assure that this corporation would not be allowed to go into the hands of those rescals.

Ms. Speaker : Sir, you are not protecting our rights. You have issued a direction that the questions should carry complete replies. I request you with folded hands to get me a reply from him.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें एक अवसर दिया था और उन्होंने जो कहना था वह कह दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये बाध्य किजिये . . . (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले : मैं तो श्री पण्डा के प्रश्न के उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि सरकार कम्पनी विधि बोर्ड को कोई निदेश जारी नहीं करती है। कम्पनी विधि बोर्ड एक अर्ध-न्यायापालिका के रूप में कार्य करता है। मुझे आशा है कि कम्पनी विधि बोर्ड इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा और उचित निष्कर्ष निकालेंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान निम्न उद्धृत एक प्रेस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं :

"Earlier, in July 1972, a bid to have a Kapadia as the managing director also did not bear fruit though it created some stink in the capital's gossip mills. There were rumours of a commitment by some bigwig in Indira Gandhi's Cabinet in return for fat contributions to party funds. Kapadias themselves mention the name of one of the Prime Minister's managers in this connection. (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सही है कि श्री कपाड़िया ने स्वयं ही प्रधान मंत्री के एक मैनेजर श्री यशपाल कपूर का निदेशक पद के लिये नाम लिया था . . . (**व्यवधान**) मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है अथवा नहीं और क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया था, अथवा क्या इस समाचांर में कोई सच्चाई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अवसर इस प्रश्न के लिये नहीं है। इसके लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है ;

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे बताया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये। आपका प्रश्न क्या है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सही है अथवा नही कि श्री कपाड़िया ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के मैनेजरों में से एक के नाम का सुझाव दिया था ? श्री यशपाल कपूर को राज्य सभा का सदस्य नहीं बल्कि एक मैनेजर कहा जाता है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे मामलों की अनुमति नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसमें कोई सच्चाई है अथवा नहीं और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं... (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह इसका खण्डन करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं नाम तो नहीं बताना चाहता। मैं तो जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है क्या वह सही है या नहीं...

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम नहीं लिया जायेगा। क्या मैं आपसे एक अनुरोध करूं? आप लोगों को अनेक अवसर मिलने जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी निश्चित की जा चुकी है अन्य बहुत से अवसर भी हैं। आप उन प्रक्रियाओं का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? गोखले साहेब, आपको कुछ कहना हैं?

श्री एच० आर० गोखले : श्रीमन्, वह एक प्रेस समाचार पढ़ रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि यह आरोप कि पार्टियों को चन्दा दिये जाने का इस मामले से कोई संबंध है, बिल्कुल निराधार है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय को कैसे मालूम होगा कि पार्टी ने कितना चन्दा एकत्रित किया है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री पीलू मोदी : शायद अन्य मंत्रियों को पता हो, उन्हें तो नहीं मालूम।

छोटे औषध एककों को रियायतें

*23. **श्री अनादि चरन दास** :
श्री पी० गंगादेव : : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे औषध एककों को रियायतें देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) लघु उद्योग औषध उत्पादक एककों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :—

(i) सूत्रयोगों के मूल्यों का संशोधन/निर्धारण करने के लिए सरकार को पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंधित औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के पैराग्राफ 9, 10 और 13 से सभी औषध उत्पादक एककों को, जिनकी वर्ष में बिक्री 50 लाख से अधिक नहीं है, छूट दी जाती है।

(ii) ऐसे एकक जिनकी बिक्री एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, उनको पिछले दो वर्षों की सबसे अच्छी खपत के आधार पर और इसके अलावा वृद्धि के लिए 30% सरणीबद्ध कच्चा माल दिया जाता है।

(iii) उन एककों, जिनकी बिक्री एक करोड़ या इससे अधिक है, को पिछलें दो वर्षों की सब से अच्छी खपत के आधार पर और इसमें अतिरिक्त वृद्धि के लिए 15% सरणीबद्ध कच्चा माल दिया जाता है।

Shri Anadi Charan Das : I wish to know the number and names of those units whose turn over exceeds Rs. one crore and the profits earned by them.

Shri Shahnawaz Khan : Roughly there are 2300 drug manufacturing units in the country out of which the turn over of 120 units goes to the Bureau of Industrial Costs and Prices. The turn over of the rest of the units does not exceed Rs. 50 lakhs. They do not therefore, come under price fixation. As for the profits, it is impossible for me to tell as to how much these thousands of companies earn.

Shri Anadi Charan Das : I want to know what action Government is taking to control the prices of drugs.

Shri Shahnawaz Khan : The prices af drugs are controlled under the drugs (Price Control) Act, 1970.

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में औषध नियंत्रण आदेश के बावजूद दवाइयों में मिलावट बहुत हो रही है तथा भारतीय बाज़ारों में नकली दवाइयों की भरमार है, सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है कि छोटी फर्मों द्वारा बनाई जाने वाली दवाइयां पूर्णतया प्रमाणिक विवरणों के अनुसार हों ?

Shri Shahnawas Khan : There are drug controllers in every State. They have instructions to keep strict vigilance on drugs and whenever there is a case of spurious drugs, they have been directed to take stern action against it.

श्री के० एस० चावड़ा : दवाईयों की 80 प्रतिशत बिक्री विदेशी फर्मों के हाथों में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दवाई बनाने वाले छोटे भारतीय एककों को औषध (मूल्य नियंत्रण) अधिनियम 1970 की परिधि से छूट दिलाएगी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उन सभी औषध निर्माण एककों को, जिनकी बिक्री वर्ष में 50 लाख से अधिक नहीं है, औषध (मूल्य नियंत्रण) अधिनियम 1970 से छूट दी गई है ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा प्रश्न छोटे भारतीय औषध निर्माण एककों के संबंध में है । क्या उन्हें इस अधिनियम से छूट दी गई है ?

श्री शाहनवाज खां : छट के मामले में भारतीय और विदेशी फर्मों में कोई भेद भाद नहीं है ।

श्री राजा कुलकर्णी : यह सब जानते हैं कि अधिकांशतः दवाई बनाने वाले एकक छोटे उत्पादकों के हैं । उन्हें दवाईयों बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । सरकार ने 26 मूल दवाईयों की कीमतों की घोषणा की है, किन्तु छोटे एककों को मूल कच्चा माल नहीं मिल रहा । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे उत्पादकों को मूल दवाईयों के लिए घोषित मूल्यों पर कच्चा माल मिले, क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : छोटे एककों को उनका कोटा मिल रहा है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष फर्म के बारे में उल्लेख कर रहे हैं तो वह कृपया उसका नाम मुझे बता दें ताकि इस संबंध में मैं उचित कार्यवाही कर सकूं । जहां तक दवाईयों की सरणीबद्धता का संबंध है, छोटे औषध एककों को

प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन एककों की वार्षिक बिक्री एक करोड़ रूपये से कम है उन्हें उनकी आवश्यकताओं का 30 प्रतिशत दिया जा रहा है।

श्री राजा कुलकर्णी : आप जानते हैं कि छोटे, औषध निर्माण एकक मूल दवाइयों के अभाव से बन्द पड़े हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार नकली दवाईयां बनाने वालों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहती हूं कि देश में नकली दवाईयां न बनें, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे औषध उद्योग को नकली तथा मिलावट दवाईयां बनाने वालों से सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदया : यह प्रश्न छोटे औषध उत्पादकों को रियायत देने के बारे में है।

श्री वायालार रवि : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है... **(व्यवधान)**

श्री शाहनवाज खां : औषध नियंत्रण आदेश को स्वास्थ्य मंत्रालय लागू करता है। राज्य सरकारों के अपने औषध नियंत्रक हैं और उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वह पूरी पूरी निगरानी रखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने 80 लाख रूपये औषध निर्याताओं से वसूल किये हैं। अतः वह उनके विरूद्ध कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। बम्बई के औषध उद्योग ने काफी पैसा बनाया है। अगर वह चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं।

टैक्सी और आटो रिक्शा मालिकों की सहकारी समितियों को पैट्रोल पम्पों का नियतन

*24. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने टैक्सी और आटो रिक्शा मालिकों की सहकारी समितियों को केवल उनके उपयोग के लिये कोई उपभोक्ता पैट्रोल पम्प नियत किये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री देव कांत बरूआ

(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Rajdeo Singh : I wish to know how many petrol pumps have been allotted to cooperative societies till now and also whether only one petrol pump has been allotted to each society or have these societies been allotted more than one petrol pumps ? Has this arrangement been made exclusively for Delhi or this arrangement extends to other big cities, of the country also ?

Shri D. K. Borooah : So far as I know, only two cooperative societies and a director of the society have been allotted petrol pumps. These petrol pumps were allotted in January and March, 1971. All these petrol pumps are in Madras. Before 1971 or after this period nobody else has been allotted any petrol pump.

An Hon. Member : And he does not intend to allot more.

Shri D. K. Borooah : According to the existing rule, we can allot petrol pump to the survivors of those killed in war or those who have been crippled, It has been decided to allot 25 percent petrol pumps to deserving candidates of Schedule castes and shedule tribes. Today marks the beginning of allotment of petrol pumps to such person in Delhi. This will soon be done over the country.

Shri Rajdeo Singh : Has the arrangement been made only for the cooperatives of taxi and autoricksha onwners or does the government propose to consider the case of Caoperative of private car owners also ?

Shri D. K. Borooah : As I have state earlier, till now we have allotted only these petrol pumps. It is not possible to allot further petrol pumps according to the new rule.

Shri B. S. Bhaura : The hon. Minister has just stated that under the new rule 25 percent of petrol pumps will be allotted to Schedule Castes and Schedule tribes. There have been cases that petrol pumps have been acquired by false names. I want to know what steps the Government propose to to take to ensure that this does not happen inthe case of Schedule castes and Schedule tribes' people ?

Shri D. K. Borooah : Applications were invited in this regard by advertisements in Newspapers. I.O.C. is an autonomous body. It haseen directed to allot petrol pumps to deserving persons.

श्री डी० बसुमतारी : यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन लोगों ने मिट्टी के तेल और पैट्रोल पम्प के लिये दरखास्ते दी थीं उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस क्षेत्र में कोई तजुर्बा है या नहीं । चूंकि उन्हें इस क्षेत्र में कोई तजुर्बा नहीं था इसलिये उनकी दरखास्तों को मंजूर नहीं किया गया और उनके स्थान पर अन्य लोगों को विक्रेताओं के रूप में नियुक्त किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने सूची बिल्कुल नहीं देखी । सूची देखने के बाद ही या किसी सदस्य द्वारा कोई ऐसा मामला मेरे ध्यान में लाये जाने पर ही मुझे पता लग सकता है । भारतीय तेल निगम ने ही इस संबंध में निर्णय लिये हैं ।

Shri Atal Bihari Vajapayee : The hon. Minister has stated that I.O.C. has been directed to make sure before allotment of petrol pumps whether the allottee has the capacity to manage it or not. I am afraid that Schedule Castes and Schedule tribes may not be deprived on this pretext of capability. Capability does not mean the financial resources of the allottee. The other potentialities have also to be considered. Persons of Scheduled Castes and Schedule

tribes can take loans from banks. I wish to know what action Government is taking in this regard.

Shri D. K. Borooah : The hon. member is quite right. In my opinion capability is an important factor. I do not think anything unfair is going to happen. But you know the working of Benami deals. There is the danger of other people coming in it. Something should be done about it. I will bring this to the notice of I.O.C. officers.

Shri Pannalal Barupal : It is a matter of pleasure that 25 percent petrol pumps and gas supplying agencies are being allotted to the persons of schedule castes and schedule tribes. I want to know the criteria on the basis of which these petrol pumps would be allotted. Will the unemployed garduates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be given preference or the petrol pumps will be allotted to those who are able to pull strings ?

श्री देव कान्त बरुग्रा : यह ग्रच्छा सुझाव है ।

Shri Sarjoo Pandey : Just now the hon. Minister has stated that such petrol pumps have been installed in Madras only. I wish to know whether such petrol pumps have been installed in other cities also, if so, what are their details ?

ग्रध्यक्ष महोदया : ग्रापका प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री देव कान्त बरुग्रा : मैं भी यही कहने जा रहा था कि प्रश्न टैक्सी ग्रौर ग्रॉटो रिक्शा मालिकों की सहकारी समितियों को पैट्रोल पम्प देने के बारे में है ।

Shri Md. Jamilurrahaman : I want to know whether cooperative of unemployed graduates of any part of the country will be allotted petrol, pumps or gas agencies, if so whether a circular has been issued to I.O.C. in this regard

Shri D. K. Barooah : As I have stated, according to the existing rule, we can allot petrol pumps only to the survivors of those killed in war or those who have been crippled. It has been decided to allot 25 per cent of petrol pumps to deserving persons of Scheduled Castes and Schedule Tribes. In this situation, I don't think we will be able to allot petrol pumps to cooperatives of eunmployed graduates.

मद्रास तेलशोधक कारखाने से नेफ्थ उठाया जाना

*25. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा †**
श्री गजाधर मांझी } : **क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स के ग्रमोनिया सयंत्र के बंद हो जाने के कारण सरकार ने मद्रास के तेल शोधक कारखाने से नैफ्था उठाने के ग्रापातकालीन उपाय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) क्या तेलशोधक कारखाने के अधिकारियों ने नैफ्था उठाने के लिये वैकल्पिक उपाय करने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है क्योंकि तेलशोधक कारखाने में सीमित भंडारण स्थान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : (क) और (ख) : भयंकर दुर्घटना द्वारा मद्रास फर्टिलाइजर्स के अमोनिया संयंत्र के दिनांक 22 जून, 1974 को बन्द हो जाने के फलस्वरूप हुई मद्रास शोधनशाला की संकटपूर्ण संग्रह स्थिति को हल्का करने के वास्ते नेफ्था उठाने के लिये आयात साधनों को काम में लाना पड़ा ।

(ग) मद्रास शोधनशाला ने भारतीय तेल निगम और मंत्रालय से अपनी संकटपूर्ण संग्रह स्थिति के कारण नेफ्था को तत्काल उठाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : मद्रास तेल शोधक कारखाने की भण्डारण क्षमता कितनी है और वहां से नेफ्था न उठाने के कारण तेल शोधक कारखाने को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री देवकान्त बरुआ : मद्रास तेल शोधक कारखाने की भण्डारण क्षमता बहुत सीमित है क्योंकि उसके उपभोक्ता मद्रास फरटिलाइज़र भी उसी अहाते में स्थित है । अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की भण्डारण क्षमता कम है क्योंकि इस पर काफी धन खर्च आता है और इसका प्रबन्धात्मक खर्चा भी काफी होता है । मैं समझता हूं कि अधिक हानि नहीं हुई होगी क्योंकि पहले ही उसका निपटारा कर दिया गया है तथा समस्या पहले ही सुलझाई जा चुकी है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्वरक उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उर्वरकों का 50 प्रतिशत उत्पादन तो नेफ्था पर निर्भर करता है । बिजली की कमी के कारण नांगल परियोजना भी बन्द पड़ी है । क्या इस नेफ्था को उर्वरक उत्पादन के लिये किसी अन्य कारखाने को भेजा जा सकता है ?

श्री देव कान्त बरुआ : यह दुर्घटना जोड़ने वाली पाइप लाइन में कटाव आने के कारण हुई और कारखाना केवल 21 दिन बन्द रहा । 14 जुलाई से फिर उसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : पिछली बार एक प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि नेफ्था के कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण कुछ कारखानों को नेफ्था के अतिरिक्त कुछ अन्य माल का उपयोग करने की राय दी गई थी । परन्तु अगले ही दिन हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि नेफ्था का निर्यात किया जा रहा है । जब नेफ्था के न मिलने के कारण हमारे अपने कारखाने बन्द हो रहे हैं, तो फिर नेफ्था का निर्यात क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध विशेष रूप से मद्रास तेल शोधक कारखाने से है । यह सामान्य प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : जब नेफ्था के अभाव के कारण हमारे अपने कारखाने बन्द हो रहे हैं तो फिर इसका निर्यात करने का निर्णय क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विशिष्ट रूप से मद्रास तेल शोधक कारखाने से सम्बद्ध है । आप प्रश्न को पढ़िये । यह सामान्य प्रश्न नहीं है ।

रेल कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को दी गई रियायतों को लागू करना

*26 **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मई 1974 में हुई हड़ताल में भाग न लेने वाले कर्मचारियों को अनेक रियायतें देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनमें से अब तक कितनी रियायतें लागू की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

संसद् में रेल मंत्री द्वारा की गयी इस घोषणा के अनुसार कि उन कर्मचारियों की सेवाएं जो अपने काम पर डटे रहे बेकार नहीं जायेंगी, रेलोंने उन रेल कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित रियायतें देने की घोषणा की है जिनकी वफादारी सिद्ध हो चुकी है और जिन्होंने भारी शारीरिक रूप से और अन्य प्रकार से डाराये धमकाये जाने के बावजूद सरकारी काम के निभाने में दुष्कर कार्य किया और राष्ट्र की जीवन रेखा-रेलवे का संचलन चालू रखा :–

(1) अग्रिम वेतन वृद्धियां देना ।

(2) उन रेल कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाना/पुनर्नियुक्ति करना जो 8 मई 1974 से एक वर्ष के अन्दर अधिवर्षता प्राप्त करने वाले हैं ।

(3) अनुकम्पा के आधार पर रेल कर्मचारियों के लड़कों, लडकियों, आश्रितों को नौकरी देना ।

(4) उपयुक्त मामलों में नकद पुरस्कार, इमान मंजूर करना ।

इन रियायतों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कार्रवाई हो रही है ।

Shri K.M. Madhukar : Mr. speaker, Sir, the people who worked for undermining the historical agitation of labour class, they are being provided with a number of concessions but the persons who participated in the strike, they are being subjected to break in service, their services are being terminated, they are behind the bars and they are being persecuted. So, in this state of affairs, do you think that Railways can run efficiently ? What is your opinion about it ?

Shri L.N. Misra : As far as the dedicated workers are concerned, we want to give them benefits and incentives because they served the nation at the time of national crisis (**Interruptions**). We want to encourage them ? but at the same time, I may say that those who participated in the strike, they too will be given fair treatment in accordance with law... (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : आप को प्रश्न पूछने का अवसर मिला है तो कृपया उत्तर तो सुनिये। इस ढंग से संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती। आप शान्ति से सुनिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : During British rule also, the people who were loyal to the Government were given titles af **Rai Sahib**, **Rai Bahadur** etc. The same tactics are being adopted by our Railway Minister.

Shri K.M. Madhukar : The same tactics were adopted by the British Govern ment. May I know if Government is going to frame policy according to which the people who stab the labour movement and oppose strike would be rewarded for breaking the strike ?

Shri L.N. Misra : Those who will be duty conscious and will serve the nation in an hour of crisis, we will always encourage them.

श्री बी० के० दासचौधरी : देशभक्त रेलवे कर्मचारियों को कुछ रियायतें देने के माननीय मंत्री महोदय के निर्णय का स्वागत करते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले से घोषित की गई रियायतों की क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और अब तक कितने रेलवे कर्मचारियों को यह रियातें दे दी गई हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : क्रियान्वित का कार्य अभी चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले ही अनेक देशभक्त रेल कर्मचारियों को यह रियायतें दी जा चुकी है। उनके कई बच्चों को नौकरी दे दी गई है। उन्हें अतिरिक्त अग्रमि वेतन वृद्धियां भी दी गई हैं। जितनी भी रियायतों तथा सुविधाओं की घोषणा की गई थी, उन्हें शीघ्र ही क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रेल हड़ताल में भाग लेने वाले तथा हड़ताल में भाग न लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दौरान लोगों को रोजगार देने और कर्मचारियों को अग्रमि वेतन वृद्धियां देने तथा अन्य इसी प्रकार की रियायतें देने पर सरकार को कुल कितनी धानराशि खर्च करनी पड़ी ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक कर्मनिष्ठ कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें दिये गये वचन को पूरा करने का हमने पूर्ण प्रयास किया है। इस पर कुल कितना खर्च होगा, इसके बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। कर्मनिष्ठ कर्मचारियों और उनके परिवारों पर व्यय होने वाली धनराशि लगभग 8–9 करोड़ रुपये होगी।

प्रश्नों क लिखित उतर

Written Answers to Questions

Effect of Railway Strike on Railway Economy

*21. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway strike of May, 1974 has caused considrable loss in the revenues of the Railways, which in turn is likely to result in heavy short-fall in its budget estimates for 1974-75;

(b) if so, the total loss estimated; and

(c) the efforts being made to make good the loss ?

The Minister of Railways (Shri L.N. Misra) : (a) A little over 4% of the budget estimates of earnings for 1974-75 has been lost.

(b) The loss in railway revenue earnings is broadly estimated at Rs. 60 crores approximately.

(c) Special drive has been launched to clear the accumulated traffic and with the progressive improvement in the operation, it is expected to make good the loss soon.

ग्रासाम क्षेत्रों से ग्रशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि

*27. **श्री तरुण गोगोई**
श्री निहार लास्कर : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के ग्रासाम क्षेत्रों से ग्रशोधित तेल का उत्पादन 5 लाख टन बढ़ाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा; ग्रौर

(घ) ग्रसाम में ग्रशोधित तेल के बढ़े हुए उत्पादन से बरौनी तेल शोधक कारखाने को कहां तक सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुग्रा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में ग्रतिरिक्त कूपों का व्यधन, ग्रुप गैदरिंग स्टेशनों जैसे तेल क्षेत्र प्रतिस्थापनों का निर्माण, टैंक फार्म बहाव लाइनों का बिछाना रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कलैक्टर लाईन एवं ट्राक पाईप लाईन बनाने के कार्य निहित हैं।

(ग) ग्रप्रैल, 1975 से तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग का उत्पादन को लगभग 1 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की ग्राशा है।

(घ) बोंगाईगांव शोधनशाला के चालू होने तक ग्रसम से प्राप्त बढ़े हुए उत्पादन को मुख्य रूप से बरौनी शोधनशाला में साफ किया जायेगा।

केरल तट पर तेल की खोज

*28. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल तट के साथ साथ तेल के लिए छिद्रण कार्य ग्रारम्भ करने का पुनः ग्रनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल तट के साथ साथ तेल की सम्भावना का पता लगाने के लिये जांच ग्रारम्भ करने का है ; ग्रौर

(ग) सरकार का विचार केरल में किन किन स्थानों पर उक्त कार्य ग्रारम्भ करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : (क) जी, हां। 31 मार्च, 1974 को केरल के मुख्य मंत्री ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को लिखा, जिसमें केरल के समुद्र तट के साथ साथ अन्वेषण कार्य आरम्भ करने के लिए शीघ्र कदम उठाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी कम्पनियों की लाभप्रदता में वृद्धि

***29. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान पूंजी नियोजन में कोई वृद्धि न होने के बावजूद भी भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की लाभप्रदता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान ऐसी कम्पनियों की लाभप्रदता में किस दर से वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी नियोजन ने भारत से अधिकतम लाभ अर्जित किया है ; और

(घ) क्या इससे भारतीय कम्पनियों के विकास को धक्का लगा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) : प्रश्न में पूछी गई भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं पर दिये जाने वाली सूचना के उद्देश्य के लिए गत दो वर्ष 1971-72 व 1972-73 होंगे। उपरोक्त दो वर्षों की अपेक्षित सूचना शीघ्रत: उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनके वार्षिक लेखाओं के तैयार करने व इन्हें इन कम्पनियों द्वारा सरकार के पास प्रस्तुत करने का समय तथा भारतीय रिजर्व बैंक, जो इनकी सामान्य प्रकार का लाभप्रदता सहित, इस प्रकार की कम्पनियों के कार्य-कलापों के अनक स्वरूपों का नियमित अध्ययन कर रही है, द्वारा, इनके वित्तीय आंकड़ों के पूर्ण रुपेण संकलन करने में लिया जाने वाला समय, दो वर्ष अथवा इसके लगभग के समयान्तर का परिणाम होगा। उपरोक्त संशोधन की दृष्टि से, इस प्रश्न का उत्तर, 1970-71 की समाप्ति तक की नवीनतम उपलब्ध सूचना पर आधारित है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की वित्त व्यवस्थाओं पर न्यादर्श अध्ययनों, जो मार्च 1973 व अक्तूबर 1973 के बैंक बुलैटिनों में प्रकाशित हुआ था, के अनुसार, इन कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों में 1968-69 की अपेक्षा 1969-70 में 1.5 प्रतिशत की गिरावट एवं 1969-70 की अपेक्षा, 1970-71 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि अभिलेखित की गई। उपरोक्त प्रसाधन के अनुसार, इन विदेशी कम्पनियों में लगी हुई कुल पूंजी के रूप में, सकल लाभों का प्रतिनिधित्व करते हुए लाभप्रदता अनुपात 1969-70 व 1970-71 में क्रमशः 7.8 प्रतिशत व 9.8 प्रतिशत हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के श्रोतानुसार, 1969-70 व 1970-71 के दो वर्षों में ब्रिटेन की कम्पनियों तथा अन्य देशों की कम्पनियों के लाभप्रदता अनुपातों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों के लाभप्रदता अनुपात, उच्चतर थे।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी। इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में यथा निर्देशित भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययनों के अनुसार निर्देशान्तर्गत दो वर्षों में भारतीय नियंत्रित पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों की वृद्धि दर, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पिनियों की शाखाओं के विषय में अवलोकित दर की अपेक्षा उच्चतर रही है।

समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए अमरीकी फर्मों के साथ करार

*30. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री एस० आर० दामाणी } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल और कच्छ बेसिन में समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिये दो अमरीकी कंपनियों के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्रमशः बंगाल और कच्छ के बेसिनों में अपतटीय अन्वेषण और उत्पादन के लिए मई 1974 के दौरान दो ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए, एक तो मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया ग्रुप के साथ और दूसरे मैसर्स रीडिंग एण्ड बेट्स आयल एण्ड गैस कम्पनी ग्रुप के साथ (दोनों यू० एस० ए० के हैं)।

दोनों ठेकों की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए ठेकेदार को बेसिन का सम्पूर्ण क्षेत्र दिया जाएगा (प्रत्येक के मामले में लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर) और ठेकेदार दो वर्षों के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए 5,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र का चयन करेगा और उस समय तक एकत्रित और प्रतिपादित ब्यौरे के साथ शेष क्षेत्र सुपुर्द करेगा। तीसरे वर्ष के अन्त तक क्षेत्र 2,500 वर्ग किलोमीटर तक कम रह जाएगा और सातवें वर्ष के अन्त तक ठेकेदार के पास उत्पादन क्षेत्र रह जाएंगे ;

(2) बैंक गारंटी संयुक्त प्रत्येक चरणों के लिए न्यूनतम व्यय कार्यक्रम और कामका कार्यक्रम करने के लिए ठेकेदार अपने आप को वचनवद्ध करेंगे ;

(3) वार्षिक बजट और संचालन का कार्यक्रम का प्रबन्धकों की संयुक्त समिति जिन में ठेकेदार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन किया जाएगा ;

(4) अन्वेषण तथा विकास संबंधी लागत ठेकेदार द्वारा वसूल की जाएगी जो अधिक से अधिक तेल के वार्षिक उत्पादन की 40 प्रतिशत तक होगी जो अनुबन्ध की इस शर्त पर 'लागत तेल' समझी जाएगी कि निवेश का परिशोधन किसी भी हालत में चार वर्षों से कम तक का न हो। शेष "मुनाफे का तेल होगा" जो निम्नतम उत्पादन स्तर पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 65 प्रतिशत और ठेकेदार को 35 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाएगा, इसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए धीरे धीरे बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा ;

(5) ठेकेदार भारत की तेल सम्बन्धी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुनाफे के तेल के अपने हिस्से के कुछ भाग की रियायती सप्लाई करेगा। करारों की मुख्य बात यह है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सभी लागत तेल तथा ठेकेदार के हिस्से का मुनाफे का तेल (उसके सिवाय जो रियायती दरों पर सप्लाई किया जायेगा) उचित बाजार मूल्य पर प्राप्त करेगा जब तक कि भारत तेल की सप्लाई में आत्म-निर्भर नहीं हो जाता ;

(6) ठेकेदार द्वारा 'मुनाफे के तेल' के माध्यम् से अपने निवेश का दुगुणा प्राप्त कर लेने के बाद, मुनाफे में से ठेकेदार के हिस्से में उसके जो उस पाइन्ट तक होता है लगभग 25 प्रतिशत तक भारी कमी हो जायेगी ;

(7) वाणिज्यिक खोज पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उद्यम् के 10 प्रतिशत तक भाग ले सकता है और ठेकों के लागू होने की तारीख, जो 1 अगस्त, 1974 है, से 11 वर्षों के बाद आपसी करार द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को संचालन सम्बन्धी कार्य के स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है ;

(8) गैस के बारे में प्रथम तरजीह भारतीय बाजार के लिये होगी, और

(9) करार में भारतीय व्यक्तियों को अधिकतम करने तथा उनके प्रशिक्षण एवं तुलनात्मक कीमत, कोटि तथा प्रेषण कार्यक्रम की शर्त पर भारतीय सामग्रियों, सेवाओं आदि के अधिकतम प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है।

(10) करार, जो 27 तथा 24 वर्षों की अवधियों के लिये हैं, 1 अगस्त, 1974 से लागू होंगे ।

आसाम के गाले की निक्षेपों से कच्चे तेल का उत्पादन

*32. **श्री मोलाना इसहाक सम्भली**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में 1968 में पता लगाने गये गाले की निक्षेपों से कच्चा तेल निकालने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या वहां पर 100 कुंएं लगा करके कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख टन की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है ;

(ग) क्या सोवियत रूस ने इस प्रयोजन के लिए कुओं के मशीनीकरण, उनके रखरखाव भाप बिजली संयंत्र के लिए और विशेष इनेमल कास्टिंग वाले कम्प्रैशर पाइप के लिए जिनसे पैराफीन निक्षेप विलुप्त होते हैं, के लिए उपकरण देने का प्रस्ताव किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय निश्चित रूप में कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

(ग), (घ) तथा (ङ) सोवियत रूस ने विशेषकर गेलेकी क्षेत्र के लिए कोई उपस्कर देने की पेशकश नहीं की है । आयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तेल उपस्कर, जैसे कि मोबाइल स्टीम एकक कम्प्रेशरण, वाशिंग यूनिट प्रोडक्शन टयूबिंग एनामल कोटेड टयूबिंग आदि और अन्य हाथ के उपकरण रूस से मंगाए गए हैं । यह देखने के लिए कि पैराफीन निक्षेप कम हो सकता है एनामेल कोटेड पाइप को परीक्षाणात्मक आधार पर असम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना है ।

हाल की रेलवे हड़ताल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

***33. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की रेलवे हड़ताल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ख) रेलवे के कार्यकरण में सामान्य स्थिति उत्पन्न करने और लाभप्रदता लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) हाल के हड़ताल द्वारा रेल परिवहन में जो गड़बड़ी पैदा हुई उससे न केवल रेलवे को नुकसान हुआ बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा । लेकिन, अर्थव्यवस्था पर किस सीमा तक इसका असर पड़ा इसका निर्धारण करना अभी सम्भव नहीं है ।

(ख) 28 मई को अवैध हड़ताल वापस लेने के तत्काल बाद रेलों के कार्य में पुनः स्थिरता लाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाये गये । इसके अलावा, रेल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की जा चुकी है ।

न्यायधीश आर० एस० नरूला की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के पद पर नियुक्ति

***34. श्री दिनेश जोरदर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश पी० सी० पंडित ने न्यायाधीश आर० एस० नरुला की उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) श्री आर० एस० नरूला को मुख्य न्यायाधीश चुने जाने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां :

(ख) गुण और उपयुक्तता ।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

*35. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना में केरल में कुछ रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर जोर डाल रही है ;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) केरल राज्य में रेल लाइनों के बिजलीकरण से सम्बन्धित परियोजनाओं की अर्थ-क्षमता का पता लगाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन किये गये हैं । लेकिन, भारी पून्जी निवेश तथा यातायात की मात्रा कम होने के कारण इन खण्डों का बिजलीकरण वित्तीय दृष्टि से फिलहाल औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है ।

पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु जांच आयोग

*36. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु जांच आयोग गठित किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के कुछ उपबन्धों में परिवर्तन करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये जा रहे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : पश्चिम-बंगाल सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन राज्य मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के विरुद्ध उनके शासकीय कार्य के संबंध में किये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक जांच आयोग नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया है । इसलिए कि किसी को आयोग के समक्ष मिथ्या और तुच्छ आरोप न लगाने दिए जायें और कोई दण्डित हुए बिना न रहे, राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि आयोग को ऐसी शक्तियां दी जायें कि वह शपथ पर मिथ्या साक्ष्य के अपराध पर संक्षिप्त रुप से विचारण कर सके और अपराधी को कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सके, या दोनों से दंडित कर सके । उसने यह भी प्रस्ताव

किया है कि आयोग को भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179 और 180 के अधीन लोक-सेवकों द्वारा किए गए कुछ अपराधों पर संक्षिप्त: विचारण करने की शक्ति की जाए।

चूंकि अध्यादेश का प्रयोजन केवल आयोग को कुछ अपराधों पर संक्षेपत: विचारण करने के लिए प्राधिकृत करना था, अत: इस तथ्य से कि आयोग इस सीमित प्रयोजन के लिए कुछ न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करता है, इस प्रतिपादना में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयोग तथ्य की खोज करने वाला निकाय है।

तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश के प्रख्यापन के पुर्व संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई थी।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायधीशों के स्थानान्तरण के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

*37. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग द्वारा अपनी 14वीं रिपोर्ट में की गई इस सिफारिश पर कोई निर्णय किया है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का किसी निश्चित कार्यविधि के पश्चात् एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये निर्णय का स्वरुप क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विधि आयोग द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Break in service due to Railway Strike

*38. **Shri G.P. Yadav :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Ministter of **Railways** be pleased to state :

(a) the number af employees. Zone-wise who got a break in their service as a result of the Railway strike in May, 1974;

(b) the number of class III and class IV employees among them ;

(c) the number of cases being considered sympathetically; and

(d) the reasons for treating the rest of the cases in a different way ?

The Minister of Railways: (Shri L.N. Mishra) ; (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Railways	No. of employees one-wise who got a break in their service as a result of the Railway strike in May, 1974
Central .	65,602
Eastern .	1,15,868
Northern . . .	38,453
North-Eastern . .	17,506
Northeast Frontier .	65,000
Southern .	65,115
South Central	43,748
Sotuth Eastern	78,869
Western . . .	72,581
Chittaranjan Loco, Works	10,483
Diesel Loco Works	5,934
Integral Coach Factory	12,000

(*b*) to (d) : Statistics regarding breaks in service of class III and class IV employees have not been maintained class-wise. Representations for condonation are still being received from Zonal Railways and so far 60,000 cases have been dealt with and breaks in service condoned. Each case is decided on its merits.

पश्चिम बंगाल में भारत-जर्मन उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम

*39. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में भारत-जर्मन कम्पलेक्स उर्वरक उत्पादन परियोजना के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निश्चित उद्देश्य क्या हैं ?

(ग) क्या जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार द्वारा उक्त परियोजना को निःशुल्क सप्लाई किये गये ए० एन० पी० कम्पलेक्स उर्वरक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ;

(घ) यदि हां, तो उर्वरकों की पोषण-क्षमता क्या है ; और

(ङ) यदि उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे किसानों में जिन को उर्वरकों की अत्यन्त आवश्यकता है उक्त उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने के कार्य में स्वयं को सम्बद्ध करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में एक भारत-जर्मन उर्वरक शिक्षा-संबंधी परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(ख) परियोजमा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) किसानों के बीच काम्पलैक्स उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना।

(ii) उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देना।

(iii) उर्वरकों की खपत, जो अब बहुत कम है, के स्तर को बढ़ाना।

(iv) कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।

(ग) से (ङ) तक : परियोजना के अन्तर्गत सप्लाई किये गये ए० एन० पी० का पोषक अंश 20 % नाइट्रोजन तथा 20 % पी$_2$ ओ$_5$ है। यह एक स्वीकृत बनावट है यह भारत सरकार के उर्वरक नियन्त्रण आदेश में निर्धारित मानकों के अनुरुप भी है।

सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच रेल सेवा को बन्द करना

*40. **हाजी लुत्फल हक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1974 से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच रेल सेवा बन्द कर दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस मार्ग पर रेल सेवा अभी भी प्रारम्भ नहीं की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सिलीगुड़ी-जलपाई गुड़ी मार्ग में सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच की मीटर लाइन-छोटी लाइन तथा न्यू जलपाईगुड़ी और जलपाई-गुड़ी के बीच की बड़ी लाइन शामिल है। 1-3-1974 से 10 घंटे की ड्यूटी लागू करवाने के लिए लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने के कारण कारुवर्ग की कमी होने से न्यू जलपाईगुड़ी-जलपाईगुड़ी बड़ी लाइन खंड पर चलने वाली सभी तीन जोड़ी गाड़ियां रद्द करनी पड़ी। यद्यपि 11-4-74 से 2 जोड़ी गाड़ियां फिर से चालू कर दी गयी थीं लेकिन उन्हें रेल हड़ताल के कारण 8-5-74 से फिर बन्द करना पड़ा। अब 31-5-74 से यह दो जोड़ी गाड़ियां फिर चला दी गयी हैं। जैसे ही वर्तमान कठिन स्थिति में सुधार होगा, तीसरी जोड़ी गाड़ी को भी फिर से चलाने पर विचार किया जायेगा।

सिलीगुड़ी-न्यू-जलपाईगुड़ी खंड पर, आजकल, मीटर लाइन की 5 जोड़ी गाड़ियां और छोटी लाइन की 2 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। न्यू जलपाईगुड़ी/सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली बकाया एक जोड़ी गाड़ियों को फिर से चलाने के प्रश्न पर म न समाप्त हो जाने के बाद वि र किया जायेगा।

प्रत्येक डिवीजन में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों के लिये न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले

191. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रानेन सेन :

श्री राम रतन शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल कर्मचारियों की डिवीजनवार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) क्या इन मामलों का निपटान होने तक इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इन में से किसी कर्मचारी को बरखास्त किया गया है या सेवा से हटाया गया है अथवा उनकी सेवा समाप्त की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हाल ही में हुई रेल हड़ताल से पहले तथा हड़ताल के दौरान डवीजनवार/वर्कशापवार बर्खास्त किये गये, सेवा से हटाये गये या सेवा मुक्त किये गये स्थायी कर्मचारी

192. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**

श्री रानेन सेन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुई रेलवे हड़ताल के दौरान और उससे पहले डिवीजनवार वर्कशापवार बर्खास्त किये गये, सेवा से हटाये गये अथवा सेवामुक्त किये गये स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से किसी को ड्यूटी पर वापस लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जिन स्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया अथवा नौकरी से हटाया गया, उनकी संख्या 11247 है । मण्डलवार और कारखाने-वार आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जिन कर्मचारियों को अब तक ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है, उनकी संख्या 2484 है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे सिब्बन्दी संहिता के नियम 149 के अन्तर्गत सेवा से निकाले गये अस्थायी कर्मचारियों की डिवीजनवार संख्या

193. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**

श्री रानेन सेन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हड़ताल के दौरान रेलवे सिब्बन्दी संहिता के नियम 149 के अन्तर्गत डिवीजनवार और वर्कशापवार कितने अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया :

(ख) क्या उनमें से किसी कर्मचारी को सेवा में वापस लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया अथवा जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयीं, उनकी संख्या 5502 है। मण्डलवार अथवा कारखानेवार आँकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) जिन कर्मचारियों को अब तक ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है, उनकी संख्या 2674 है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल की खपत में कमी

194. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :–

(क) क्या नवम्बर, 1973 से अब तक देश में पेट्रोल की खपत कम हो गई है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ;

(ख) कितने पेट्रोल की बचत हुई है ; और

(ग) इसमें से उर्वरक, उत्पादन के लिये कितना लिया गया है, क्या देश में उसी अनुपात में उर्वरक का उत्पादन बढ़ा है और यदि नहीं, तो इस फालतू भंडार का इस समय किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खॉं) : (क) जी, हां। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नवम्बर, 73 से जुन 74 के दौरान हुई कमी की प्रतिशतता 21.9 रही है ।

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना इन महीनों में कुल खपत लगभग 242,000 मीटरी टन कम थी । उर्वरकों के उत्पादन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त नेफ्था का उत्पादन करने के लिये शोधनशालाओं के उत्पादन में उपयुक्त रूप से समंजन किया जाता है । इस अवधि के दौरान सभी उर्वरक संयंत्रों की नेफ्था की मांग पूर्ण रूप से पूरी की गई थी ।

ओ० पी० ई० सी० के महासचिव द्वारा तेल के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

195. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का ध्यान मई के अन्तिम सप्ताह में मियाना में ओ. पी. ई. सी. के महासचिव द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों को भविष्य में तेल के लिए और अधिक मूल्य देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसमें हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी, हां,

(ख) और (ग) : इस समय उपरोक्त विषय के विवक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

गुजरात में फिलामेन्ट यार्न संयंत्र स्थापित किया जाना

196. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :–

(क) क्या सरकार ने गुजरात पेट्रोलियम रसायन उद्योग समूह में फिलामेंट यार्न संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र देश में वास्तविक बुनकरों की सहकारी समितियों के सहयोग से संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया जायेगा ;

(ग) आरम्भ में उसकी क्षमता क्या होगी और उसमें कितना विस्तार हो सकेगा ; और

(घ) उसमें कुल कितनी पुंजी लगाई जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) से (घ) एक पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्रोजैक्ट जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 3500 मी. टन प्रतिवर्ष है तथा 7000 मी. टन प्रतिवर्ष तक जिसे बढ़ाया जा सकता है को बड़ोदा में स्थापति किया जा रहा है। यह निश्चय किया गया है कि 60:40 के आधार पर भारत सरकार तथा सहकारिता क्षेत्र के बीच प्रत्यक्ष साम्यपूंजी सांझेदारी के साथ एक पृथक सहकारिता समिति स्थापित की जाए। सहकारिता समिति के शीघ्र पंजीकृत होने की सम्भावना है। प्रायोजना की संशोधित अनुमानित लागत 24.76 करोड़ रुपये है। इस पर सरकार विचार कर रही है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड (ग्वालियर) के कार्यकरण की जांच

197. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग से मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड ग्वालियर जिसका सौराष्ट्र कैमिकल्स एक डिवीजन है के कार्यकरण की जांच करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आयोग को कौन-कौन से मामले भेजे हैं ; और

(ग) अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 27 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के लिये, दिनांक 22 मई, 1974 को किये गये निदेश की प्रति, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल. टी. 8012/74]

(ग) जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड ने कथित निदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्चन्यायालय में व्यावहार लेख प्रस्तुत कर दिया है। न्यायालय ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को 12 अगस्त, 1974, जब इस मामले पर इसके द्वारा सुनवाई की जायेगी, तक रोक दिया है।

भारतीय रेल सिब्बन्दी संहिता में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा शर्तों के बारे में उपबन्ध

198. श्री एच० एन० मुखर्जी :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री डी० के० पन्डा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल सिब्बन्दी संहिता में नैमितिक श्रमिकों की सेवा शर्तों के बारे में कोई उपबन्ध हैं ; और

(ख) मियाभाई न्यायधिकरण ने इन नियमों में किन परिवर्तनों का सुझाव दिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। किन्तु भारतीय रेल स्थापना नियमावली में इस तरह की व्यवस्था है।

(ख) एक विवरण संलगन है।

विवरण

रेल श्रम अधिकरण 1969 ने, जिसकी नियुक्ति स्थायी वार्तातंत्र के अधीन की गयी थी नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

"4.26 (4) (I) अस्थायी हैसियत अर्जित करने के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि छ: महिने के विजाय चार महीने निश्चित की जानी चाहिये।"

"4.26 (4) (II) यदि कोई नैमित्तिक श्रमिक 31 मार्च को स्वत: समाप्त होने वाले निर्माण कार्यो पर नियुक्त हो, तो उसकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा वशर्ते कि उस काम के लिए बाद में मन्जूरी मिल जाये और नैमित्तिक श्रमिक, जिन्हें काम पूरा करने के लिए

लगाया जाये, वही हो और बशर्ते कि किसी भी नैमित्तिक श्रमिक को अस्थाई रेल कर्मचारी की हैसियत से अर्जित करने से वंचित करने के लिए किसी कार्य पर काम करने से रोका नहीं जाना चाहिये ।"

"4.26 (5) अनुसूचित श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए नियमावली के वर्तमान उपबन्ध को निकालकर उसके बदले एक नयी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिसे अनुसूचित श्रमिक मजदूरी के भुगतान के मामले में अनुसुचित श्रमिकों के समान स्तर पर आ जायें अर्थात यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अनुसूचित श्रमिकों को भी या तो स्थान दर मिले या उसके सुलभ न होने पर वेतन मान दर मिले यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि इन दरों में से प्रत्येक दर न्यूनतम से कम हो तो अनुसूचित श्रमिकों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निश्चित द्वारा की गई न्यूनतम मजदूरी मिलेगी ।"

"4.26 (6) --परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में नियमावली में की गयी व्यवस्था में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि ऐसी व्यवस्था हो जाये कि ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को भी वेतन-मान दर के स्थानीय दर से अधिक होने की दशा में, वेतन-मान दर दी जायेगी बशर्ते कि परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों को छ: महीने की निरंतर अवधि के लिये उसी किस्म के काम पर लगाया जाये यह स्पष्ट किया जाता है इस निर्णय के फलस्वरूप किसी परियोजना नैमित्तिक श्रमिकों को न तो अस्थाई कर्मचारी की हैसियत मिलेगी और न ही उसे किसी भावी वेतन-वृद्धि का लाभ मिलेगा।"

उपयुक्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और रेल प्रशासन को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी पदों पर लगाने के लिये संवर्ग का पुनर्विलोकन

199. श्री एच० एन० मुकर्जी :

श्री के० एम० मधुकर :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी पदों पर लगाने के लिये संवर्ग का पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो 3,20,000 नैमित्तिक श्रमिकों में से कितने स्थायी पदों पर लगाय जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : संवर्ग का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है और नियमित पदों पर नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित करना समय-समय पर खाली होने वाले पदों की संख्या पर निर्भर करता है। 70,000 नैमित्तिक श्रमिकों को पहले ही नियमित पदों पर समाहित किया जा चुका है ।

हड़ताल से पहले रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की स्वीकार की गई मांगे

200. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

श्री एस० ए० गुरुगनन्तम :

श्री सूरज पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल से पहले बातचीत के दौरान रेलवे कर्मचारियों की कितनी मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और तत्संम्बन्धीं ब्योरा क्या है।

(ख) इन में से प्रत्येक मांग से रेलवे कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति में क्या सुधार हुआ है; और

(ग) क्या उन रियायतों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दी गयी रियायतें इस प्रकार है :—

(i) मियाभाय निर्णयों को पूर्णतय लागू करना।

(ii) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियौं की संवर्ग समीक्षा और उनका ग्रेड बढ़ाना।

(iii) वेतन आयोग की सिफारिशों के भीतर कार्य मूल्यांकन।

(iv) वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिये समिति की नियुक्ति !

(v) नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित कतिपय नीतियां।

(vi) 300 से अधिक परिवारों वाली रेलवे बस्तियों में उचित मूल्य की दूकानें खोलना।

(ख) कर्मचारियों को प्रति वर्ष लगभग 80 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा यह लाभ उन्हें पदोन्नति के बेहतर अवसरों, अधिक परिलीबिधयों, बेहतर सुविधाओं, आदि के रूप में प्राप्त होगा।

(ग) उत्तर के भाग (क) की मद (i), (v) और (vi) के सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी गयी हैं। जहां तक मद (ii) का सम्बन्ध है रेल कर्मचारियों की संवर्ग संरचना की शीघ्र समीक्षा करने के लिए उपाय किये जा चुके है। मद (iii) के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। जहां तक मद (iv) का सम्बन्ध है, विसंगति समिति का गठन किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने के लिये समिति के निदेश पद

201. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने के लिये समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार ने विनिश्चय किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशों की परिधि के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के लिये कार्य-मूल्यांकन किया जाये। इसका ब्योरा तैयार किया जा रहा है जिसके पश्चात तकनीकि विशेषज्ञों की मदद से उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जायेगा ।

(ख) जिन विषयों पर विचार किया जाना है, वे अभी निश्चित नहीं किये गये हैं।

बम्बई में मिट्टी तेल की खपत

202. **श्री रेणपद दास :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस देश में मिट्टी के तेल की कुल खपत का आधे से अधिक भाग इंधन के रूप में वृहत्तर बंबई में ही खर्च हो जाता है ;

(ख) देहातों में गरीब लोगों को घर में रोशनी करने के लिए कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया जाता है ; और

(ग) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये मिट्टी के तेल का कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या कसौटी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) (क) ज़ी हां।

(ख) जलाने और खाना पकाने के लिये तथा ग्रामिण व शहरी क्षेत्रों के लिये मिट्टी के तेल की सप्लाई के कोई पृथक से आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रत्येक राज्य को भट्टी तेल के लिए मासिक कोटा आंवटित की गई है। राज्य सरकारों इनका जिलोंके लिये आगे पुनः आंबटन करती है। जिला अधिकारीयों को ग्रामिण और शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का साम्य वितरण सुनिश्चित करना होगा ।

तेल की खोज के लिए कुछ विदेशी फर्मों के साथ करार

203. श्री धनादि चरण दास :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री एम० कत्तामुत्तु :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कच्छ के समुद्री तट के निकट समुद्र में तेल की खोज के बारे में 24 मई, 1974 को ओप्लाहोमा की रिड़िंग एण्ड वेटस आफ शार ड्रिलिंग कम्पनी और उनके मंत्रालय के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक अन्य अमरीकी कंपनी लास एंजिलस की 'दि कार्ल्स वर्ग पैट्रोलियम कारपोरेशन के साथ मई, 1974 में पहले हस्ताक्षर किये गये और समझौते के समान ही इस करार की बातें है, और ।

(ग) उक्त दोनों कम्पनियों द्वारा कब तक खोज कार्य प्रारम्भ कर .दये जाने की संम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) व्यापक रूप से वही शर्तें हैं ।

(ग) 1–8–74 से ठेके लागू होंगे ।

गत रेल हड़ताल के दौरान मुअत्तिल किये गये, बरखास्त किये गये तथा नजर बन्द रेल कर्मचारी

204. श्री राम कंवर :
श्री आर० बी० बड़े :
श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुक्तियार सिंह मलिक :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री सूरज पाण्डे :
श्री रानेन सेन :
श्री समयर गुह :
श्री एन० ई० होरो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 8 मई से आरम्भ हुई रेलवे हड़ताल में सब रेलों मे कितनें रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया ;

(ख) कितने रेलवे कर्मचारियों को जोनवार तथा शापवार, (एक) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, (दो) सेवा से बरखास्त किया गया, (तीन) मुअत्तिल किया गया (चार) सेवा-मुक्त किया गया, (पांच) रेलवे कुवार्टरों से निकाला गया, और (छ) अन्य रूप से सजा दी गई ;

(ग) अब तक काम पर लौटने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कितने रेलवे कर्मचारियों को अभी भी काम पर लौटना है ; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के विरूद्ध विशेष आरोप सरकार ने लगाये है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हड़ताल के दौरान किसी दिन अधिकतम अनुपस्थित 5,91,159 रही ।

(ख) एक विवरण संलगन है जिसमें सूचना दी गयी है ।

(ग) बरखास्त/सेवा मुक्त या पुलिस की हिरासत में या निलम्बित कर्मचारियों को छोड़ कर उपस्थिति सामान्य है ।

(घ) अवैध हड़ताल में भाग लेने का समान्य परिणाम सेवा भंग है। उन कर्मचारीयों के विरूद्ध, जिन्होंने तोड़फोड़, हिंसा और डराने धमकाने के कामों में हिस्सा लिया था, प्रवर्तमान नियमों और कानूनों के अधीन कार्यवाही हो रही है ।

विवरण

रेलें	विभिन्न कानूनों के अधीन गिरफ्तार कर्मचारी	बरखास्त/सेवामुक्त कर्मचारी	निलम्बित	रेलवे क्वाटरों से निकाले गये	अन्यथा दण्डित
मध्य	1,573	1,701	984	कोई नहीं	183
पूर्व	1,196	2,585	316	कोई नहीं	56
उत्तर	2,465	1,389	1,208	26	68
पूर्वोत्तर	822	826	860	7	27
पूर्वोत्तर सीमा	730	3,336	97	1	4
दक्षिण	2,138	530	212	कोई नहीं	35
दक्षिण मध्य	1,466	707	कोई नहीं	कोई नहीं	3
दक्षिण पूर्व	1,978	2,089	1,935	कोई नहीं	49
पश्चिम	6,922	3,507	3,431	कोई नहीं	252
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	49	44	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
डीजल रेल इंजन कारखाना	411	11	402	कोई नहीं	कोई नहीं
सवारी डिब्बा कारखाना	133	24	107	कोई नहीं	कोई नहीं

पेट्रोल व्यापारियों द्वारा सेवा शुल्क लिया जाना

205. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक स्थानों पर पेट्रोल व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अतिरिक्त 3–4 प्रति लिटर सेवा शुल्क लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) । (क) और (ख) : यह सूचना मिली है कि देश के अनेक भागों में पेट्रोल डीलर 2 से 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 'सेवा शुल्क' ले रहे हैं । तेल कंपनियों को यह आदेश दिये गए हैं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि तेल के मूल्यों पर कोई अनधिकृत शुल्क न लगाया जाये ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि

207. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 से विदेशी तेल कम्पनियों को अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हाल ही में उनमें और वृद्धि करने की कोई नई मांगें प्रस्तुत की गई हैं तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन मूल्यों और सरकारी हिसाब में आयोजित अशोधित तेल के मूल्यों में क्या अन्तर है; और

(घ) यदि नई मांग को स्वीकार कर लिया जाये तो आयात के खर्च में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : विदेशी तेल कम्पनियों, खाड़ी क्षेत्र में अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण अशोधित तेल जो वे देश में आयात करती हैं के मूल्य में वृद्धि करने की मांग कर रही है । 1–1–74 से इन मांगों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है । कम्पनियों को, उनके द्वारा विशेष आयात को रखने क लिये उनके द्वारा मांगी गई दर पर विदेशी मुद्रा दी जा रही है ।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियां अपने सप्लाई करने वालों के साथ मूल्य निर्धारण के आधार पर भारत में अशोधित तेल का आयात करती है । भारतीय तेल निगम ने अशोधित तेल के आयात के लिये कुछ तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ करार किये हैं । आयात किये जाने वाले अशोधित तेलों का मूल्य बतलाना निगम के वाणिज्यिक हित और लोक हित में नहीं है ।

(घ) मूल्य के उतार चढ़ाव में अनिश्चियता को ध्यान में रखते हुए, इस समय आयात बिल में संभव वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

विवरण

तिथि	बर्मा शैल (लाइट ईरानियन)	ऐस्सो	काल्टैक्स	
31-12-1973	डालर 4.258/ बेरल	डालर 3.582/ बेरल (अमेरिकन मिक्स)	डालर 4.258/ बेरल (लाईट ईरानियन)	
1-1-1974	डालर 9.12/ बेरल	डालर 8.29/ बेरल (अरेबियन मिक्स)	डालर 9.12/ बेरल (लाईट ईरानियन)	अस्थायी मूल्य
8-2-1974	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	डालर 8.75/ बेरल (अरेबियन लाईट)	अस्थायी मूल्य
1-3-1974	डालर 9.75/ बेरल	डालर 9.27/ बेरल (अरेबियन मिक्स)	डालर 9.50/ बेरल (अरेबियन लाईट)	अस्थायी मूल्य
17-5-1974	कोई परिवर्तन नहीं	डालर 9.56/ बेरल (अरेबियन मिक्स)	कोई परिवर्तन नहीं	अस्थायी मूल्य
15-7-1974	डालर 9.75 बेरल (अस्थायी)			

विभिन्न उर्वरक एककों में उर्वरकों का उत्पादन

208. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी विभिन्न उर्वरक एककों में गत तीन वर्षों में निर्धारित उत्पादन क्षमता की तुलना में हुए वास्तविक उत्पादन की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) लाइसेंस प्राप्त अथवा विस्तार को अनुमति प्राप्त नये एककों का व्यौरा क्या है तथा उन्हें किन किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा तथा उनकी क्षमता और पूंजी परिव्यय कितनी होगी ;

(ग) निर्माणाधीन एककों के नाम क्या हैं और उनमें कब तक उत्पादन कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) देश की कुल मांग को पूरा करने के लिये उर्वरक की क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने तथा उर्वरकों का आयात रोकने के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) : संलग्न विवरण पत्र i, ii, iii में सूचना दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए सं० एल० टी० 8013/74]

(घ) वर्ष 1978–79 तक उर्वरक उत्पादन के स्तर को चार मिलियन मीटर टन नाइट्रोजन और 1.2 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ तक बढ़ाने के लिये, उर्वरक उत्पादन की क्षमता में 6.5 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1.74 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । उपरोक्त वर्ष तक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान 5.2 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 1.8 मिलियन मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ का है । क्योंकि उर्वरकों के देशीय उत्पादन तथा योग में अंतर रहेगा, इसलिए अतिरिक्त उर्वरक क्षमता बढ़ानी होगी इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुके हैं जिन पर विचार किया जा रहा है

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी

209. श्री विजयपाल सिंह :

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गत कुछ महीनों से मिट्टी का तेल मिलना बहुत कठिन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये घरेलु खपत हेतु मिट्टी के तेल का कितना कोटा दिया गया है; और

(घ) मिट्टी के तेल का नियंत्रण मूल्य क्या है और क्या इसे चोर बाजार में बेचा जा रहा है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में परचून बिक्री के लिये मिट्टी के तेल का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । जबकि कुछ राज्यों से समय समय पर कमी होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान देहाती क्षेत्रों से आम कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य को हर महीने प्रपुंज कोटा दिया जाता है । तथापि उपलब्धि में कमी होने के कारण मिट्टी के तेल का आबंटन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया

जाना संभव नहीं हो सका है । जुलाई 74 में 30 प्रतिशत की कटौती लगानी पड़ गई थी । जुलाई 74 के लिये दिया गया राज्यवार वास्तविक कोटा इस प्रकार है :–

(मीटरों में आंकड़े)

राज्य	कुल
असम	6,031
अरुणाचल प्रदेश	6
मिजोरम	75
नागालैन्ड	142
मेघालय	494
मणिपुर	365
त्रिपुरा	658
अंदमान	21
पश्चिमी बंगाल	14,993
बिहार	10,018
उड़ीसा	4,038
गुजरात	16,360
राजस्थान	5,211
हरियाणा	3,112
चन्डीगढ़	382
हिमाचल प्रदेश	441
पंजाब	9,081
आंध्र प्रदेश	13,881
उत्तर प्रदेश	18,061
मध्य प्रदेश	8,491
महाराष्ट्र	37,370
	+1,000
गोआ	751
केरल	6,700
पांडीचेरी	387
कर्नाटक	9,615
तमिलनाडु	19,083
जम्मू एवं कश्मीर	1,030
देहली	5,273

(घ) मिट्टी के तेल के मूल्य मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियमित किया जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है और इसलिये इस में स्थान स्थान पर भिन्नता है। मिट्टी के तेल की चोर-बाजारी पर नियन्त्रण रखने के लिये राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं।

उर्वरक उत्पादन के काम आने वाले नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि

210. श्री के० मालन्ना :
श्री मान सिंह भौरा :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन के काम आने वाले सभी प्रकार के नेफ्था के मूल्य को बढ़ा कर 486.31 रुपये प्रति टन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य प्रयोजनों के लिये काम आने वाले नेफ्था का मूल्य 1,000 रुपये प्रति टन ही रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या उर्वरक के मूल्यों में कोई पुनरीक्षण करने का सरकार का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) :

(क) जी हां।

(ख) उर्वरकों के लिये नेफ्था का मूल्य, अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि प्रतिबिम्बित करने के लिये 1.6.74 से प्रति बैरल 8.48 डालर तक बढ़ाया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) तीन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों अर्थात्, यूरिया अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम नाइट्रेट का मूल्य हाल ही में 1-6-74 से बढ़ाया गया था जिससे उस तिथि से नेफ्था के मूल्य में वृद्धि हुई। मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली बम्बई जनता एक्सप्रेस के भोजन यान के मैनेजर की हत्या

211. श्री के० मालन्ना :
श्री डी० पी० चन्द गौडा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बम्बई जनता एक्सप्रेस के भोजन यान के मैनेजर की एक सशस्त्र रक्षक द्वारा 22 मई, 1974 को बहुत निकट से हत्या कर दी गई थी; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) गोधरा की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और अपराधी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है।

अशोधित तेल के आयात के लिए करार

212. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री राजा कुलकर्णी :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अशोधित तेल के आयात सम्बन्धी करार दिये गये हैं ;

(ख) क्या इससे देश की इस वर्ष की अशोधित तेल की आवश्यकता पूरी हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त करारों से सप्लाई की स्थिति में कहां तक सुधार होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) (ख) और (ग) भारतीय तेल निगम के पास अशोधित तेल के आयात के लिए ईरान, ईराक और साउदी अरेबिया की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ वाणिज्य करार हैं। निजी तेल कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले और अपने संविदागत प्रबन्धों के अन्तर्गत मद्रास शोधनशाला द्वारा किए जाने वाले आयात सहित यह आयात अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि अशोधित तेल की उपलब्धता की समस्या नहीं है वरन् उसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के पश्चात् आशोधित तेल के आयातों की ऊंची विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने की है।

हाल ही की रेलवे हड़ताल से हानि

213. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री आर० वी० बड़े :
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री पी० गंगादेव :
श्री एम० एस० संजीवीराव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री निहार लास्कर :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री बसन्त साठे :
श्री हरिकिशोर सिंह :
श्री राम रतन शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की रेलवे हड़ताल के कारण सरकार को हुई कुल हानि की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं : और

(ख) उक्त हानि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे को लगभग 60 करोड़ रूपयों की हानि उठानी पड़ी और यह हानि मुख्यत: निम्नलिखित मद्दों में हुई :–

(i) उत्पादन में हानि

(ii) रेलवे राजस्व की हानि

(iii) आपात्कालीन व्यवस्थाओं पर खर्च और

(iv) रेल सम्पत्ति को क्षति ।

(ख) वर्ष के शेष भाग में परिचालन में सुधार करने तथा अतिरिक्त यातायात ढ़ोकर रेलें आमदनी में हुई हानि को यथासम्भव पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगी ।

समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ सहयोग

214. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पी० गंगादेव :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तट से दूर कुछ क्षेत्रों में तेल की खोज करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ सहयोग करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों के साथ कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) जी, हां । जिन पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है उनके नाम बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

(ग) बंगाल बेसिन के लिए कार्ल्स बर्ग इण्डिया ग्रुप, और कच्छ बेसिन के लिए रीडिंग एण्ड बेट्स ग्रुप के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए है ।

ठेके की मुख्य शर्तें, आज (23-7-74) के उत्तर दिये जा रहे तारांकित प्रश्न संख्या 30 के लिए सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र में दी गई है ।

फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार का प्रस्ताव

215. **श्री सी० जर्नादनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) : फैक्ट ने कोचीन प्रायोजना के तृतीय चरण के विस्तार के साथ साथ अपने उद्योग मंडल एक में उत्पादन के विविधीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव किए हैं। विविधीकरण कार्यक्रम में मैथनौत, सोडा-राख तथा अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन किया जाना निहित है जबकि कोचीन प्रायोजना के विस्तार में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन करना निहित है। प्रस्तावों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना

216. **श्री सी० जर्नादनन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने देश के दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी के तेल के अपने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा दिये गये सलाह के आधार पर भारतीय तेल निगम ने सम्पूर्ण देश में उद्योग के आधार पर फुटकर केन्द्रों के माध्यम से मिट्टी के तेल की बिक्री करने के लिए एक योजना बनाई है। अन्य बातों के साथ साथ योजना में दक्षिणी क्षेत्र में कूएं के रूप में निश्चित स्थलों की व्यवस्था है । इस पद्धति में तेल कम्पनियों ने कुछ कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है तथा नीति में परिवर्तन का सुझाव भी दिया है। इन बातों की जांच हो रही है।

1970 से उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अपीलों की सुनवाई की प्रतीक्षा करने वाले जेल में बन्द व्यक्ति

217. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अपीलों की सुनवाई की प्रतीक्षा करने वाले जेल में बन्द व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन अपीलो को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय को कोई निदेश जारी किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1 जलाई, 1974 को, जेल में बन्द और अपनी अपीलों पर सुनवाई की प्रतीक्षा करने वाले सिद्ध दोषों की कुल संख्या 748 है। इनके अतिरिक्त, ऐसे 14 व्यक्ति की (दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा की गई अपीलों में प्रत्यर्थी), जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए अजमानतीय वारण्टों के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, जेल में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं; किन्तु, उच्चतम न्यायालय में दांण्डिक अपीलों की सुनवाई में शीघ्रता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) एक बैंच की, या तो अनन्य रूप से दाण्डिक अपीलों की सुनवाई के लिए, या दाण्डिक के साथ-साथ ऐसी सिविल अपीलों की सुनवाई के लिए, सदैव व्यवस्था की जाती है जिन्हें शीघ्रता से सुने जाने का विशेष रूप से निदेश दिया गया हो।

(2) मृत्यु दण्डादेश वाली अपीलें, पक्षकारों को एक सप्ताह की सूचना देकर सुनवाई के लिए दैनिक बोर्ड पर लाई जाती हैं ;

(3) विशेष रूप से निर्दिष्ट सिविल अपीलों पर विशेष रूप से निर्दिष्ट दाण्डिक अपीलों को पूर्विकता दी जाती है।

कलकत्ता में भूमिगत रेल परियोजनाओं का रुसी शिष्टमंडल द्वारा अध्ययन

218. **श्री बनमाली बाबू :**

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेल परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये एक रूसी शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमंडल के साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त शिष्टमंडल अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगा और परियोजना का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन परियोजना की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने में रूसी पक्ष की कठिनाईयों को दूर करने के लिये जून, 1974 में, एक आठ सदस्यीय रूसी तकनीकी शिष्टमंडल भारत आया था जिसके अध्यक्ष रूस के परिवहन एवं निर्माण मंत्रालय के सुरंग एवं उपमार्ग विभाग के प्रधान थे।

(ख) अतिथि शिष्टमंडल ने मुख्यतः कलकत्ते की भूमिगत परियोजना के निर्माण के लिये अपेक्षित सामान और उपस्करों की सप्लाई की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया।

(ग) रूसी शिष्टमंडल द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जानी है। लेकिन 24-8-74 को भारत सरकार (रेल मंत्रालय-रेलवे बोर्ड) तथा अतिथि शिष्टमंडल ने एक संदेश पर हस्ताक्षर किया यह संलेख मुख्यतः भण्डार एवं उपस्करों की सप्लाई की विनियमों से संबन्धित है।

परियोजना का काम पहले ही प्रारम्भ हो चुका है और वह प्रगति पर है।

कोयली उद्योग समूह के पैराक्सीलीन प्लांट के कम्प्रैसर का बन्द हो जाना

219. **श्री वाई० ईश्वर रैड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयली उद्योग समूह में पैराक्सीलीन प्लांट का कम्प्रैसर बार-बार बन्द हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) पैराजाइलीन संयंत्र सितम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया गया था इस यूनिट के रेफ्रिजरेशन प्लांट में एक मुख्य कम्प्रेशर चालू होने के तुरन्त बाद खराब हो गया था और 'रोटर एस्सम्बलीं' को लगभग सितम्बर, 1973 के मध्य में हवाई जहाज द्वारा पश्चिमी जर्मनी को ले जाना पड़ा था । इस यूनिट को नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह के दौरान पुनः चालू किया गया था और कार्य करने के 130 घंटों के पश्चात्, कम्प्रैशर फिर खराब हो गया था जिसके परिणामस्वरूप पैराजाइलीन संयंत्र बन्द हो गया था । कम्प्रैशर की मुरम्मत करने के बाद इस यूनिट को पुनः चालू किया गया था किन्तु कुछ ही मिन्टों में नवम्बर, 1973 के अन्त में कम्प्रैशर तीसरी बार खराब हो गया था । रोटर तथा बयरिंगज को एक बार फिर मुरम्मत के लिये हवाई जहाज द्वारा पश्चिमी जर्मनी ले जाया गया था । बार बार खराबियां होने के कारणों का भारतीय पैट्रो-रसायन निगम के विदेशी सलाहकारों, कम्प्रैशर के निर्माताओं और आचेन विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर द्वारा पूर्ण अध्ययन किया गया था । भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड/इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर भी पूर्ण रूप से सम्बन्द्ध थे । रोटर तथा बयरिंगज में कुछ संशोधन करने के बाद, कम्प्रैशर मार्च 1974 में पुनः चालू किया गया था और बिजली आदि की खराबियों के कारण फार्मूला काम बंदी को छोड़ कर पैराजाइलीन यूनिट तब से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड ने बीमे की तरह फालतू पुर्जे के रूप में दो अतिरिक्त रोटर तथा एक और कम्प्रैशर प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है ।

रेलवे हड़ताल का मुकाबिला करने के लिये खर्च की गई धनराशि

220. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये राजस्व से हुई हानि के अतिरिक्त कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त धनराशि किस प्रकार खर्च की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) स्थिति से निपटने के लिये 188.09 लाख रुपये खर्च किये गये हैं । इस रकम में राज्य सरकार द्वारा रेलपथ पर गश्त व्यवस्था का खर्च जिसकी वास्तविक देनदारियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, शामिल नहीं है ।

(ख) यह रकम रेलपथ पर गश्त और अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध आदि जैसी आपात व्यवस्थाओं पर खर्च की गयी थी ।

संयुक्त अरब इमीरात द्वारा भारत को अशोधित तेल तथा ऋण संबंधी सुविधायें देने की पेशकश

221. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब इमीरात ने भारत को अशोधित तेल बेचने तथा ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : यूनाइटेड अरब एमीरेट के कच्चे तेल की सप्लाई एंव उसकी शर्तों के बारे में प्रारंभिक विचार-विमर्श हो रहा है । कार्रवाही जारी है ।

Proposal to change the Names of Patna City Station and Patna Junction.

† 222. **Shri Ramavtar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have recommended that the names of Patna City Station and Patna Junction may be changed as Patna Saheb and Patliputra respectively; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) A proposal to change the name of Patna City and Patna to 'Patliputra' was received by the Government from the Government of Bihar in January, 1968. Recently another proposal has been received from the Government of Bihar suggesting that the name of Patna City be changed as 'Patna Saheb'.

(b) As regards changing of name of Patna and Patna City to 'Patliputra', the matter was referred back to the State Government in August, 1968 to clarify the proposal to give the same name to Patna & Patna City which were stated to be two areas at a distance of about 7 miles from each other. since there was no reply from the State Government, the matter was treated as closed by the Home Ministry.

As regards change of name of Patna City to 'Patna Saheb', the same is under active consideration of the Government.

Scheme to Expand Patna Junction

† 223 **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme to expand the Patna Junction;

(b) if so, the broad features thereof;

(c) the amount of expenditure Government propose to incur thereon; and

(d) the date by which Government propose to impliment the said scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (d) : Yes. The following works costing about Rs. 55 lakhs have been included in the Budget for 1974-75 as phase I:—

(i) 2 washing lines with pits, raised platforms and washing and charging facilities at the site where the Governor's platform is located at present.

(ii) A new Booking Office and circulating area on the south side of the station.

(iii) A 16 ft. wide foot-overbridge from the south side giving connection to all the existing platforms and also to the north side of the station.

(iv) Shifting of the offices in the existing station building to the first floor and extension of 3rd class waiting hall.

The work will be started in 1974-75 and completed in about two years time.

Construction of Rail-cum-Road Bridge in front of Digha near Patna

† **224. Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are conducting a survey for constructing a rail-cum-road bridge in front of Digha at Patna;

(b) if so, the time by which the work is likely to be completed; and

(c) the expenditure proposed to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) A rail bridge is being surveyed in the vicinity of Patna.

(b) The survey is in progress and is likely to be completed in about 15 months' time.

(c) Rs. 15 lakhs is the anticipated cost of the survey. The cost of the construction of the bridge can be estimated only after the completion of the survey.

इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (आई) धनबाद की कथित गिरफ्तारी के बारे में प्रतिवेदन

225. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री इंस्पैक्टर आफ वर्क्स (आई) धनबाद की कथित गिरफ्तारी के बारे में 18 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या जनरल मैनेजर, पूर्व रेलवे, कलकत्ता द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच समिति के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, पूर्व रेलवे, धनबाद के बीच लिखित समझौते के प्रत्येक मद को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जांच समिति की रिपोर्ट अभी हाल में पेश की गयी है ।

(ख) रिपोर्ट की अभी भी जांच की जा रही है ।

(ग) रिपोर्ट की पूरी तरह से जांच हो जाने के बाद ही कार्रवाई की जायेगी ।

Furniture and Material for Government Residences of Judges of Supreme Court

†226. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Law, Justice and Comyany Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chief Justice and other judges of Supreme Court of India would be provided free furniture, material for decoration and electric appliances of superior quality for their Government residences; and

(b) the value of these items to be provided to the Chief Justice and other judges, separately?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) & (b) In accordance with the provisions of the Constitution of India and the Supreme Court Rules, 1959, every Judge of the supreme Court is entitled without payment of rent to the use of a furnished official residence. Consequent on the rise in the cost of furniture etc., the monetary ceiling for furniture/furnishings provided free of rent at the official residences of the Chief Justice and other Judges of the Supreme Court of India which was last fixed in 1966 at Rs. 30,000 and 20,000 have been raised recently to Rs. 38,500 and Rs. 30,000 respectively.

Ticket Money Refunded to Passengers due to Strike in Railways in Northern Railways

227. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the total amount of ticket money refunded to passengers as a result of railway strike in May, 1974 and cancellation of trains by Government in Northern Railways?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

The amount refunded to passengers over Northern Railway as a result of Railway strike and cancellation of trains in May 1974 was Rs. 18·94 lakhs.

Sale Proceeds of Passengers and Platform tickets during May 1974 in Northern Railway

228. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the respective sale proceeds of the railway passenger and platform tickets in the Northern Railway from 8th May to 11th May, 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi).

The information is being collected and will be placed on the Table of the sabha as soon as possible.

Employees participated in strike and reported for duty in Northern Railway.

†229. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary employees in the Northern Railway at present.

(b) the number of employees who participated in the Rail strike which began on the 8th May, 1974; and

(c) the number of employees who were attending their duties during the strike period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Total number of employees in Northern Railway	2,05,686
(b) Total number of employees who took part in strike	38,453
(c) Number of employees who are attending their duties, during strike periods	1,67,233

खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा बफादार कर्मचारियों से हाथापाई किया जाना

230. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हड़ताल वापिस लिये जाने के शीघ्र बाद बड़ी संख्या में हड़ताली रेलवे कर्मचारियों ने खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में बफादार कर्मचारियों के साथ हाथापायी की और दो पुरूष तथा दो महिला कर्मचारियों को वस्त्रहीन कर उन्हें घुमाया और ।

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां 28-5-74 को 122 कर्मचारियों को, जो अपने काम पर डटे रहे और जिनमें 2 महिला कर्मचारी शामिल हैं, बइज्जत किया गया ।

(ख) इन घटनाओं में शामिल 60 कर्मचारियों में से जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, 54 को सेवा से वर्खास्त कर दिया गया है। 6 कर्मचारियों को पुलिस ने छोड़ दिया था और पुलिस से बरी होने पर उन्हें ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है।

हड़ताल के दौरान यात्री तथा माल यातायात सम्बन्धी रेलवे को हानि

231. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री अरबिन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जवेदा :
श्री कृष्ण अग्रवाल :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हड़ताल की अवधि के दौरान यात्री तथा माल यातायात दोनों के सम्बन्ध में रेलवे को हुई पृथक पृथक जोनवार क्षति का अनुमान लगाया है ;

(ख) तोड़फोड़ के कारण कितनी क्षति पहुंची ; और

(ग) तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 2.70 लाख रुपये।

(ग) 162 व्यक्ति। 160 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले तफतीश/इस्तगासे और मुकदमों के अलग-अलग चरणो में चल रहे हैं। जो दो बाहारी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे वे भी सिद्ध कये जा चूके हैं और उन्हें 6 महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है।

विवरण

मई, 1974 की हड़ताल के कारण हुई राजस्व की हानि

(हजार रुपयों में)

रेलवे	भाड़ा	किराया	जोड़
मध्य	30,556	33,786	64,342,
पूर्व	36,176	40,353	76,529
उत्तर	33,100	48,400	81,500
पूर्वोत्तर	8,000	7,000	15,000
पूर्वोत्तर सीमा	11,531	7,100	18,631
दक्षिण	19,600	12,700	32,300
दक्षिण मध्य	4,903	9,972	14,875
दक्षिण पूर्व	–	–	100,800
पश्चिम	23,078	38,400	61,470
कुल जोड़			4,65,455

आमदनी में हुई इन हानियों के अलावा उत्पादन तथा कानून और व्यवस्था, प्रादेशिक सेना के युनिटो और यातायात को बनाये रखने के लिए किये गए विशेष प्रयासों पर हुए खर्च आदि जैसे कई अन्य कारणो से भी हानि हुई है। हड़ताल के दौरान हुई कुल हानि का अनुमान लगभग साठ करोड़ रुपये लगाया गया है।

चार राष्ट्रीयकृत बैंको के बही खातों की जांच

232. **श्री डी० डी०देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने चार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बही खातों की इन शिकायतों के आधार पर जांच करने का कार्य आरम्भ किया है कि उनकी दी गई मुआवजे की राशि का अंशधारियों में वितरण नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत इण्डियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, मद्रास बैंक आफ बड़ौदा लिमिटेड, बड़ौदा, देना बैंक लिमिटेड, बम्बई और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड कलकता की लेखा बहियों के निरीक्षण का आदेश दे दिया गया है। ये भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियाँ हैं जिनके बैंकिंग व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(ख) निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

आयल इण्डिया द्वारा आसाम में तेल कूपों से अधिकतम उत्पादन

233. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया, मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में संगणक (कम्प्यूटर) के उपयोग के द्वारा आसाम तथा देश के अन्य भागों में तेल कूपों के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है ;

(ख) 'पारामीटर्स' मिट्टी की किस्म और अन्य बातों से सम्बन्धित क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या आयल इण्डिया ने इस संगणक (कम्प्यूटर) के द्वारा लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा बचायी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां जहां तक असम तथा अरुणांचल क्षेत्रों में आयल इंडिया के 'पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस' (पी ई एल) तथा 'माइनिंग लोज' (एम एल) का संबंध है। आयल इंडिया लिमिटेड के पास देश के अन्य भागों में कोई और पी० ई० एल० अथवा एम० एल० नहीं है।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड ने एक विदेशी पार्टी से एक 'रिर्जेव्वायर सिम्यूलेशन सिस्ट्म' (कम्प्यूटर कार्यक्रमों सहित) की खरीद की थी। इसे अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के संगणक (कम्प्यूटर) में संतोषजनक ढ़ंग से स्थापित तथा इसका परीक्षण किया गया है। यह कार्यक्रम कई पारामीटर्स/अन्य तथ्यों से संबंधित है जिस में संयोग से भूमि की किस्में शामिल नहीं है।

(ग) इस '3-डायमेन्शनल 3-फेज माडल' की सहायता से सतह के नीचे हाइड्रो कार्बन भण्डारों के गत निष्पादन का अनुकरण करना और कुछ विश्वास के साथ इसके आगामी निष्पादन के बारे में भविष्यवाणीं करना संभव है। इस से भंडार के उचित प्रबन्ध करने, निवारण उपायौं के अपनाने फ्लुइड इंजकेशन कार्यक्रमो आदि में सहायता मिलेगी जिनका उद्देश्य देश की मूल प्राप्ति को अधिकतम करना है।

(घ) जी हां।

(ङ) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदा गया सिम्यूलेशन माडल भारत में इस समय उपलब्ध एक बहुत ही जटिल कम्प्यूटर कार्यक्रम से संबंधित है और आयल इंडिया लिमिटेड को भारत में उपलब्ध सब से बड़े कम्प्यूटरो के साथ कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। गत वर्ष के अन्त में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मद्रास) कम्प्यूटर पर 'सिम्यूलेशन माडल' के सफलता-पर्वक स्थापित किये जाने से कार्य के विदेशों से करवाये जाने की जरूरत नहीं रही थी।

रेल कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के कारण जन घंटों की हानि

234. श्री पी० वेंकटासुब्बाया :

श्री धामनकर :

श्री बसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कितने जन घंटों की हानि हुई तथा सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि उठानी पड़ी ; और

(ख) रेलवे में बार-बार हड़ताल होने से रोकने तथा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) जन घंटों की हानि से सम्बनधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ii) रेलों को लगभग 60 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है।

(ख) रेलों में स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तन्त्र के रूप में सभी विवादों को सुलझाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है और कर्मचारियों की शिकायतों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

कोयले के नये मूल्यों के कारण रेलवे के खर्च में वृद्धि

235. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के नये मूल्यों के कारण रेलवे के खर्च में 15 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस खर्च को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । 1974-75 में कुल ईंधन बिल (शुद्ध) में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि होगी ।

(ख) लगभग 15.9 करोड़ रुपये ।

(ग) इस बढ़े हुए खर्च को संसद् द्वारा ईंधन पर खर्च के लिए स्वीकृत अनुदान के अंतर्गत पूरा करने का यथा सम्भव हर तरह से प्रयास किया जायेगा । जितनी अतिरिक्त धन-राशि की आवश्यकता समझी जायेगी उसके लिए पूरक अनुदान द्वारा संसद् की मंजूरी के लिए मांग की जाएगी ।

रेलवे कर्मचारी नेता श्री पाल द्विवेदी की कानपुर में पुलिस हिरासत में मृत्यु

236. **श्री एन० ई० होरो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेलवे कर्मचारी नेता श्री पाल द्विवेदी की, जो भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, 22 मई, 1974 को कानपुर में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) श्री द्विवेदी को 15 मई, 1974 से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था । उन्हें 20 मई को रेलवे अस्पताल, कानपुर में दाखिल किया गया परन्तु बाद में इलाज के लिए लखनऊ के मैडिकल कालेज अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया गया, जहां 22 मई, 1974 को 13.30 बजे उनकी मृत्यु हो गयी । न्यायिक जांच से पता चला कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई ।

यद्यपि श्री द्विवेदी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारण्ट था तथापि अस्पताल में मृत्यु होने से पहले वह वास्तव में पुलिस की हिरासत में नहीं थे ।

हावड़ा तथा सियालदह रेलवे स्टेशनों (पुर्व रेलवे) में टिकटों की बिक्री से अर्जित आय

237. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 मई, 1974 को पूर्व रेलवे में हावड़ा तथा सियालदह रेलवे स्टेशनों में यात्री टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय प्राप्त हुई ; और

(ख) 8 मई, 1974 से 27 मई, 1974 तक, तिथि-वार, पूर्व रेलवे के हावड़ा तथा सियालदह स्टेशनों में यात्री टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय प्राप्त हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 7-5-1974 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर यात्री टिकटों की बिक्री से वसूल हुई कुल रकम इस प्रकार थी:

हावड़ा 66,570.00 रुपये

सियालदह 12,612.00 रुपये

(ख) 8-5-1974 से 27-5-1974 तक पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर यात्री टिकटों की बिक्री से कुल आय तारीखवार इस प्रकार थी :–

तारीख	हावड़ा	सियालदह
	रु०	रु०
8-5-1974	10,062.00	313.00
9-5-1974	22,662.00	111.00
10-5-1974	25,378.63	612.00
11-5-1974	38,049.00	1,251.00
12-5-1974	73,487.00	2,334.00
13-5-1974	1,01,466.00	5,455.00
14-5-1974	1,00,872.00	2,895.00
15-5-1974	58,853.00	1,532.00
16-5-1974	1,44,242.00	10,938.00
17-5-1974	1,48,115.00	14,586.00
18-5-1974	2,38,998.00	12,351.00
19-5-1974	2,07,960.00	16,102.00
20-5-1974	2,30,966.00	34,281.00
21-5-1974	1,85,301.00	39,547.00
22-5-1974	2,82,278.00	45,165.00
23-5-1974	2,80,978.00	45,866.00
24-5-1974	2,20,913.00	41,096.00
25-5-1974	3,26,910.00	49,660.00
26-5-1974	3,40,641.00	58,924.00
27-5-1974	3,12,086.00	50,215.00

M/P(D)1LSS—7

माल की ढुलाई म कमी

239. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में रेलवे में माल की ढुलाई में भारी कमी ग्राई है ।

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी हुई है ग्रौर इसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) उक्त हानि को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1974-75 के पहले तीन महीनों में राजस्व उपार्जक माल यातायात में कमी हुई है। यह कमी पिछले वर्ष की इसी ग्रवधि तथा बजट में रखे गये पूर्वानुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 46 लाख ग्रौर 118 लाख मीटरिक टन हुई है । यह कमी मुख्यतः ऐसे कारणों स हुई जो रेलों के नियन्त्रण से बाहर थे जैसे हड़तालों का तांता लग जाना, 'धीमे काम करो,' ग्रौर 'नियमानुसार काम करो' सार्वजनिक ग्रौर श्रमिक ग्रांदोलन, बंद, खाद्यानों ग्रौर दालों की ग्रामद में कमी, बिजली की कटौती के फलस्वरूप ग्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का न होना ग्रौर ग्रंत में मई, 1974 में ग्रखिल भारतीय रेलवे हड़ताल का हो जाना । इस से गाड़ियों के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा ग्रौर रेलों पर बहुत से माल डिब्बों का संचालन रूक गया ।

(ग) जैसे जैसे संचालन स्थिति सामान्य होती जा रही है इस हानि का पूरा करने के लिये पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

बिहार को मिट्टी के तेल की सप्लाई

240. **श्री जगन्नाथ मिश्र** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान महीने-बार बिहार को मिट्टी के तेल का कितना ग्राबंटन किया गया है ;

(ख) क्या ग्राबंटित कोटे के ग्रनुसार बिहार को मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई है;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मिट्टी के तेल का ग्राबंटन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार से कोई ग्रनुरोध प्राप्त हुग्रा है; ग्रौर

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) गत 6 महीनों के दौरान बिहार राज्य को मिट्टी के तेल का आबंटन व सप्लाई निम्न प्रकार रही :–

(आंकड़े मी० टनों में)

माह	आबंटन	सप्लाई
जनवरी, 74	11,009	12,346
फरवरी, 74	10,396	13,039
मार्च, 74	10,925	11,006
अप्रैल, 74	9,478	13,772
मई, 74	9,400	10,656
जून, 74	9,555	अभी उपलब्ध नहीं

इससे स्पष्ट है कि आबंटन की अपेक्षा सप्लाई अधिक हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एवं (ङ) जी, हां । जून, 74 में 895 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई ।

ड्यूटी पर उपस्थित होने की अनुमति न दिये जाने वाले नैमित्तिक और स्थानापन्न श्रमिकों की डिवीजनवार और शापवार संख्या

241 **श्री झारखंडे राय**
श्री इसहाक सम्भली
श्री सूरज पांडे
: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैमित्तिक और स्थानापन्न ऐसे श्रमिकों की डिवीजन वार और शापवार संख्या कितनी है जिन्हें रेलवे की हाल ही की हड़ताल के दौरान और उसके बाद ड्यूटी पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई अथवा जिन्हें सेना से निकाल दिया गया;

(ख) क्या उसमें से किसी कर्मचारी को इस बीच ड्यूटी पर लौटने दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़ताल के दौरान काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को डिवीज़नवार तथा वर्कशापवार हड़ताल वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा ग्राय पुरस्कार

242. **श्री झारखंडे राय**
श्री इसहाक सम्भली
श्री सूरज पांडे
श्री वसन्त साठे
श्री वामनकर
: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मई, 1974 को रेलवे में हुई हड़ताल के दौरान, डिवीजन-वार तथा वर्कशाप-वार कितने कर्मचारियों ने काम किया था;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें डिवीजन-वार, तथा वर्कशाप-वार, वेतन-वृद्धि, पदोन्नति तथा ग्रन्य पुरस्कार दिये गये हैं; ग्रौर

(ग) ऐसे परस्कार किन नियमों के ग्रन्तर्गत दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ग्रौर (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकार ने उन रेल कर्मचारियों की निष्ठावान सेवा को मान्यता देने का विनिश्चय किया है जो हिंसा ग्रौर डराने धमकाने के बावजूद ग्रपने काम पर डटे रहे ।

सभी रेलवे यूनियनों को एक यूनियन में पुर्नगठित करने का प्रस्ताव

243. **श्री झारखंडे राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे यूनियनों को एक यूनियन में पुर्नगठित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय ने एक यूनियन बनाने के बारे में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि यह योजना तैयार हो गई है, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; ग्रौर

(घ) क्या ट्रेड यूनियनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ग्रौर (ख) भारतीय रेलों पर श्रम सम्बन्धों पर 4–2–1974 को हुए सम्मेलन में श्रम सम्बन्धों के सम्पूर्ण मसले पर मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों ग्रौर चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ ग्रनौपचारिक विचार-विमर्श हुग्रा था ग्रौर एक ग्राम राय बनी थी कि सभी रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल एक यूनियन होनी चाहिये । यदि, ध्येय की प्राप्ति के लिये, 'गुप्त मत पत्र' का सिद्धान्त ग्रपनाया जाता है तो यह ग्रच्छा रहेगा । सरकार इस विचार को मूर्त रूप देने की इच्छुक थी लेकिन पश्चाद्वर्ती घटनाग्रों ग्रौर हड़ताल के कारण इस संबंध में प्रगति रूक गयी । सरकार श्रमिकों की मदद से इस विचार को भूर्तरूप देने का प्रयत्न जारी रखेगी ।

(ग) ग्रौर (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रूपसा रेलवे स्टेशन पर खड़े माल डिब्बे

244. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल से भरे 114 से अधिक माल डिब्बे एक महीने से भी अधिक समय से रूपसा रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं तथा प्लेटफार्म से इधर-उधर नहीं हटाये गये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उन्हें इतनी अधिक अवधि से वहां रोके जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस त्रुटि के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ; और

(घ) माल डिब्बों को कब तक हटाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मयूरभंज-तालबन्द (दक्षिण पूर्व रेलवे) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना :

245. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में मयूरभंज-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मयूरभंज ज़िले में रूपसा-तालबन्द दो छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक यातायात सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है । रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने और उसके परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस लाइन के बदलाव के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

वर्ष 1973–74 के दौरान उड़ीसा को माल-डिब्बों का आवंटन

246. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में उड़ीसा को उसकी मांग की तुलना में कुल कितने माल डिब्बों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में पारादीप-कटक लाइन में सप्लाई किये गये माल डिब्बे लोह-अयस्क को पतन पर पहुंचाने के लिये आवश्यकता से बहुत अधिक कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और राज्य की माल-डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973–74 में निर्यात के लिये पारादीप पत्तन को चौपहियों के हिसाब से लोह अयस्क के 60,845 माल डिब्बों का लदान किया गया जबकि लक्ष्य 1,18,182 माल डिब्बों का था ।

(ख) माल डिब्बों की सप्लाई मांग पत्रों से कम रही ।

(ग) इसके कारण कुछ ऐसे थे जो प्राय: रेलों के नियंत्रण के बाहर थे जैसे क्रमिक हड़तालें 'धीरे चलो अभियान', 'नियमानुसार काम' जन और श्रमिक आन्दोलन, बन्द, बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप औद्योगिक स्थिरता, बिजली की कमी, भारी मात्रा में बिजली की कटौती, मानसून के दिनों में भारी वर्षा के कारण लाइनों में टूट-फूट आदि। उत्तरोत्तर, काम की स्थिति फिर से सामान्य हो जाने के साथ-साथ निर्यात के लिये पारादीप को माल डिब्बे भेजे जाने की मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में पैसेंजर हाल्ट के कमीशन एजेंटों को दिया गया कमीशन

247. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के मयूरभंज नया गांव हाल्ट स्टेशन के कमीशन एजेंट तथा उसी रेलवे के अन्य पैसेंजर हाल्टों के कमीशन ऐजेंटों को कुल बिक्री के 15 प्रतिशत की दर से कमीशन अदा की गई है जिससे कि इस दर से उन्हें लगभग 150 रुपये की कमीशन प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस महीने से यह अदा की गई है और यदि नहीं तो उन्हें कुल बिक्री की 15 प्रतिशत की दर से कम अदायगी की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) हाल्ट एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन दर की समीक्षा करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी फार रेलवेमेन्स स्ट्रगल से वार्ता

248. **श्री एस० एस० मुरुगनन्तम**
श्री झारखंडे राय
श्री इसहाक सम्भली
: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों से बात-चीत करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं :

(ग) क्या नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी फार रेलवेमेन्स स्ट्रगल ने हड़ताली रेलवे कर्मचारियों के मामलों को निपटाने हेतु बातचीत आरम्भ करने का सरकार से अनुरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त रेलवे श्रमिक संगठनो के साथ बातचीत का मंच पहले से ही मौजूद है और इस ढांचे के बाहर बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

साबुन के मूल्यों में वृद्धि और इसकी कमी

249. **श्री एस० ए० मुरुसनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मई और जून, 1974 के महीनों में डीलरो ने साबुन के मूल्य बढ़ाये थे ;

(ख) क्या साबुन की कुछ किस्में बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों पर नियन्त्रण रखने और उसकी जमाखोरी रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) परचून विक्रेताओं द्वारा साबुनों के अधिक मूल्य लेने तथा बाजार में साबुनों की कुछ किस्मों की उपलब्धि में कमी होने की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ग) साबुन की कीमतों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। किन्तु एक अनौपचारिक करार के अन्तर्गत, इंडियन टायलेटरीज मेकर्स एसोसियेशन (आई० एस० टी० एम० ए०) संगठित क्षेत्र में निर्मित लांड्री, कार्बोलिक तथा स्टैन्डर्ड ग्रेड टायलेट साबुनों की कीमतो में कोई भी संशोधन करने से पहले सरकार से परामर्श करती है। आई० एस० टी० एम० ए० ने बताया है कि तेलो तथा चर्बीकी कीमतो में वृद्धि हो जाने के कारण संगठित क्षेत्र के उत्पादकों के लिये उत्पादन को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखना अलाभकर है। संगठित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र साबुनों के मूल्यो में वृद्धि किये जाने में आई० एस० टी० एम० ए० के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है। देश में साबुन का आधे से अधिक उत्पादन लघु पैमाने के क्षेत्र में किया जाता है जिस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

तिरुचीं जंकशन में रेलवे के डिब्बों को जोड़ने के कार्य में लगे एक कुली की मृत्यु

250. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नुरुथाई नाम के एक कुली जिसे रेलवे के डिब्बों को जोड़ने का कार्य करने को कहा गया था, 24 मई, 1974 को तिरुचीं जंकशन में काम करते समय मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मृत्यु के लिये कौन उत्तरदायी है ;

(ग) क्या रेलवे हड़ताल की अवधि के दौरान रेल गाड़ियों को चलाने के लिये ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों की भरती की गई थी ;

(घ) क्या सरकार ने मृतक कर्मचारी के परिवार को कोई मुआवजा दिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां मृतक का नाम नारुदयराज है ।

(ख) मृत्य अचानक हुई थी ।

(ग) जी नहीं कपलिंग श्री नारुदयराज 24-12-1971 से एवज़ी पोर्टर के रुप में काम कर रहे थे, और उनको कपलिंग पोर्टर के रुप में काम करने का पिछला अनुभव भी था ।

(घ) मृतक के परिवार को अनुग्रह-पूर्वक 200 रुपये दिये गये थे । इसके अलावा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की व्यवस्था की जा रही है ।

पूर्व तथा उत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की छंटनी, उनके मदन की कार्यवाही और उनको दिये गये आरोप

251. **श्री कमल मिश्र मधुकर**
श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान पूर्व और उत्तर रेलवे में कर्मचारियों की छंटनी की गई, कितनो के विरुद्ध दमन की कार्यवाही की गई तथा कितनों को आरोप पत्र दिये गये ; और

(ख) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों के इन मामलो पर पुन: सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) मुअत्तल किये गये और नौकरी से हटाये गये रेल कर्मचारियो की संख्या :

1. पूरर्व—2,585
2. उत्तर—1,329

(ii) रेल प्रशासन कर्मचारियों को परेशान नहीं करते ।

(iii) जिन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी उनकी संख्या :

पूर्व रेलवे—56
उत्तर रेलवे—68

(ख) कर्मचारियों को, की गयी कार्रवाई के विरुद्ध, अपील करने का अधिकार है और जब भी ऐसी अपीलें प्राप्त होती हैं, प्रत्येक पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

त्रिचूर के निकट हुई रेल दुर्घटनायें

252. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1974 को त्रिचुर के निकट हुई रेल दुर्घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें 55 यात्री घायल हो गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने उस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 27-5-74 को गाड़ी नं० 30 मंगलौर–कोच्चिन मालाबार एक्सप्रेस त्रिचूर में पायलट माल गाड़ी नं० ई जी 3 से टकरा गयी। इस दुर्घटना में 13 यात्री साधारण रुप से जख्मी हुए और 28 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी।

(ख) जी हां।

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि पायलट माल गाड़ी के इंजन से तीसरे नं० पर लगे माल डिब्बे की निर्वात होस पाइप के टूट जाने से गाड़ी अचानक खड़ी हो गयी और साथ ही तीखे मोड़ के कारण 30 एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर को दूर तक दिखाई भी नहीं दे सकता था।

मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान हुई दुर्घटनायें

253. **श्री भोला मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हड़ताल के दौरान कितनी दुर्घटनायें हुई और घायल व्यक्तियों और मृतकों के परिवारों को मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) ऐसी रेल दुर्घटनाओं अथवा रेलों के पटरी से उतर जाने के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 8 मई से 28 मई, 1974 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर 45 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जिनमें गाड़ियो में टक्कर होने पटरी से उतरने, समपार पर हुई दुर्घटनाएं और गाड़ियो में आग लगने की दुर्घाटनाएं शामिल हैं। इस अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले व्यक्तियो को भारतीय रेल अधिनियम तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया।

(ख) इन दुर्घटनाओ में जितनी रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंची उसकी लागत अनुमानतः 31,85,000 रुपये है।

हड़ताल के कारण रेलवे में लिपिकों तथा अन्य पदों पर भर्ती

454. **श्री भोला मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत रेलवे हड़ताल के दौरान रेलवे में लिपिकों तथा अन्य पदों पर कुछ व्यक्तियों की भरती की है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या विधिवत् रुप से विज्ञापन देने के बाद ही चयन किया गया था और

(घ) क्या इन व्यक्तियो को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) रेल मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि वफादार कर्मचारियो की सेवाओं को मान्यता दी जायेगी, उसके अनुरुप यह विनिश्चय किया गया कि श्रेणी III के प्रारम्भिक भर्ती ग्रेडो में 20 प्रतिशत रिक्त स्थानों को वफादार कर्मचारियो के पुत्रों और पुत्रियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। इस विनिश्चय को किस प्रकार अमल में लाया जाये, यह रेलो पर छोड़ दिया गया क्यूंकि प्रवरण केवल कर्मचारियो के बच्चो तक सीमित था इसलिये समाचार-पत्रो में विज्ञापन देना अनिवार्य नहीं था हालांकि रेलवे राजपत्रों में इसके सम्बन्ध में अधिसूचनाएं जारी की गयीं। यह भर्ती नियमित आधार पर की जा रही है लेकिन रेल सेवा आयोग इसकी जांच करेंगे।

इसके अलावा, कुछ रेलों को आयात सेवाएं चलाने के लिए बाहर से कुछ भर्ती करनी पड़ी थी। इसके लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे। यह भर्ती अस्थायी आधार पर की गयी है।

तेल की खोज के लिये छिद्रण रिगों का आयात

255. **श्री भोला मांझी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज में तेजी लाने के लिये छिद्रण रिगों का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनको उपयोग कहां किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेश से 11 रिगो के आयात हेतु आर्डर दिये हैं। इन रिगों के गुजरात, जम्मू और काश्मीर, गलेकी, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रयोग किये जाने की संम्भावना है।

पालिएस्टर फाइबर का उत्पादन और वितरण

256. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और1974 में अब तक पालिएस्टर फाइबर का एकक-वार उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने 1973 और 1974 में इसका उत्पादन करने वाले नेय एककों की अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) इन एककों का ब्यौरा क्या है और इनकी मंजूर की गई क्षमता क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इन सब पालिएस्टर फाइबर का निर्माण करने वाले एककों के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण रखे हुए हैं और यदि हां तो नियंत्रण करने सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क)

(मात्रा मीटरी टनो में)

	यूनिट का नाम	पोलियेस्टर फाइबर का उत्पादन		
		1972	1973	1974 जनवरी से अप्रैल
1	मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	6,604	6,547	23
2	जे के सैन्थेन्टिकस लि०, कोटा	569	913	143
3	इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड मद्रास	289	3068	383
	स्वदेशी पोलिटैक्स लि० गाजियाबाद	—	2,572	450
		7,462	13,100	999

(ख) और (ग) जी हां। क्षमता के पूर्ण उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत पोलिएस्टर फाइबर के उत्पादन के सम्बन्ध में अप्रैल, 1974 में एक वर्तमान यूनिट अर्थात् मैसर्स सैन्थैटिक्स लि० कोटा की लाइसेंसीकृत क्षमता में वृद्धि की गई है। मैसर्स कैलिको को स्वीकृत दूसरा यूनिट जो पहले अनुमोदित किया गया तथा जिसकी क्षमता 6,100 मी० टन प्रतिवर्ष है के 1974 के दौरात उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

(घ) जी नहीं।

भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्ति शाखा द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप

257. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 मई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार तथा कदाचार के सम्बन्ध में भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्ति शाखा द्वारा प्रस्तुत किये गये विशिष्ट आरोपों में से कौन-कौन से आरोप ठीक पाये गये और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार और कदाचारों के लिये किसी प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचता एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

गत तीन महीनों में समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई गाड़ियां

258. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या रेल मंत्री गत तीन महीनों में समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई गाड़ियो के बारे में 7 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9,388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 को समाप्त हुए तीन महीनो में कोयले की कमी, जन आन्दालन अथवा कर्मचारी हड़तालों के कारण गाड़ियों के 30 जोड़ो में से अलग से कितनी गाड़ियां रद्द की गई थीं और उसके आगे के तीन महीनों की स्थिति क्या है और उसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या गाड़ियों के नियमित रूप से चलने और अन्य दोषो को दूर करने की दृष्टि से रेलवे प्रशासन का विचार समस्तीपुर डिवीजन के लिये एन० ई० आर० मजदूर यूनियन (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध) के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों से युक्त संयुक्त सलाहकारी तन्त्र की स्थापना करने का है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चूंकी बिहार क्षेत्र में कर्मचारी हड़तालों/आन्दोलनों और सार्वजनिक आन्दोलनों का समस्तीपुर मंडल के शेड़ों में भेजे जाने वाले रेल इंजनो के कोयले के संचलन पर सीधा प्रभाव पड़ा था, इसलिए अलग से यह बताना सम्भव नहीं कि कोयले की कमी और आन्दोलनों के कारण कितनी सवारी गाड़ियां रद्द की गयीं। जून, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही में कर्मचारी हड़तालों/आन्दोलनों और कोयले की कमी के कारण समस्तीपुर में प्रतिदिन औसतन 40 जोड़े सवारी गाड़ियां रद्द की गयीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) गाड़ियो के समय-पालन आदि पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर पहले से ही उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान है ।

प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन का प्रस्ताव

259. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री कर्मचारियों की तीन फेडरेशनों के साथ बातचीत के बारे में 7 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9,389 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन बनाने के लिए उपायों की खोज में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक रेलवे में स्वीकार की जाने वाली एक यूनियन का प्रतिनिधि स्वरूप निर्धारित करने के लिए गुप्त मतदान के द्वारा जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी नहीं।

(ख) इस समय दो मान्यता प्राप्त संघ हैं और इस मामले में उनका दृष्टिकोण और सहयोग अपेक्षित है।

(ग) कार्य पद्धति के बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने में उत्पादन

260. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) इसमें पूरा उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा ;

(ग) क्या गोहाटी और बोनागांव तेल शोधक कारखानों को भारी हानि उठानी पड़ रही है ; और

(घ) इस हानि को दूर करने तथा उनको शुद्ध लाभ में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं। शोधनशाला के ईंधन खण्ड के शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है।

(ख) ईंधन खण्ड से पूर्ण उत्पादन के 1975 की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है और लूब खण्ड से 1975 के अन्त तक।

(ग) गोहाटी शोधनशाला में हानि नहीं हो रही है। बोंगेगांव शोधनशाला अभी तक चालू नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक के उत्पादन के लिये नेफ्था के मल्यों में वृद्धि

261. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक के उत्पादन के लिये नेफ्था के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत नीत वर्षों में कितना मूल्य बढ़ा है ;

(ग) उर्वरकों के उत्पादन के लिये नेफ्था का आरक्षित/आबंटित अनुपात क्या है ;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान महीना-वार इसका कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन के देशीय उत्पादन के लिये नेफ्था का उपयोग करने की बजाय इसका निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1-6-74 से उर्वरक उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाले नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में उर्वरक उत्पादन के लिये नैफ्था के मूल्यो में जो वृद्धि की गई वह निम्नलिखित है :–

लागू करने की तिथि	वृद्धि बम्बई से बाहर
	(रुपयों मी० टनो)
28-5-71	29.98
11-6-73	48.12
22-8-73	60.00
1-6-74	334.06

(ग) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये नैफ्था का विशिष्ट आरक्षण नहीं है। तथापि अब वर्तमान वर्ष में नैफ्था की कुल मांग में से उर्वरक उत्पादन के लिये लगभग 75 प्रतिशत माल का अनुमान है।

(घ) इस सूचना को बताना जन-हित में नहीं होगा।

(ङ) घरेलू मांगों को पूरा करने तथा शोधनशालाओं के सामान्य कार्यकरण को बनाएं रखने के पश्चात् ही आयात कार्य हाथ में लिया गया।

एटा स्थित डेरी की बिक्री के लिए हिन्दुस्तान और लीवर का आवेदन पत्र

262. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर मजदूर सभा के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया था कि हिन्दुस्तान लीवर की एटा स्थित डेरी की बिक्री के लिये उसके आवेदन-पत्र की पूरी तरह जांच की जायेगी ;

(ख) क्या डेरी की सहकारी आधार पर चलाने का यूनियन का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग में केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तात लीवर मजदूर सभा के प्रतिनिधियो को अपनी एटा डेरी को बेचने के कम्पनी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई बचन नहीं दिया है यूनियन से डेरी को सहकारिता के आधार पर चलाने का कोई भी प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने शेयरधारियों के अनुमोदन से एकक को मैसर्स पाल्सन लिमिटेड को बेचने का निर्णय किया था किन्तु बाद में प्रस्ताव पर कार्यवाही न करने का निर्णय किया।

तोड़फोड़ तथा सम्पत्ति की हानि से रेलवे को क्षति, निष्ठावान कर्मचारियों के जीवन की हानि आदि

263. **श्री वनमाली पटनायक**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान भारतीय रेलवे को तोड़फोड़ के कारण सम्पत्ति की क्षति और निष्ठावान कर्मचारियों के जीवन की हानि के कारण कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) हाल की रेलवे हड़ताल के कारण कर्मचारियों को वेतनों में कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) रेल सम्पत्ति की क्षति के फलस्वरुप रेलो को लगभग 66.43 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ii) रेल हड़ताल के दौरान मारे गये रेल कर्मचारियों की संख्या–एक

(ख) हड़ताल के फलस्वरूप, कर्मचारियो को लगभग 9 करोड़ रुपये के वेतन की हानि हुई है ।

बिजली की कटौती के कारण उर्वरक उत्पादन के हानि

264. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में बिजली की कटौती और बिजली के करेन्ट में घटा-बड़ी के कारण विभिन्न उर्वरक में उत्पादन की कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1973–74 के दौरान नाइट्रोजन के रूप में लगभग 1,30,000 मीटरी टन (लगभग 2.8 लाख मीटरी टन यूरिया के बराबर) ।

(ख) उर्वरक यूनिटों के लिये बिजली की पर्याप्त तथा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों का सहयोग तथा सहायता मिलती रही है और मिलती रहेगी ।

कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

265. **श्री भार्गवी तनप्कपन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा उनकी शिकायतों की जांच करने पर सहमत होने के बाद ही रेल कर्मचारियों ने हाल की हड़ताल समाप्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आंदोलन समाप्त किये जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । हड़ताल 28 मई 1974 को सुबह 6 बजे से बिना शर्त समाप्त कर दी गयी थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पेट्रोल पम्प

266. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 को केरल में भारतीय रेल निगम के कितने पेट्रोल पम्प थे;

(ख) वर्ष 1973–74 में कितने पेट्रोल पम्पों की स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) इन पेट्रोल पम्पो के आवंटन के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 167 ।

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान दो पेट्रोल पम्पों के लिये प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था ।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार डीलरों के दिये जाने वाले निगम के पेट्रोल पम्प (क स्थल) रक्षा मंत्रालय पुनर्वास के महानिदेशक की सिफारिशों पर अपंगु सैनिकों, युद्ध में गए सैनिको की विधवाओं/शाश्रितों को दिये जाने हैं, जहां पुनर्वास के महानिदेशक दिये गये स्थल के बारे में कोई नाम भेजने की सिफारिश करने में असमर्थ होते है, भारतीय तेल निगम कम आय परिवारों के बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों को डीलरशिप देने में तरजीह देने के लिय डीलरशिप का विज्ञापन देते है 1-1-1974 से 25 प्रतिशत डीलरशीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यो के लिये रखी जा रही है ।

उपरोक्त नीति के अनुसार इन दो पंट्रोल पम्पों का आबंटन किया जायेगा ।

केरल उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

267. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में जुलाई, 1974 को कितने मामले सुनवाई के लिये लम्बित हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये कोई स्कीम बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) केरल उच्च न्यायालय में 1 जुलाई, 1974 को 31,660 मामले (अन्तवर्ती आवेदनों सहित) सुनवाई के लिये लम्बित थे ।

(ख) (i) राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि स न्यायाधीशों की संख्या का पुर्नविलोकन करें ;

(ii) न्यायमूर्ति जे० सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की समिति ने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की वे सिफारिशें जो कि पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनके लिये नियम, कानन या विधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारी और उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिये भेज दी गई हैं ;

(iii) विधि आयोग ने सिविल मुकदमेबाजी में विलम्ब समाप्त करने या कम करने और उस द्वारा खर्च घटाने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया है । विधि आयोग की रिपोर्ट की जांच की गई थी और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिये एक विधेयक संसद् के विचाराधीन है ;

(iv) विधि आयोग में दण्डित मामलो में प्रक्रिया संबंधी विधि के संशोधन के लिये अनेक सिफारिशें की हैं इन सिफारिशौं पर आधारित एक नई दंड प्रक्रिया संहिता हाल ही में अधिनियमत की गई है।

केरल में 1974–75 में निर्माण किये जानें वाले उपरिपुल

268. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केरल में वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान कितने नए उपरिपुलों का तिर्माण किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1974–75 के दौरान केरल में तिरूनेलवेली-तिरूवनन्तपुरम-कन्या कुमारी की नई रेलवे लाइन पर 7 नये ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है । इस के अलावा 1974–75 के बजट म समपारो के बदले ऊपरी/निचले सड़क पलो के पिछले बकाया कार्यों के रूप में 11 कार्य शामिल किये गये हैं। ये कार्य योजना, स्वीकृति और कार्यान्वियन के अलग-अलग स्तर पर हैं ।

निष्ठावान कर्मचारियों को दिए नकद पुरस्कार पर खर्च की गई राशि

269. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या कितनी है जिन्हें हाल की हड़ताल के दौरान और उसके पश्चात नकद पुरस्कार दिये गये ;

(ख) कुल कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) क्या पुरस्कार की राशि निश्चित करने और जिन कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जायेगा उतकी पहचान करने के लिये कोई ऐजेंसी गठित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यातायात संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15 वर्षीय योजना

270. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की यातायात संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे बोर्ड ने 15-वर्षीय योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये एक 15 वर्षीय नियमित योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा तैयार की गयी है जिसमें 1988–89 तक की अवधि के लिये प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है। फिलहाल एक व्यौरेवार योजना तैयार की जा रही है जिसमें क्षेत्रीय रेलें भी शामिल हैं इसे अन्तिम रूप देने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लग जायेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में स्थायी कर्मचारियों की गिरफ्तारी, मुअत्तिली, बर्खास्तगी और सेवा-मुक्ति

271. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में हड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा कितने स्थायी कर्मचारी बर्खास्त, नौकरी से मुक्त तथा मुअत्तिल कर दिए गए थे ;

(ख) इस अवधि में सरकार ने कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था ; और

(ग) हड़ताल संबंधित अपराधों के लिये कुल कितने स्थायी कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्वोतर रेलवे पर हड़ताल की अवधि में 826 स्थायी रेल कर्मचारियों को बरखास्त और सेवा मुक्त किया गया और 860 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया।

(ख) 822.

(ग) 23.

मध्य रेलवे बम्बई डिवीजन में मोटरमैनों की गिरफ्तारी, निलम्बन और बर्खास्तगी

272. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन में कुल कितने मोटरमैन गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) उक्त डिवीजन में उपरोक्त कारण से कितने मोटरमैनों को निलम्बित किया गया और सेवा से बर्खास्त किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गिरफ्तार किये गये मोटरमैनों की कुल संख्या 55 है।

(ख) किसी भी मोटरमैन को निलम्बित और बरखास्त नहीं किया गया।

दिल्ली में रेल कर्मचारियों को उनकी कालोनियों से निकाला जाना

273. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रेल हड़ताल के दौरान दिल्ली में बहुत से रेलवे कर्मचारियों को उनकी कालोनियों से निकाला गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) केवल एक कर्मचारी को क्वार्टर से निकाला गया था, जिसे फिर से क्वार्टर में रहने की अनुमति दे दी गयी है ।

रेल कर्मचारियों की दी गई नई रियायतों के कारण रेल बजट में अतिरिक्त घाटे को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही

274. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस वर्ष के रेल बजट में रेल कर्मचारियों की हाल ही में दी गई रियायतों और महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1974-75 के अन्त में होने वाले अतिरिक्त घाटे का इस समय कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता । फिर भी, आशंका यही है कि बजट में प्रत्याशित 52.79 करोड़ रुपये का घाटा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से बढ़ जायेगा :—

(i) मंहगाई भत्ते में वृद्धि ;

(ii) रेल कर्मचारियों को दी गई रियायतें ; और

(iii) रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आमदनी की हानि ।

Shortage of Soap

275. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there has been an acute shortage of soap in the country for some time past;

(b) whether the prices of soap have increased considerably;

(c) whether the system of control was introduced for the supply of soap in May last in Guna and Gwalior, Madhya Pradesh in view of the said shortage; and

(d) if so, the cause of this shortage and the measures being adopted to remove it?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Reports of some shortage of soaps and of some dealers increasing the prices taking advantage of the scarcity condition have come to the notice of Government.

(c) Information is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the House.

(d) In case of soaps produced by the organised sector except the premium grade toilet soaps, there is an informal price control whereby the Indian Soaps and Toiletries Maker's Association consult Government before making any upward revisions in the prices. ISTMA have represented for increases in the prices of soaps on the ground that prices of oils and fats have significantly increased. In the last few months there has been some fall in production of soaps by the organised sector. ISTMA have stated that in view of the present unremunerative prices of soaps, they are unable to purchase adequate quantities of oils at the prevailing high prices. ISTMA's representation for increase in the soap prices is being examined by Government.

More than half of the soap production in the country is, however, by the small scale sector on which there is no price control. Further expansion in the capacity for production of laundry soaps is reserved for the small scale sector.

Government is encouraging the use of rice bran oil and minor seed oils such as sal, karanj, neem and mohwa in production of soaps and with this objective the excise rebate for use of the minor oils in soap production was substantially increased about a year ago. Government has also granted a number of fresh approvals for capacity for synthetic detergents. Synthetic detergents are also produced by the small scale sector.

Demand made by People of Shamgarh for providing a Shed at the Platform

276. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no shed at the platform of Shamgarh (Madhya Pradesh) Station on the Western Railway as a result of which the passengers experience much inconvenience during rains;

(b) whether the people of that area have demanded a shed there; and

(c) if so, the time by which the said demand is likely to be met?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is no shed at the platform of Shamgarh Station. However, for the convenience of passengers, covered accommodation by way of upper class waiting room and Second class waiting hall already exist.

(b) Yes.

(c) Covering over the platforms of the Stations are provided after taking into consideration the number of passengers offering at a particular Station and climatic conditions. Such works are included in the annual Works Programmes after they are selected by the Zonal Railway Users Amenities Committee based on the availability of funds.

Provision of platform shelter at Shamgarh Railway Station will be considered for inclusion in future year's Works Programmes in accordance with the said policy.

Electrification of Garot Station (Western Railway)

277. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made by the public for electrification, of the Garot Station on the Western Railway in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which the said demand would be met?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) No date can be fixed. The charges demanded by the Local Flectricity Supply Authority are too high inspite of request for less charges from the railways.

Construction work of Siaganj Bridge near Indore Railway Station

278. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the construction work of Siaganj bridge near Indore Railway Station in Madhya Pradesh was started;

(b) the expenditure proposed to be incurred by the Central and State Governments thereon, separately; and

(c) the time by which the said bridge is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The State Government started the work on the approaches to the bridge on 2-6-74. However, the apportionment of cost of the work between the State Government and the Railway is still to be finalised. Therefore, the estimate for railways' portion of work has not been sanctioned so far. Further action is in progress. The work is being planned for inclusion in the 1975-76 Budget of the Railway.

(b) The expenditure to be shared between the Railway and State Government is roughly Rs. 24·00 lakhs and Rs. 31·50 lakhs respectively.

(c) About 2 years from the commencement of work on the bridge.

रेल कर्मचारियों के नेता, श्री माल्गी की पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच

279. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के नेता, श्री माल्गी की मई, 1974 में हड़ताल आरम्भ होने से पूर्व पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या श्री माल्गी के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा अदा किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । हड़ताल शुरु होने से पूर्व 2-5-1974 को श्री माल्गी की मृत्यु हो गई थी ।

(ख) जांच-पड़ताल से पता चला कि उनकी मृत्यु नैसर्गिक थी ।

(ग) परिवार ने कोई मुआवजा नहीं मांगा और न ही इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय था ।

श्री माल्गी के दो पुत्र पहले ही रेल-सेवा में लगे हुए हैं ।

कानपुर में दो उपरिपुलों का निर्माण

280. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में पूर्व निर्णय के अनुसार दो उपरिपुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ; और

(ख) क्या राज्य सरकार व्यय के अपने अंश को देने को सहमत हो गई है और यदि हां, तो इन उपरिपुलों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) **पनकी स्टेशन पर ऊपर सड़क-पुल**—इस के लिए 27,90,484 रुपये के अनुमानित खर्च (रेलवे का हिस्सा 14,91,750 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा 12,98,734 रूपये) की मंजरी दे दी गई है ।

(ii) **कानपुर में मर्रे समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल**—इस के लिए 53,83,697 रुपये के अनुमानित खर्च (रेलवे का हिस्सा 16,08,182 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा 37,75,515 रुपये) की अभी मंजूरी नहीं दी गयी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की लागत की स्वीकृति नहीं दी है ।

(ख) (i) पनकी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की लागत वहन करना स्वीकार कर लिया है । यह काम हो रहा है और कुल मिलाकर 55 प्रतिशत काम हो चुका है ।

(ii) मर्रे समपार पर ऊपरी सड़क पुल का नाम अभी तक शुरु नहीं किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने हिस्से की लागत वहन करना स्वीकार नहीं किया है ।

हाल की हड़ताल के दौरान नियुक्ति अधिकारी से नीचे ओहदे वाले अधिकारियों द्वारा रेलवे कर्मचारियों की बर्खास्तगी

281. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की रेलवे हड़ताल के दौरान कुछ रेलवे कर्मचारी ऐसे अधिकारियों द्वारा बर्खास्त किए गए थे जो नियुक्ति अधिकारी से नीचे ओहदे वाले अधिकारी थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उन कर्मचारियों की बहाली के लिये आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के कुछ कर्मचारियों की बहाली के बारे में निर्णय

282. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश स्थित आई० डी० पी० एल० के वर्ष 1969 में सेवा से निकाले गये 12 कर्मचारियों को केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिये गये निर्णय के बाद इस बीच बहाल कर दिया गया है ;

(ख) क्या उन्हें उनकी एक-चौथाई मंजूरी अदा कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जी, नहीं । आई० डी० पी० एल० ने कुछ समस्याएं उठाई हैं जिनकी इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है । इस अवस्था में उक्त दस्तावेजों की प्रति सभा-पटल पर रखना उचित नहीं है ।

Movement of Goods Trains during strike by Railwaymen in 1974

283. **Shri Shrikrishna Agrawal** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain difficulties were experienced in moving the goods trains carrying wheat to deficit States during the Railway strike of May, 1974;

(b) if so, the total number of goods trains kept running during the period; and

(c) the quantity of wheat carried by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) & (c) : Do not arise.

उर्वरक कारखाने और उनका उत्पादन

284. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तिय वर्ष 1974-75 और 1975-76 में राज्यवार कितने उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या विद्यमान कारखानों में इस समय अधिकतम उत्पादन हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 14 उर्वरक संयंत्रों जिनमें वर्तमान योजनाओं का कुछ विस्तार भी शामिल है के वर्ष 1974-75 और 1975-76 में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) : प्रचालन एककों में क्षमता उपयोग निम्नलिखित कारणों से इष्टतम सारों से कम है :—

(i) जीर्ण-शीर्ण उपस्करों से उत्पन्न प्रोयगिकी समस्याएं,

(ii) डिजाइन और उपस्करों के दोषों,

(iii) कच्चे मालों की उचित गुण वाली पर्याप्त मात्राओं की अनुपलब्धता और

(iv) बाह्य रुकावटें यथा बिजली की कटौती । घट-बढ़, श्रमिक समस्याएं आदि ।

नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण

285. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नांगल-तलवाड़ा रेल लाईन के लिये अन्तिम स्थापनास्थल एवं इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ ; और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी नहीं । सर्वेक्षण के अनुमानित खर्च का ब्यौरा विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में नई रेलवे लाइन के द्वारा गया को राजगीर से जोड़ने के लिये सर्वेक्षण

286. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया को राजगीर से मिलाने के लिये नई रेलवे लाईन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण के आदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में गया से राजगीर तक टोह इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उक्त सर्वेक्षण के बारे में प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिये रेलवे को पहले ही कहा जा चुका है।

प्रत्येक रेलवे जोन के लिये क्षेत्रीय श्रम सलाहकार समितियों की स्थापना

287. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के प्रत्येक जोनों के लिये क्षेत्रीय श्रम सलाहकार समितियों की स्थापना किये जानें का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो समितियों की स्थापना किस तिथि तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन समितियों के कार्यकरण की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की रिहाई और मामलों की पुनरीक्ष

288. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हड़ताल वापस लिये जाने के पश्चात् से कुल कितने रेल कर्मचारी रिहा किए गए हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी अभी भी जेलों में हैं और क्या उनके मामलों की पुनरीक्षा की जा रही है ; और

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों की सेवा में डाले गये अवरोध से वे कर्मचारी जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था, भविष्य में पद्दोन्नति के लिये उन कर्मचारियों से प्रवर हो जायेंगे जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रिहा किये गये रेल कर्मचारियों की कुल संख्या 19,205 है।

(ख) 678--इन मामलों में कानून के अनुसार कारवाई की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

मई 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान गाड़ियों का चलना

289. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 मई, 1974 के बाद रेल कर्मचारी कितने दिन तक हड़ताल पर रहे ;

(ख) हड़ताल की अवधि के दौरान कितनी माल गाड़ियां, और कितनी सवारी गाड़ियां चलीं ; और

(ग) देश में रोजाना कुल कितनी माल और सवारी गाड़ियां चलती हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हड़ताल 8 मई, 1974 को प्रात: 6 बजे से शुरु हुई थी और 28 मई, 1974 को बिना शर्त वापस ले ली गई थी।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल हड़ताल की अवधि के दौरान भर्ती किये गये अस्थायी कर्मचारियों का मजूरी बिल

290. **श्री एम० कतामुतू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई में रेल हड़ताल के दौरान अस्थायी कर्मचारियों के बदले कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया ;

(ख) उनका मंजूरी बिल कितना था ; और

(ग) हड़ताल के दौरान सरकार को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) रेलों को लगभग 60 करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिये 'बर्थों' का निर्धारित कोटा

291. **श्री एम० कुतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली से मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और कोचीन के लिये चलने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में प्रथम और द्वित्तीय श्रेणी में अधिकारियों संसद् सदस्यों, रेलवे बोर्ड के सदस्यों और मंत्रियों के लिये बर्थों का कोई कोटा निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के लिये प्रथम श्रेणी और द्वित्तीय श्रेणी में कितने बर्थ आवंटित किये जाते हैं ; और

(ग) इन सभी गाड़ियों में द्वित्तीय श्रेणी के शयनयानों और प्रथम श्रेणी में रेलवे स्टेशनों और रेलवे के बुकिंग कार्यालयों से सामान्य जनता के लिये आरक्षण के लिये कितने वर्थों उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां। संसद सदस्यों केन्द्र/राज्य सरकारों के मंत्रियों, उच्च अधिकारियों आदि के लिए, जिन्हें सरकारी कार्य से अल्प नोटिस पर यात्रा करनी होती है, महत्वपूर्ण गाड़ियों के पहले और दूसरे दर्जे में कुछ कोटा निर्धारित किया जाता है ।

(ख) और (ग) सूचना विवरण में संलग्न है ।

विवरण

	उच्च अधिकारियों के लिये अपेक्षित कोटा		संसद भवन बुकिंग कार्यालय		सामान्य जनता	
	पहला दर्जा	दूसरे दर्जे की शायिका	पहला दर्जा	दूसरे दर्जे की शायिका	पहला दर्जा	दूसरे दर्जे की शायिका
1. दिल्ली/नयी दिल्ली-मद्रास	9	21	2	17	57	242
2. दिल्ली/नयी दिल्ली-बंगलौर	4	8	–	–	18	67
3. दिल्ली/नयी दिल्ली-कोचीन	2	14	–	8	6	310
4. दिल्ली/नयी दिल्ली-बम्बई	24	39	12	32	207	687
5. दिल्ली/नयी दिल्ली-कलकत्ता	17	27	10	45	119	933

नोट :– उपर्युक्त आंकड़ों में, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए विभिन्न गाड़ियों में आरक्षित स्थानों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

Railway/Employees being tried under M.I.S.A. and D.I.R.

292. Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees being tried under M.I.S.A. and D.I.R. in connection with the last Railway strike; and

(b) the number of employees who are still under detention?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Measures Adopted to face strike

293. Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the measures adopted by Government to face the last Railway strike and the expenditure incurred by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The measures adopted to face the strike were :

(1) Adequate publicity to bring home to the staff the consequences of the illegal action.

(2) Security arrangements to ensure adequate protection for vital installations including patrolling of railway track.

(3) Protection to loyal workers.

(4) Liaison with the State Governments to check or prevent the incidence of intimidation, violence, sabotage etc.

(5) Deployment of Territorial Army to run essential services according to needs.

(b) An amount of Rs. 188·09 lakhs has been spent to meet the situation. The above figure is not inclusive of the amount spent by the State Governments for track patrolling; the actual debits of which have not yet been received.

गौंडा स्थित जिला मुख्यालय

294. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1974 में गौंडा रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य के प्रति सराहनीय निष्ठा प्रकट की ; और

(ग) क्या कर्मचारियों में यह भावना है कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को पुरस्कार देने के बजाय गौंडा के पुन: जिला मुख्यालय बना कर पुरस्कृत किया जाये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गौंडा पर हड़ताल का प्रभाव पड़ा था।

(ख) बहुत से कर्मचारी ड्यूटी पर डटे रहे।

(ग) अलग-अलग व्यक्तियो को पुरस्कृत किया गया या किया जा रहा है। रेलवे का मण्डलीकरण करने के पश्चात गौंडा को फिर से जिला बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर–पुर्व और पूर्व रेलवे में सप्लाई किया जाने वाला घटिया किस्म का भोजन

295. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व और पूर्व रेलवे में सप्लाई किये जाने वाले घटिया किस्म के भोजन पर आम शिकायत और असन्तोष है ;

(ख) क्या रेलवे के सभी जोनों में खान-पान विभाग आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) अच्छे किस्म के भोजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी नहीं।

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विभागीय खान-पान व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) खान पान का स्तर बनायें रखने और उसमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :–

(i) अधिकांश यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम मूल्य के पैक किये हुए भोजन की व्यवस्था।

(ii) भोजन यानों में भोजन पकाने और सफाई की समस्या से निबटने के लिए लम्बी दूरी की गाड़ियों में नामांकित स्टेशनों से पका-पकाया भोजन लेकर भोजन-यानों की परम्परागत प्रणाली में धीरे-धीरे परिवर्तन करना।

(iii) खान-पान के क्षेत्र में व्यावसायिक क्षमता बिकसित करने के लिए खान-पान कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण ।

(iv) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर खान-पान स्थापनाओं में अधुनिक पाक तकनीक और उपकरणों का प्रयोग शुरू करना ।

(v) ठेकेदार के ठेकों की अधिकतम संख्या को सीमित रखना ताकि ठेका अर्थ क्षम तो हो ही, ठेकेदार स्थापना के कार्य में व्यक्तिगत रूप से भी रुचि ले ।

(vi) बार-बार निरीक्षण द्वारा सभी इकाइयों के पर्यवेक्षण कार्य में तेजी लाना ।

हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान मारे गये बफादार रेलवे कर्मचारी

296. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की रेलवे हडताल के दौरान कुल कितने वफादार रेलवे कर्मचारी मारे गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई कर्मचारी गिरफ्तार किये गये तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कारवाई की गयी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक ।

(ख) कोई नहीं ।

समर गोपालपुर तथा रोहतक स्टेशनों के बीच चौकीदार रहित एक रेलवे क्रासिग पर दुर्घटना

297. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जून 1974 को समर गोपालपुर तथा रोहतक स्टेशनों के बीच स्थित एक चौकीदार-रहीत रेलवे क्रासिंग, पर से गुजरता हुआ एक ट्रक पटरी पर से जाते हुए एक रेल इंजन से टकरा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां। यह दुर्घटना चौकीदार वाले समपार पर हुई थी ।

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप ट्रक में सवार तीन व्यक्ति मारे गये और एक को साधारण चोटें आयी ।

इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस समपार के दोनों ओर फाटक सिगनल लगाये जा रहे हैं ।

विशेषज्ञ समिति द्वारा रेलवे के वित्तीय ढांचे की पुनः जांच

298. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विकास कार्यक्रमों में रेलवे के वित्तीय ढ़ांचे की पुनः जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) समिति का गठन कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री की जांच

299. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री गाजियाबाद, मुराद नगर, तथा मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री के बारे में 23 अप्रेल, 1974 के अतांराकित प्रश्न संख्या 7817 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच संबंधी कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस जाना

300. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियो का कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस जाने के बारे में 30 अप्रेल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8839 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त गंभीर अपराध से आरोपित रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारीयों को मुअतिल कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) इस मामले में अन्तग्रस्त रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को मुअत्तल करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में तेल की खोज

301. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेल वाले क्षेत्रों की खोज के लिये कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) जी हां ।

(ख) भुभौतकीय और भूभर्गीय सर्वेक्षणो के परिणामों के आधार पर दो कुओं का, एक रक्सौल में और एक रौटा में व्यधन कार्य किया गया था । दोनो कूप सूखे पाए गए और उन्हे छोड़ दिया गया ।

नवगठित द्वितीय श्रेणी में यात्रियों को सुविधायें

302. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रेल 1974 से रेलवे में तृतीय श्रेणी समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां तो तृतीय को द्वीतिय श्रेणी में परिवर्तित करने पर जोनवार कितनी लागत आई; और

(ग) क्या उक्त परिवर्तन का अभिप्राय केवल दर्जे को ही बदलने का है या कि इसके फलस्वरूप भूतपूर्व श्रेणी –iii के यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1–4–1974 से पुराना दूसरा दर्जा समाप्त कर दिया गया है और पुराने तीसरे दर्जे का नाम बदलकर दूसरा दर्जा कर दिया गया है ।

(ख) दूसरे दर्जे के डिब्बें को तीसरे दर्जे के डिब्बे में बदलने पर कोई खर्च नहीं हुआ । हां सीटों के नम्बर तथा डिब्बो पर दर्जे का नाम दुबारा लिखने में कुछ खच हुआ जोकि नगण्य था ।

(ग) इस परिवर्तन से केवल नाम बदला है ; पहले के तीसरे दर्जे में जोकि अब नये दूसरे दर्जे के नाम से जाना जाता है, दी गयी सुविधाओं के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

मिट्टी के तेल का रंग नीला करना

303. **श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल में मिलावट की रोकथाम के लिए मिट्टी के तेल में नीला रंग डालने का निर्णय किया है; और

(ख) और यदि हां तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल में नीला रंग मिलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । देसी रंग के विकास करने की सम्भावनाओं की भी खोज की जा रही है । इस उद्देश्य के लिए रंग के आयात से

हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर भार पड़ेगा और उसे दूर किया जाना है। अतः इस निर्णय को क्रियाविन्त करने के लिए, इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त देशीय कररंजक के विकास होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ उत्पादकों द्वारा पहले ही प्रस्ताव दिये गये है तथा उनका अध्ययन किया जा रहा है ।

'सागर सम्राट' द्वार छिद्रण कार्य

304. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मानसून समाप्त हो जाने तक 'सागर सम्राट' बोम्बे हाई के पहले कूएें पर ही रूका रहेगा ?

(ख) उसको दूसरे स्थान पर न भेजने के क्या कारण है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप तट-दूर छिद्रण कार्यक्रम को किस सीमा तक आधात पहुंचेगा।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सागर सम्राट इस समय बम्बई बंदरगाह में खड़ा है तथा बम्बई हाई संरचना पर अग्रिम कार्य करने हेतु जाने के लिये साफ मौसम की प्रतिक्षा कर रहा है। वर्तमान मानसून की अवधि के अन्तर्गत जब तक शान्त मौसम न हो, सागर सम्राट सितम्बर तक अग्रिम स्थल पर नहीं उठाया जा सकता। अपतटीय व्यधन क्षेत्रों में, ऐसी आकस्मिकताओं जैसे कि प्रतिकूल मौसम का होना, असाधारण बात नहीं है ।

दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तौल से कम दिखाना

305. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिये बुक की गई वस्तुओं के वास्तविक तोल से कम दिखाने संबंधी जांच के बारें में 9 अप्रेल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान रेलवे राजस्व की चोरी की मात्रा का सुनश्चिय करने के लिये जांच के आदेश इस बीच पूरे हो गये हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रिलिंग रिगों की खरीद

306. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूमानिया, रूस और अमरीका अलग-अलग तीनों देशों की कुछ फर्मों को ग्याहर तेल छिद्रण के लिये आदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो एक ही फर्म को अथवा एक ही देश को क्रयादेश न देकर तीन भिन्न फर्मों को क्रियादेश दिये जाने के क्या कारण है तथा क्रयादेशों की मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) हमारे देश को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, हां ।

(ख) मुक्त विदेशी मुद्रा में बचत तथा उसकी उपलब्धि एंव उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए माल सप्लाई करने के निम्नलिखित आर्डर दिए गए :—

(i) 2800 मीटर तक व्यधन कर सकने योग्य तीन बी० यू० 80 रिगस् के लिए रूस को,

(ii) 4000 मीटर क्षमता के 4 तथा 5000 मीटर क्षमता के 2 रिंग के लिए रूमानियां को, और

(iii) 5000 मीटर की क्षमता के 2 डीजल इलैक्ट्रिक रिंग अमेरिका को ।

तट-दूर तेल की खोज के लिये ठेके

307. श्री राम कंवर : श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल तथा कच्छ के बेसिनों में तट-दूर तेंल की खोज के लिए ठेका देने से पूर्व अमरीका के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों से परामर्श लिया है,

(ख) यदि हां, तो किन देशों से परामर्श लिया गया और उनके द्वारा की गई पेशकश की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) अमरीका की तुलना में, जिसे अन्ततः यह कार्य सौंपा गया है, ये शर्तें कितनी अलाभकर है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख) और (ग) :—अनेक कम्पनियों, जिनमें कनाड़ा, फ्रांस, जापान यूनाईटेड किंगडम और अमेरिका की अनेक कम्पनियां शामिल है से अपतटीय क्षेत्रों के लिये अपने अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था । तकनीकी और वित्तिय क्षमता के लिये द्रुत अन्वेषण कार्य को हाथ में लेने की सहमति और कार्य को क्रियात्मक रूप से करने का बन्धन देने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आदि के साथ संविदाकारों के उत्पादित तेल के शेयरों की बिक्री करने के लिये करारों हेतु उन प्रस्तावों को आंका गया था बंगाल और कच्छ बेसिनो की संविदाएं उन दो पार्टियों को दे दी गई है जो श्रेष्टतय शर्तों पर राजी हो गई अनेक देशों की कुछ पार्टियों ने न्यूनतम शर्तें स्वीकार नहीं की और इसलिये उनसे बातचीत नहीं की गई थी ।

अत्यधिक खपत वाली औषधियों के लागत ढांचे के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें

308. श्री राम कंवर: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्याधिक खपत वाली 24 औषधियों के लागत ढांचे के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जो सिफारिशें की गई है उनकी रूपरेखा क्या है और सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) दो विचारार्थ विषयों अर्थात् (i) 23 प्रपुंज औषधों तथा गलेटाइन कैपसूलज और (ii) प्रक्रिया सम्बन्धी हानि के लिये रूपान्तरण मानक, पैकेजिंग सम्बन्धी खर्च पर औद्योगिक लागत एंव मूल्य के ब्यूरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में स्थापित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय युक्त एक विवरण पत्र 19 अप्रेल, 1974 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था । शेष विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

309. **श्री राम कंवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान रेलवे का कितने माल-डिब्बे प्राप्त करने का विचार है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में 5,000 माल-डिब्बो की सप्लाई के लिये अनुपूरक आर्डर दिया है ;

(ग) क्या पहले दिये गये उक्त आर्डर पर पूरी पूरी सप्लाई कर दी गई है, यदि नहीं ,तो कितने माल-डिब्बे मिले है और क्या निर्मातागण 5,000 माल-डिब्बों के लिये अनुपुरक आर्डर को स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हुए है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-1-1974 से 30-6-1974 तक की अवधि में रेल कारखानों और माल-डिब्बा निर्माताओं से चौपहियों के हिसाब से कुल 5701.6 माल डिब्बे प्राप्त हुए । 1-7-1974 से 31-12-1974 तक 5,700 माल-डिब्बें और मिलने की सम्भावना है ।

(ख) माल डिब्बा निर्माताओं को चौपहियों के हिसाब से लगभग 5,000 माल-डिब्बों के लिये 1973-74 के संविदा मूल्य पर पूरक आर्डर देने की पेशकश की गयी थी ।

(ग) और (घ) माल डिब्बा निर्माताओं के साथ पहले किये गये ठेकों पर पुरी सप्लाई प्राप्त नहीं हुई है । 1973-74 में चौपहियों के हिसाब से 10,279 माल डिब्बें सप्लाई किये गयें हैं । 1-4-1974 को माल -डिब्बा निर्माण उद्योग के पास 1969-70, 1970-71 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के माल डिब्बा निर्माण ठैकों के, चौपहियौं के हिसाब से 35.068.8 माल डिब्बो के आर्डर बकाया थे । इन ठेकों की सुपुर्दगी की अवधि 30-6-76 तक बढ़ा दी गयी थी ।

चौपहियों के हिसाब से लगभग 5,000 माल डिब्बों के पूरक आर्डर की पेशकश में से माल डिब्बा निर्माताओं ने 4,479 माल डिब्बों की पेशकश स्वीकार नहीं की है । इस पेशकश को अस्वीकार करने का कारण माल डिब्बा निर्माताओं ने यह बताया है कि मज़दूरी, इस्पात की कीमत खरीदे जाने वाले पुरजों की कीमत और ऊपरी खर्चे इतने बढ़ गयें है कि 1973-74 के संविदा मूल्य व्यावहारिक नहीं रह गये हैं ।

मद्रास के निकट एक उर्वरक कारखाने में विस्फोट

310. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 जून, 1973 को मद्रास के निकट एक उर्वरक कारखाने में एक विस्फोट हुआ था जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विस्फोट के क्या कारण थे और उक्त दुर्घटना के लिये उत्तरदायी संयंत्र अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां दुर्घटना के परिणामस्वरूप गरम पानी से जलने तथा गला घुटने से 9 व्यक्ति मरे ।

(ख) कैटाकार्ब सेमीकन सौल्यूशन पाईप-लाईन के मुड़ी हुई जगह पर जहां से यह ऊष्ण पोटाशियम कार्बोनेट सौल्यूशन के साथ के नियंत्रण कक्ष में, छींटें फेंकती थी के सेफटी ग्लास के टूट जाने के कारण यह दुर्घटना हुई । दुर्घटना की जांच करने के लिये मद्रास रिफाइनरीज लि० के प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त की गई समिति ने फटने की जगह पर पाइपलाइन के पुराने पड़ जाने तथा इस पर जंग लग जाने को इस दुर्घटना का कारण बताया है । यह जांच में किसी असावधानी बर्ते जाने का संकेत नहीं था । ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अनेक सिफारिशें की गई है जिन्हें कार्यन्वित किया जा रहा है ।

Railway Employees removed from Service in Katihar Division of North-East Frontier Railway.

†311. Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees who were removed from service in Katihar Division of North-East Frontier Railway during the Railway Strike;

(b) whether Government have issued orders allowing them to resume their work; and

(c) if so, the number of employees who have so far reported for work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (c) 1,100 railway employees were removed or dismissed under Disciplinary and Appeal Rules and so far 531 have been allowed to resume on consideration of their appeals in accordance with the said Rules.

Arrest of Railway Employees and M.L.A. in Katihar (Northeast Frontier Railway)

†312. Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees arrested by Government in Katihar Division of the Northeast Frontier Railway during the Railway strike under 'MISA' and other provisions;

(b) whether Shri Yuvraj Singh, a Member of Vidhan Sabha, and other legislators were arrested in Katihar during this strike; and

(c) If so, when these legislators and employees will be released ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Total No. of employees arrested are as under :

(i)	MISA	45
(ii)	DIR	100
(iii)	Other provisions .	94

(b) S/Shri Yuvraj Singh and Raj Kishore Singh MLAs, Bihar were the only legislators arrested.

(c) Shri Raj Kishore Singh has since been released on bail but Shri Yuvraj Singh is still in custody. Railway employees so far released are as under :

Arrested under	Released
(i) MISA	5
(ii) DIR	100
(iii) Other provisions	62

Cancellation of Janta and Parcel Trains running on Barauni and Katihar Line

3.3. **Shri G. P. Yadav :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Janta and Parcel trains running on Barauni and Katihar main line in the North-Eastern Railway had been cancelled many months before the strike;

(b) if so, whether Government propose to restart these two passenger trains between Barauni and Katihar; and

(c) if not, whether Government propose to make arrangements for stoppage of the Allahabad-Jogbani Express at each Railway station between Barauni and Katihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi). :

(a) 33 Up/34 Dn. Katihar-Lucknow Janata Fast Passenger trains sheduled to run only on Katihar-Khagaria portion of Katihar-Barauni section and 530 Up/504 Dn. Katihar-Barauni Parcel Passenger trains were cancelled from 10-12-73 and 5-11-73 respectively due to shortage of coal.

(b) These trains will be restored as and when the availability of loco coal improves.

(c) In addition to 6 pairs of Mail/Express trains running on Katihar Khagaria/Barauni route, 2 pairs of passenger trains on entire Katihar-Barauni section and 3 pairs of sectional passenger trains on part of the section are

available at present. Besides 37 Up/38 Dn Prayag Expresses also stop at 15 out of 23 stations on Katihar-Barauni section. Provision of stoppages of this Express train at the remaining stations, is, therefore, not considered necessary.

पश्चिम बंगाल में गायघाट के साथ उपनिर्वाचन में हुए कदाचारों की जांच की रिपोर्ट

314. **श्री सामर गुह** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के गाय घाट निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में हुए कदाचारों के आरोपों की जांच के बारें में निर्वाचन आयोग ने अपनी रिर्पोट दे दी है ।

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या इस बारे में आयोग ने कोई सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग के निष्कर्षों या सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही ही करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)

(क) निर्वाचन आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) युवकों के समूहों ने, जिनमें से कुछ हथियारों से लैस थे, मतदान के पुर्व या तो सुबह किसी समय या मतदान के दिन विभन्न समयों पर मतदान दलों को धमकाया और गायघाट विधानसभा-निर्वाचन क्षेत्र के ग्याहर मतदान-केन्द्रों के मतपत्रों और मत-पेटियों को अव्यवस्थित कर मतदान निष्फल कर दिया । पीठासीन अधिकारी भयभीत हो गए थे इसलिए उन लोगों की धमकी में आ गए । कुछ स्थानों पर, स्थानीय ग्रामीणों ने और भी गड़बढ़ पेदा की । इस प्रकार, ग्यारह प्रभावित मतदान केन्द्रों पर की गई मतदान-व्यवस्थाओं में 24 फरवरी 1974 को विध्न पड़ गया था ।

(ग), (घ) तथा (ङ) ऐसी घठनाएं भविष्य में न घटें, इस दृष्टि से निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को मतदान-सामग्री, मतदान कर्मचारीयों मतदाताओं, आदि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाने हेतु आवश्यक अनुदेश दिए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी आदेश दिया गया है कि निर्वाचन ?शासित करने वाले विभिन्न नियमों में निहित कारणों के बारें में पीठासीन अधिकारियों को स्पष्टतया बता दिया जाए ताकि वे निर्वाचन प्रक्रिया अच्छी तरह समझ लें और उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें ।

गाड़ियों का सामान्य रुप से चलना

315. **श्री समर गुह :**

श्री धामनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेलवे हड़ताल के बाद यात्री गाड़ियां और मालगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही है और रद्द की गई सभी गाड़ियां फिर से चालू कर दी गई है : और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1-7-74 तक, सभी क्षेत्रीय रेल हड़ताल पूर्व स्तर की अपेक्षा कुछ अधिक यात्री गाड़ियां चलाने के योग्य हो गयी । इन गाड़ियो को फिर से चलाने का काम चरणो में किया गया है और इनमें कुछ वे गाड़ियां भी शामिल है जिन्हें हड़ताल से पहले रदद् कर दिया गया था फिर भी इनमें से कुछ गाड़ियो का जिन्हें हड़ताल के दौरान रद्द किया गया था फिर से चलाने का काम अभी बाकी है । जैसे ही स्थिति में और सुधार होगा, इन गाड़ियो को फिर से चलाने के बारे में विचार किया जायेगा ।

स्थिति में उत्तरोतर सुधार होने के साथ-साथ मालगाड़ियों का संचालन सामान्य किया जा रहा है ।

हड़ताल के दौरान विभिन्न बलों का तैनात किया जाना और तथा उन पर हुआ व्यय

316. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रेलवे अधिकारियों ने गत रेल हड़ताल के दौरान पुलिस के अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य की सशत्र पुलिस, सहायक सेना और सीमा सुरक्षा बल की भी इस कार्य के लिये तैनात किया,

(ख) यदि हां, तो पूर्वी रेलवे, पुर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, दक्षिण-पुर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे तथा अन्य रेलवे द्वारा जोनवार तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस, सशस्त्र पुलिस तथा अन्त बलों की संख्या का ब्योरा क्या है तथा उक्त अवधि में इस कार्य के लिये रेलवे विभाग ने कितनी धनराशी खर्च की ;

(ग) क्या विभिन्न रेलवे के अधिकारियों ने गैर -सरकारी स्वयं-सेदको की भी सेवाऐं प्राप्त की थीं और यदि हां, तो ऐसे स्वयं-सेवकों की जोन-बार संख्या कितनी है तथा उनकी सेवाऐं प्राप्त किये जाने का प्रयोजन क्या था और

(घ) इन स्वंय सेवकों के भोजन, जलपान, सवारी भत्ता तथा अन्य भत्तों की व्यवस्था के लिये कितनी धनराशी खर्च की गई तथा वह किस शीर्ष में से किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हमारा रेडियो एण्ड जनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

317. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 'हमारा रेडियों एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड' नाम की कम्पनी दिल्ली में पंजीकृत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का कार्यालय कहां है ?

(ग) क्या उक्त कम्पनी दिवालिया हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्री मान् जी, मैसर्स हमारा रेडियो एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की दिल्ली राज्य में 8 दिसम्बर, 1946 को पंजीकृत किया गया था ।

(ख) इसका पंजीकृत कार्यालय के समय 12, अलीपुर रोड, सिविललाइन्स, दिल्ली में स्थित था किन्तु 10-8-1956 मे 43,12 रामकुटीर, 3 दरियागंज, दिल्ली में बदल गया है ।

(ग) तथा (घ) : हां, श्री मान् जी, व्याख्यात्मक विवरण-पत्र में कम्पनी द्वारा यथा उल्लिखित जमाकर्ताओं के स्वेच्छीक समाधान में कम्पनी को लाने के कारण निम्न प्रकार है ।

> "कोई व्यापारिक गतिविधियों न चलने के कारण कम्पनी नुकसान में कार्य कर रही है । जमाकर्ताओं की अदायगी न कर सकने के कारण जमाकर्ताओं द्वारा समापन आवश्यक है" ।

रेलवे-समयसारिणीयों का प्रकाशन

318. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष में यात्री गाड़ियों, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों की समय-सारणियों में बड़े पैमाने पर कितनी बार परिवर्तन किए जाते हैं ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड जोनल रेलवे प्रशासनों तथा गैरसरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित रेलवे समय सारणियों में इन परिवर्तनों को सम्मिलित कर लिया जाता है ;

(ग) वर्ष में दो बार के बजाए केवल एक बार ही समय सारणियों को प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) रेलवे समय सारणियों को वर्ष में दो बार, प्रकाशित करने की पद्धति को फिर से कब तक चालू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष में एक बार जब नयी समय सारणी लागू की जाती है ।

(ख) लेकिन, परिचालनिक और यातायात की जरूरतों के लिए गाड़ियों की अनुसूची में कुछ आवश्यक मध्यावधि परिवर्तन की सूचना यात्री जनता को प्रेस अधिसूचनाओं और स्टेशन सूचना पट्टों पर सूचना लगाकर दी जाती है ।

(ग) ऐसा मुख्यत: मितव्ययिता बरतने के विचार से किया जाता है ।

(घ) वर्ष में दो बार समय-सारणी जारी करने की पद्धति फिर से चालू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

हाल की हड़ताल से प्रभावित रेलवे कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिये प्रशासनिक तंत्र

319. **श्री एस० सी० सामान्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नश्रेणियों के रेल-कर्मचारियों सहित अधिकारियों और अन्य पदों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें मुअत्तिल किया गया है, बर्खास्तगी के नोटिस दिए गए हैं अथवा अन्य किसी ढंग से नौकरी से हटा दिया गया है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों को उनके द्वारा क्षमा याचना किए जाने अथवा खेद व्यक्त किए जाने पर काम पर वापिस लिए जाने की संभावना है ;

(ग) किसी न किसी ढंग से अधिकांश मामलों को अन्तिम रूप से कब तक निपटाया जाएगा ; और

(घ) गत रेलवे हड़ताल से प्रभावित रेलवे कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए कौनसा प्रशासनिक तंत्र है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जो कर्मचारी अदालती/पुलिस मामलों के कारण अथवा विभागीय कार्रवाई के लिए अभी तक बिलम्बित हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :–

(i) श्रेणी I और II के अधिकारी	कोई नहीं
(ii) श्रेणी III और IV के रेल कर्मचारी	2376

(ख) से (घ) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली सभी तरह की विभागीय कार्रवाईयों में उन्हें अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन अपील करने का अधिकार प्राप्त है । जिन कर्मचारियों को उनके विरूद्ध चलाये जा रहे अदालती/पुलिस मामलों के कारण निलम्बित किया गया है उनके विरूद्ध उनके मामलों पर गुण दोष के आधार पर विचार हो जाने के बाद कार्रवाई की जायेगी ।

मई, 1974 में हड़ताली रेल कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर किये गये हिंसात्मक और तोड़ फोड़ के कार्यों के परिणामस्वरूप हुई हानि

320. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में हड़ताली रेल कर्मचारियों द्वारा किए गए हिंसात्मक और तोड़-फोड़ के कार्यों के परिणामस्वरूप रेल की पटरियों तथा अन्य प्रकार की रेल सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया, और फरार अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 66 लाख रुपये।

(ख) 40 मामलों में गिरफतारियां की गयी हैं। बाकी मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और अभी तक न पकड़े गये अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वित्तीय कठिनाइयों से बचने के लिये औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए की गई कार्यवाही

321. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को 55 करोड़ रुपये के बजट घाटे के अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये का और घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादिकता में सुधार लाकर तथा फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति को दूर करके वित्तीय कठिनाइयों को समाप्त करने तथा वर्तमान स्टाक के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने तथा श्रमिकों के संबंधों को सामान्य बनाकर संगठनात्मक परिवर्तन लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1974–75 के अन्त में कितना और घाटा होगा, इसका अनुमान अभी कतई नहीं लगाया जा सकता। लेकिन, ऐसी आशंका है कि बजट में दिखाया गया 52.79 करोड़ रुपये का घाटा मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से बढ़ जायेगा :–

(i) मंहगाई भत्ते में वृद्धि ;

(ii) रेल कर्मचारियों को दी गयी रियायतें ; और

(iii) रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आमदनी में कमी।

(ख) भंडार और सामान के इस्तेमाल, फुटकर, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, पेट्रोल की खपत, खो गये या क्षतिग्रस्त माल का मुआवजा आदि मदों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए प्रभावकारी उपाय किये जा रहे हैं। मरम्मत के लिए तथा टर्मिनल और यार्डों में रूके रहने का समय कम करके चल स्टाक के उपयोग में वृद्धि करने के लिए अध्ययन किये गये हैं। बजट में की गयी व्यवस्था की परिधि के अन्दर नकद खर्च को नियमित करने के लिए राजकोश नियंत्रण की पद्धति लागू की गयी है।

(ग) हाल ही में कुछ कर्मचारियों द्वारा गैरकानूनी हड़ताल की दुर्भाग्यपूर्ण विभ्रान्त कार्रवाई के अलावा, कुल मिलाकर रेलों पर औद्योगिक सम्बन्ध आमतौर पर मधुर रहे।

स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र पर्याप्त मंच हैं। साथ ही, मेज पर बैठ कर शिकायतों को दूर करने के लिए श्रमिकों और उनकी समस्याओं की देख रेख करने के लिए एक पर्याप्त प्रभावकारी विभागीय कल्याण संगठन भी मौजूद है।

उद्योगों की मट्टी तेल को सप्लाई में कटौती

322. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के लिए मटी-तेल की सप्लाई में और कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष समय-समय पर उद्योगों को इसकी सप्लाई में कितनी-कितनी कटौती की गई है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इसकी कमी की वजह से महत्वपूर्ण उद्योगों को क्षति नहीं पहुंचती ; और

(घ) इस वर्ष इसकी वजह से उत्पादन में सम्भावित कमी और अप्रयुक्त क्षमता के रूप में उद्योगों को कितनी क्षति पहुंची है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : जनवरी, 1974 से समस्त उपभोक्ताओं के लिए 10% कार्य-कुशलता बचत कटौती के लागू होने के बाद मट्टी के तेल की सप्लाई की जा रही है। 33 योगों, जो अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण समझे गये हैं, के अतिरिक्त उद्योगों के सम्बन्ध में 10% की ओर कटौती की गई है जब कि पूर्व से की गई कटौती जारी है।

(घ) समस्त उपभोक्ताओं के लिए 10% की कटौती दक्षता बचत के रुप में है तथा उत्पादन को कम किये बिना 10% की बचत की सम्भावना सामान्य रूप में उधयोग द्वारा स्वीकार की गई है। जहां तक औद्योगिक यूनिट का सम्बन्ध है जो 100% निर्यात करने वाले है और जो आयातित कच्चे माल का प्रयोग नहीं करते है उनके सम्बन्ध में यदि राष्ट्रीय उत्पादन परीषद जैसी निर्यात संगठन इस बात की पुष्टि कर दें कि सम्बन्धित एक विषेश यूनिट अधिक से अधिक ईधन की खपत में अधिकतम बचत कर रहा है तो उनके लिए 10% कटौती की भी छूट की जा रही है। इसके अतिरिक्त दिनांक 24–5–1974 को आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा एक आम सूचना की गई है जिससे निर्यात करने वाली यूनिटें निर्यात करने हेतु अपनी आर० ई० पी० एन्टाइटिलमैन्ट की सूची में मट्टी के तेल को सम्मिलित कर सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मट्टी के तेल की उपलब्धता का प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त साधनों को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त क्षमता अथवा उत्पादन में हानि न उठाने के लिए मट्टी के तेल की आवश्यकता से किसी उद्योग के वंचित रहने का कोई मामले की सूचना नहीं मिली है।

अहमदाबाद के निकट बटवा में एक पेट्रो-रसायन कारखाने में आग

323. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के निकट बटवा में 'सालवेंट' तेल का निर्माण करने हेतु कच्चे तेल को परिष्कृत करने वाला एक पेट्रो-रसायन कारखाना एक भारी अग्निकांड में जल कर राख हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अग्निकांड के क्या कारण थे ; और

(ग) इससे कितनी हानि हुई और कितना आयातित पूंजीगत माल नष्ट हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे वैगन से बिजली के ट्रान्सफार्मरों का गायब हो जाना

324. श्री बसन्त साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के लिए 7 लाख रु० से अधिक मूल्य के 220 किलोवाट के बिजली ट्रांसफार्मरों को ले जा रहा एक रेलवे वैगन, जो अप्रैल, 1974 के मध्य में भोपाल से चला था; अभी तक अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पावर ट्रान्सफार्मर से लदा एक माल डिब्बा उड़ीसा स्थित तालचेर स्टेशन के लिए 20–4–74 को भोपाल से चला। गन्तव्य स्थान पर प्रेषिती को उसकी डिलवरी 29–6–74 को ठीक-ठीक कर दी गयी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध अकाल को रोकने के लिए भारतीय औषध निर्माताओं को प्रोत्साहन

325. श्री भालजी भाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में औषधियों के अकाल को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है तथा विशेष रूप से विदेशी फर्मो का आधिपत्य कम करने के उद्देश्य से भारतीय औषध तथा दवाओं के निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन देने का विचार किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

देश में औषध का अकाल नहीं है। देश के कुछ भागों में कुछ स्वामित्व वाले औषधों की यदा-कदा कमी की रिपोर्टें राज्य औषध नियंत्रकों से समय समय पर इस मंत्रालय में मिलती रहती है किन्तु उन औषधों के लिए अन्य निर्माताओं के उसी प्रकार की औषधियां भी उपलब्ध है। इस प्रकार की रिपोर्टें मिलने पर, इन औषध निर्माण एककों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है और जिन जगहों में कमी की रिपोर्ट आती है उन क्षेत्रों में औषधों की सप्लाई सुनिश्चित करने की उनको सलाह दी जाती है और

कहा जाता है कि अपनी उस सप्लाई को निरन्तर जारी रखें। इन उपायों के अलावा सरकार निम्नलिखित उपाय भी करती है :—

(1) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ साथ औषध उद्योग के तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उपायों के निरीक्षण में व्यस्त है और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्रों का।

(2) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में औषध और भेषज क्षेत्र में अन्तर मंत्रालय समन्वय के लिये एक उच्च स्तरीय दल का गठन देश में औसत उत्पादन को श्रेष्ठतर बनाने की दृष्टि से किया गया है कि वह भेषज उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके जिनमें उत्पादकों के मूल्यों, उत्पादन, आयात, कच्चे माल आदि की उपलब्धा की समस्याएँ भी शामिल है :

(3) यह सुनुश्चित करने के लिये अधिक से अधिक मदो की राज्य व्यापार विषय की मारफत आयात के लिये सारणीबद्ध किया जा रहा है कि औषद्ध प्रयाप्त मात्रा में और उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जायें ।.

(4) प्रपूजं औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के बारें मे जिनका राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया जाता है उनकी प्रयाप्त मात्राओं का आयात करने के लिये प्रबन्ध किया जा चुका है और किया जा रहा है। भारती उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये और विदेशी फर्मों के प्रभाव को कम करने के लिये, विस्तार हेतु विदेशी कम्पनीयों के प्रतावों का निम्नलिखित अनुसार निदाय किया जाता है :—

(1) औषध निर्माण योजनाओं को अनुमति देते हुए भारतीय क्षेत्र के उद्योग को वरीयता दी जाती है और इसके अलावा कुछ अनुपात सीमाओं के अन्दर भारतीय एककों को जिन्होंने 5 करोड़ रूपये तक निदेश किया है, उद्योंगो (विकास और निरापन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिकलाइसेन्स प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मार्फत बढ़ती हुई संख्या में अनेक प्रपुंज औषधों का विनिर्माण

(3) सूत्र योगों के उत्पादन के लिए विदेशी फर्मो को प्राय: औद्योगिक लाइसेंस तब तक जारी नहीं किए जाते है जब तक कि वे प्रपुंज औषधों का उत्पादन न करते हों।

(4) और अधिक मूल अवस्था से प्रपुंज औषधों के उत्पादन को आरम्भ करने और उनसे देश में असम्बद्ध सूत्र योग निर्माताओं को क्षमता का विस्तार करने के लिए दी जाने वाली अनुमति के लिए नए कार्यकलापों के लिए शर्त के रूप में अपने प्रपुंज औषध उत्पादन के उचित भाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

(5) क्षमता के विस्तार करने की अनुमति देने का नए कार्यकलाप के लिए शर्त के रूप में उचित निर्यात अनिवार्यताएं लगाई गई है।

(6) जिन लघु उद्योग औषध एककों की वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको औषध सूत्रयोगों के मूल्यों को नियत करने या संशोधन करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के पैराग्राफ 9, 10 और 13 के कुछ उपबन्धों से मुक्त कर दिया है।

निर्माताओं पर औषधों की बिक्री सम्बन्धी शर्त लागू करना

326. श्री भालजी भाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ० पी० आई० के दबाव में आकर संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय फर्मों के औषध निर्माण में पांचवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति से रोकने के लिये बड़े पैमाने पर औषध निर्माण पर दो करोड़ रुपये की बिक्री की शर्त की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त शर्त किस आधार पर लगाई गई और इसका भारतीय उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं

(ख) औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं है। फरवरी 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के अनुसार औषध और भेषज उद्योग को उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिससे अधिक विदेशी भागीदार वाली कम्पनीयों और बहुत उद्योग वाली कम्पनीयां भी इसमें भाग लेने के लिए पात्र है।

औषध और भेषज क्षेत्र में आत्म निर्भरता के लिए यह अत्यावश्यक है कि प्रपुंज औषध का उत्पादन बढ़ाया जाए। जिन भारतीय कंपनीयों की वार्षिक कुल बिक्री 2 करोड़ रूपये से अधिक होती है उनसे भी इस दिशा में अपने अपने प्रयास करने की घोषणा की जाती है।

रेलगाड़ियों से जंजीर खींचने केउपकरण को हटाया जाना

327. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने गन्तवव्य स्थानों तक रेलगाड़ीयों द्वारा विलम्ब से पहुंचने को रोकने के लिए डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में खतरे की जंजीर व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है : और

(ख) किस रेलवे में जंजीर खींचने की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) क्षेत्रीय रेलों को पहले से ही यह अधिकार प्राप्त है कि जिन डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों पर बिना किसी औचित्य के खतरें की जंजीर खीचें जाने का बार-बार कुप्रभाव पड़ता है, उनमें खतरें की जंजीर के उपकरण को नाकाम कर दिया जाये।

(ख) 1973-74 में खतरें की जंजीर खीचें जाने की अधिकतम घठनाऐं पूर्वोत्तर रेलवे में हुई।

तट दूर तेल की खोज करने वाली अमरीकन कम्पनियों में एक भारतीय एजेन्ट की नियुक्ति

328. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तट दूर तेल की खोज करने में संवलग्न अमरीकन कम्पनीयों द्वारा एक भारतीय एजेन्ट की नियुक्ती की गई है, यदि हां, तो कितने कमीशन तथा किन-किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में एक हेंडपम्प लगाते समय तेल का पता लगना

329. **श्री एम०एम० जोजफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्ट पटेल नगर में एक डेयरी के मालिक के लिए एक हेंड पम्प लगाते समय कुछ मजदूरों को पृथ्वी से कुछ फुट नीचे तेल बहता हुआ मिला था;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने उस तेल का नमूना लिया था और देहरादून स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय से एक विशेषज्ञ को इस तेल की जांच करने के लिये बुलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस क्षेत्र में एक नल-कूप में तेल पाए जाने के संकेतों के बारे में सूचना मिली थी ।

(ख) नमूने एकत्रित किए गए उनका तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इंस्टीच्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, देहरादून, में विशलेषण किया गया ।

(ग) परीक्षणों द्वारा नमूनों में कच्चे तेल में पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई ।

कल्याण और टीटवाला स्टेशनों के बीच वातावरण संदूषण के कारण ओवर है इंस्टालेशन्ज एण्ड फिटिंग्ज में खराबी आना

330. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्व** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण और टीटवाला स्टेशनों के बीच रासायनिक कारखानों द्वारा वातावरण दूषित किये जाने के कारण ओवरहैड इंस्टालेशन्ज एण्ड फिटिंग्स में खराबी आने के परिणाम स्वरूप मध्य रेलवे प्रशासन को काफी घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है '?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) वातावरण संदूषण के कारण रेलवे की 110 के वी प्रेषण लाईनों में होने वाली खराबीयों के परिणामों स्वरूपों अनुरक्षण की लागत बढ़ रहीं है और बिजली सप्लाई में कुछ बाधा पहुंच रही है ।

(ख) प्रेषण लाइनों को ऐसी फैक्टरीयों से दूर-दूर ले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बम्बई क्षेत्र के इगतपुरी तक लाए तथा ले जाए जा रहे खाली वैगन

331. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्व** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई क्षेत्र से इगतपुरी तक काफी संख्या में खाली वगन लाये तथा ले जाये जा रहे है ;

(ख) क्या सरकार ने इन दो स्टेशनों के बीच माल चढ़ाने तथा उतारने के लिए इन खाली वैगनों को आवंटित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां । बम्बई क्षेत्र की मांग पूरी करने के बाद कुछ खाली माल-डिब्बे पेच, चांदा और उमरेर कोयला खानों में कोयला लादने और अन्य आवश्यक वस्तुऐं जैसे खाद्यान्न, चोनी, सीमेंट, रूई, चूने का पत्थर और नश्य पदार्थ जैसे नांरगी, फल आदि के लदान के लिए भुसावल और जबलपुर मंडलों में भेजे जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे की क्रिओसोट की वार्षिक मांग

332. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्व** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे को क्रिओसोट की वार्षिक मांग कुल कितनी है और उसकी अनुमानित कीमत कितनी है ;

(ख) देशी स्रोंतो और आयात के माध्यम से कितनी मात्रा प्राप्त होती है; और

(ग) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फिलहाल अनुमान है कि वार्षिक आवश्यकता लगभग 5,800 मीटरीक टन की होगी जिसकी कीमत लगभग 49.3 लाख रूपये होगी ।

(ख) ये आवश्यकतायें आमतौर पर देशी साधनों से पूरी की जाती है । फिर भी 1972 में तात्कालिक कमी पूरी करने के लिए 4,440 मीटरीक टन का आपतिक आयात किया गया ।

(ग) अभी तक 4,145 मीटरीक टन सामान मिला है जिसमें लगभग 38.2 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा निहित है । अब और सप्लाई की आशा नहीं है ।

डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा लोकोमोटिव इंजनों का पूरा उत्पादन

333. श्री नरेन्द्र कुमार साल्व :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कस ने अभी तक लोकोमोटिव इंजनों की पूरी उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं किया है, यद्यपि उत्पादन शुरू हुये एकदशक हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना कम हुआ है और उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी हां। यह सच है कि वाराणसी के डीज़ल रेल इंजन कारखाने को अभी निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करनी है। 1964 में जब यह कारखाना चालू किया गया था तो इसमें अलग-अलग पुर्जों के रूप में प्राप्त बड़ी लाइन के रेल इंजनों क संयोजन का काम होता था, बाद में (1968) इसके उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन करके मीटर लाइन के रेल इंजनों के निर्माण का काम भी शामिल कर लिया गया। धीरे-धीरे उत्पादन में सुधार के साथ साथ पुर्जों को उत्तरोत्तर स्वदेश में तैयार करने का काम भी शुरू किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उत्पादन के प्रारम्भिक प्रत्याशित लक्ष्य, संशोधित आंकड़ों और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है।

डीज़ल रेल इंजन कारखाने द्वारा निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त न कर सकने के कारण इस प्रकार हैं :–

(i) मेसर्स वी० एस० ई० एल० से बिजली कर्षण उपस्कर को पर्याप्त मात्रा में और समय पर सप्लाई न मिलना (अब स्थिति सुधर गयी है);

(ii) बुनियादी सामान जैसे ढलवां गड़े हुए सामान आदि की सप्लाई के स्वदेशी साधनों के विकास की धीमी गति ;

(iii) आयात होने वाले सामान के लिए विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता (जो निर्दिष्ट सहायता कार्यक्रमों से सम्बद्ध है) और इस सामान की विलम्ब से अल्प मात्रा में प्राप्ति ;

(iv) श्रमिक अनुशासन हीनता की छुटपुट घटनाएं (जो पिछले दो वर्षों में विशेष रूप से सामने आयीं) ;

(v) बिजली सप्लाई पर प्रतिबन्ध और बिजली का बार-बार बंद किया जाना, जिसके कारण काम के घंटों का कार्यक्रम फिर से तैयार करना पड़ा और कारखाने को अन्तरालों पर चलाना आवश्यक हो गया। कभी-कभी इसे केवल एक पारी पर ही चलाना पड़ा ; और

(vi) रेलों की आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सामान की सप्लाई कारखाने की बजाय रेलों को कर दिया जाना तथा 'मरम्मत करके लौटा देने' के अलावा ऐसे पुर्जों को "फालतू पुर्जों" के रूप में बनाना जिनके निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना के लिए तैयार की गयी परियोजना रिपोर्ट में शुरू में परिकल्पना नहीं की गयी थी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए स० एल टी 8014/74]

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : The Notification in respect of Gujarat is being laid on the table only in English, as its Hindi version is not available. Shri Ganesh stated yesterday that the state Government do not have arrangements for bringing out authoritative Hindi version af notification. Does the Central Government expect the differeut State Governments to have such translation arrangements ? This job be got done by the Central Government.

Mr. Speaker : This matter was raised even yesterday and I suggested that some means would have to be thought over for this. He said that there was shortage of time. There should be some procedure and practice for that.

Shri Atal Behari Vajpayee : The natification is dated 9th May and as such there was sufficient time for Hindi Translation.

Mr. Speaker : The whole matter has to be examined. Even yesterday I gave my ruling in the matter.

Shri Atal Behari Vajpayee : You set a definite date for it.

Mr. Speaker : It would have to be seen to which period the paper pertains. In respect of ad hoc papers the matter would have to be considered.

Shri P. G. Mavlanker (Ahemdabad) : As per my information there is ample provision for Hindi translation in Gujarat.

Mr. Speaker : Why has it not been sent, then ?

Shri P. G. Mavlanker : This is what I want to know from the Government through you. The number of Hindi knowing persons in Gujarat is in lakhs. I stress that Hindi translation should be made in Gujarat and sent here.

Mr. Speaker : Then it should be done then.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : इन सभी अधिलंघनों के बारे में एक समिति होनी चाहिए। यह निश्चित व्यवस्था है कि इन सभी पत्रों का हिन्दी अनुवाद किया जाये। सरकार ने इस अनुवाद कार्य को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया ? यह इस सभा का निरन्तर निरादर है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Shri Nitiraj Singh Chaudhuri is going to place a statement on the Table without Hindi translation inspite of translation facilities in the Law Ministry. May I know till when such arrangements would be made.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): आप सरकार को इन प्रति दिन किये जाने वाले अधिलंघनों से क्यों नहीं रोकते ?

Mr. Speaker : Yesterday I allowed this matter to be raised. Today again they have brought in this matter.

Shri Atal Behari Vajpayee : Please ask Smt. Sushila Rohatagi not to place such papers on the table of which Hindi translation is not available.

The Dy. Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatagi) You said yesterday that this should be done soon. As to Shri Mavlanker's statements, we have authoritative information that there is no provision for Hindi translation in Gujarat.

Shri Atal Behari Vajpayee : This won't do. What was the necessity of passing official Languages Act.

Shri P. G. Mavlanker : There is provision for Hindi translation in Gujarat.

Shri Atal Behari Vajpayee : We do not expect states like Tamil Nadu to send Hindi translation. The responsibility of translation should rest with the centre.

श्री यवालार रवि (चिरंचिकील) : न केवल गुजरात बल्कि सारा भारत हिन्दी प्रेमी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर ने बताया कि वहां पर व्यवस्था है। मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

अध्यक्ष महोदय : यदि गुजरात में अनुवाद की व्यवस्था है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वे हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजें।

श्री सैझियान (कुरबकोणम) : राज्यों के पास अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था कल दे चुका हूं।

Shri Atal Behari Vajpayee: You set a date for it.

Mr. Speaker : This cannot be one just sitting over here.

Shri Atal Behari Vajpayee : If you disallow them today they would bring in Hindi tomorrow.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क नियम, गुजरात बिक्री कर अधिनियम आदि

वित मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 307 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो

भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7096/74]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 275 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जून, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7097/74]

(3) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 261) जी० एस० टी० 1074/(एस० 49)-(32)-टी० एच० की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 9 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वार अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627) जी० एस० टी०-1070/(एस० 49) टी० एच० निदांक 29 अप्रैल, 1970 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 29 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 266) जी० एस० आर० 1074/(13)-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर स्प्रिट विक्रय कराधान अधिनियम, 1958 की धारा 36 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई मोटर स्प्रिट विक्रय कराधान (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 21 मई, 1974 में अधिसूचन संख्या (जी० एच० एन०-264) एम० एस० ए०-1074/(22)-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी० 7098/74]

Notifications under Presidential and Vice-Presidential Elections Act, Representation of the People Act, Delimitation Act, etc.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : I beg to lay on the table :

(6) A copy of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 305(E) in Gazette of India dated the 21st May, 1974, under sub-section (3) of section 21 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952. (Placed in Library. **See** L.T. No. 7099/74).

(7) A copy of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 286(E) in Gazette of India dated the 8th May, 1974, under sub-section (3) of section 169 of the Representation of the People Act, 1951. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8000/74).

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 13 of the Representation of the People Act, 1950:—

(i) The Delimitation of Council Constituencies (Bombay) Amendment Order, 1974, published in Notification No. G.S.R. 349(E) in Gazette of India dated the 29th May, 1974.

(ii) The Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1974, published in Notification No. G.S.R. 265(E) in Gazette of India dated the 11th June, 1974. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8001/74).

(9) A copy each of the following Orders (Hindi and English versions) of the Delimitation Commission under sub-section (3) of section 10 of the Delimitation Act, 1972:—

(i) Order No. 14 of the Delimitation Commission in respect of the State of Himachal Pradesh, published in Notification No. S.O. 279(E) in Gazette of India dated the 2nd May, 1974.

(ii) Order No. 15 of the Delimitation Commission in respect of State of Madhya Pradesh, published in Notification No. S.O. 293(E) in Gazette of India dated the 16th May, 1974. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8002/74).

(10) A copy of Notification No. S.O. 323(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th May, 1974 making certain amendments to the Delimitation Commission's Order No. 8 dated the 8th December, 1973, under sub-section (2) of section 11 of the Delimitation Act, 1972. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8003/74).

(11) (i) A copy of the Bombay Public Trusts (Gujarat) (Amendment) Rules, 1974, published in Notification No. GH/K/523/BPT/RULES/9470/E in Gujarat Government Gazette dated the 16th May, 1974, under subsection (4) of section 84 of the Bombay Public Trusts Act, 1950, read with clause (c)(iii)

of the Proclamatipated the 9th Febrvary, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8004/74).

(12) A copy of the Fifty-sixth Report of the Law Commission on the Statutory provisions as to notice of suit other than section 80, Civil Procedure Code. (Placed in Library. **See** L.T. No. 8005/74).

(13) A copy of the Report on the Fifth General Election to the House of the People in India, 1971, Volume-II (Statistical). (Placed in Library). **See** L.T. No. 8006/74).

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior): You may enquire from the Law Minister as to when this would be done.

I know he is lover of Hindi still English is going on.

Mr. Speaker : So far as love of Hindi is concerned I suggest you to not to talk in English when foreign visitors are there.

Shri Atal Behari Vajpayee: So I would have to say, 'May God, save Hindi from its lovers'.

Mr. Speaker: Your lovers are sitting here. But do not know how to love.

Shri Atal Behari Vajpayee: We are prepared to learn it.

Mr. Speaker : I have had a lot of it and shall teach you if you come to me.

आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं,

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(14) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा/3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: —

(एक) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मई 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० 242 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तरल पेट्रोलियम गैस (उपयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 252 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हाई स्पीड डीजल तेल तथा हल्का डीजल तेल (उपयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 263 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8007/74)

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 187 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारत के राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(दो) हैवी इलैक्ट्रीकल कम्पनी एकीकरण आदेश, 1974 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 474 में प्रकाशित हुआ था ।

(16) उक्त अधिनियम की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 455 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति तथा जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8008/74.)

(17) बंगाल एण्ड आसाम इंवेस्टर्स लिमिटेड कलकत्ता तथा जे० के० एजेन्टस (प्राइवेट) लिमिटेड के एम० पी० इंडस्ट्रीज लिमिटेड भोपाल के साथ विलय के मामले में एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश संख्या दिनांक 5-11-1971

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8009/74)

रेलवे में अनुसूचित जातियों, एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती आदि में प्रगति पर प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

मैं 30-9-1973 को समाप्त होने वाले अर्द्ध वार्षिक के लिए रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पदों पर भर्त्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में उनके अनुपात में प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० संख्या 8010/74.)

अध्यक्ष द्वारा निदेशों में संशोधन

Amendment to Directors by the Speaker

महासचिव : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश 9 क की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

विधेयकों पर अनुमति

Assent to Bills

महासचिव : मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974

(2) वित्त विधेयक, 1974

(3) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक, 1974

(4) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974

(दो) महासचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत सभा पटल पर रखीं :—

(1) संविधान (32वां संशोधन) विधेयक, 1974

(2) संविधान (33वां संशोधन) विधेयक, 1974

(3) संपदा-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1974

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of urgent public importance

लघु बुबनाई उद्योग को स्टेपल फाईबर सूत तथा रेयन फिलामेन्ट सूत सप्लाई न जिय जाने के समाचार

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्ष प्रस्ताव के प्रथम वक्ता को सात तथा अन्य 4–5 मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"कताई करने वालों द्वारा लघु बुनाई उद्योग को स्टेपल फाईबर सूत तथा रेयन पिलामेंट सूत सप्लाई न किये जाने के समाचार"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को कुछ महीनों से विस्कोस स्टेपल फाइबर यार्न तथा रेयन फिलामेंट यार्न की अपर्याप्त प्राप्यता के बारे में, जिसके फलस्वरूप बुनकरों को बहुत कठिनाई आ रही है, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । इन दोनों प्रकार के फाइबर्स के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

विस्कोप स्टेपल फाइबर स्पन यार्न का कुल उत्पादन 6 करोड़ कि० ग्रा० है, जो कि हमारी कुल मांग की तुलना में बहुत कम है । यह समस्या ग्वालियर रेयन पल्प उत्पादन एकक में लम्बी हड़ताल के कारण और भी गंभीर हो गई । 1973 में उसका उत्पादन, 78,000 मे० टन की अनुमानित मात्रा से गिरकर 58,000 मे० टन हुआ, जबकि कताई मिलों को स्टेपल फाइबर सप्लाई करने वाले एक मात्र अन्य एकक अर्थात् साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड की केवल लगभग 4,000 मे० टन की ही सीमित उत्पादन क्षमता थी । कताई एककों को फाइबर की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और इस बात की संभावना से बचने के उद्देश्य से कि पृथक-पृथक मिले अथवा मिलों के समूह कुल सप्लाइयों पर भारी नियंत्रण न लगा सकें, सरकार ने 6 दिसम्बर, 1972 से कताई एककों को विस्कोस स्टेपल फाइबर के वितरण पर कानूनी नियंत्रण लगाने का निश्चय किया । तथापि, वितरण पद्धति को विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक रिट पिटिशन दायर करके चुनौती दी गई है । इन रिट पिटिशनों के न्यायालय में लम्बित रहने के दौरान एक युक्तिसंगत वितरण प्रणाली का कार्यान्वियन नहीं किया जा सकता ।

स्टेपल फाइबर स्पन यार्न के सम्बंध में अनेक राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है । और हम मूल्य निर्धारण तथा वितरण की एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जो कि उत्पादन के आर्थिक पहलुओं और साथ ही बुनकरों की जरूरतों के अनुरूप हों ।

रेयन फिलामेंट यार्न का 1973 में कुल उत्पादन लगभग 37,000 मे० टन रहा जो पुन : कुल मांग की अपेक्षा काफी कम था । पिछले वर्ष उत्पादन में यह गिरावट दो फैक्टरियां बन्द हो जाने से आई । विगत में रेयन फिलामेंट यार्न का वितरण कत्तिन और बुनकर एसोसिएशनों के बीच हुए स्वैच्छिक समझौते के आधार पर किया जाता था जो अगस्त, 1969 से पिछले वर्ष के मध्य तक संतोषजनक रूप में चलता रहा । पिछले वर्ष के मध्य से हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि मिलें स्वैच्छिक समझौते के अनुसार बुनकरों को यार्न की सप्लाई नहीं कर रहीं हैं । हमें

यह भी सूचित किया गया कि रेयन फिलामेंट यार्न के पिछले पूर्ति आयोग इकट्ठे हो गए हैं । हमारे प्रयत्नों के फलस्वरुप इन पिछले आदेशों को निपटाने के बारे में कत्तिनों और बुनकरों के बीच बातचीत हुई और ऐसी आशा है कि इस वर्ष 30 अगस्त तक पिछले आदेशों को निपटा दिया जायेगा । चालू उत्पादन के संबंध में दुर्भाग्यवश कत्तिनों और बुनकरों के बीच वार्ताओं के कई दौर चलने के बावजूद अभी तक कोई स्वैच्छिक समझौता नही हो पाया है और अंततः इस वर्ष 11 जुलाई को उनकी बातचीत का सिलसिला टूट गया । मेरा मंत्रालय इस समय बुनकरों को समीचीन कीमतों पर रेयन फिलामेंट यार्न उपलब्ध कराने से संबंधित वैकल्पिक प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहा है और इस उद्देश्य से हम नए सिरे से लागत विश्लेषण कर रहे हैं जिससे कि टैरिफ आयोग की रिपोर्ट में दी गई कीमतों को उद्यतन बनाया जा सके । हम अत्यधिक व्यावहारिक वितरण प्रणाली पर भी विचार कर रहे हैं ताकि हमारे द्वारा तय की गई कीमतों पर बुनकरों को फिलामेंट यार्न की निर्बाध सप्लाई होती रहे । मुझे बताया गया था कि मामले पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरा मंत्रालय इस समय भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विचार कर रहा है ।

श्री के० लकप्पा : यह लड़ाई 8 एकाधिकारी पून्जीवादियों और निर्बल वर्ग के बीच है । 8 लाख बुनकर इन पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं । सरकार को इनकी रोजी रोटी का ध्यान करना चाहिये । 1963 में केन्द्र सरकार ने गरीब बुनकरों की सहायता करने का वचन दिया था । 1963 से कातने वालों ने तथा एकाधिकार गृह ने देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बना दिया है कि इससे बुनकरों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है । तीन वर्षों में रेयन कातने वालों ने 60 करोड़ रुपया लाभ कमाया और यह धन देश के निर्धन वर्ग का शोषण करके कमाया गया । परन्तु सरकार ने इन कातने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । कातने वालों ने प्रशुल्क आयोग के नियमों तथा विनियमों और सिफारिशों की कोई परवाह नहीं की ।

श्री चट्टोपाध्याय और श्री ए० सी० जार्ज को वस्त्र आयुक्त के कार्यलय की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिये । यह कार्यालय मंत्री महोदय के साथ हुए करारों का क्रियान्वयन जानबूझकर नहीं कर रहा है । 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले समझौते के अनुसार कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत माल निर्यातकों को, 52.5 प्रतिशत माल बुनकरों को तथा शेष माल कातने वालों द्वारा खुले बाजार में बेचने की व्यवस्था की गई थी । परन्तु अब कातने वाले उसे काला बाजार में बेच रहे हैं और मनमाने लाभ कमा रहे हैं । हालांकि बुनकर अक्टूबर, 1973 से करार की तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं परन्तु कातने वाले जानबूझकर इस प्रस्ताव की उपेक्षा करते रहे हैं । वस्त्र आयुक्त ने भी बुनकर के विचारों की परवाह नहीं की है । कातने वालों की बातों को हमेशा सुना गया है परन्तु बुनकरों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

रेयन धागा कातने वाले भी मनमाने लाभ कमा रहे हैं । हालांकि प्रशुल्क आयोग ने 15 प्रतिशत पूंजी लगाने की सिफारिश की थी फिर भी कातने वालों ने 38 प्रतिशत पूंजी लगा रखी है ।

वस्त्र आयुक्त और कातने वालों के बीच सांठगांठ होने के कारण सही आंकड़ों का पता सहीं चलता और न ही यह पता चल पाता है कि कितना माल वितरित किया गया और कितना माल काले बाजार में बेचा गया । क्या मंत्रालय ने एक स्वतन्त्र एजेन्सी की स्थापना की है जो नही आंकड़ों का पता चला सके ?

आठ कातने वाले बिना निर्धारित मूल्य के माल बेच रहे हैं। नायलोन के मूल्य के बारे में 4 कातने वालों ने बुनकरों के साथ समझौता किया। वितरण प्रणाली को ऐसा बनाया गया है जिससे बुनकरों का शोषण होता है। करार के अनुसार 30 प्रतिशत माल खुले बाजार में बेचा जाना था परन्तु कातने वालों ने बुनकरों के कोटे को भी काले बाजार में बेच दिया। गत सात महीनों से कातने वाले करार से बचना चाहते हैं और इस पर इकट्ठा किया गया माल काले बाजार में बेचा जा रहा है और कातने वाले मनमाने लाभ कमा रहे हैं।

क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ? क्या वस्त्र आयुक्त कार्यालय भली भान्ति कार्य कर रहा है ? क्या मंत्री महोदय वितरण की समुचित प्रणाली बनायेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाए। क्या सरकार विद्युतचालित हथकरघों पर काम करने वाले बुनकरों को न्याय दिलाएगी ? क्या 8 कातने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं यह मानता हूं कि कमी के कारण बुनकरों ने मनमाने लाभ कमाए हैं। कातने वालों के संघ और बुनकर संघ के बीच एक स्वैच्छिक समझौता हुआ है। यह समझौता काफी देर चलता रहा परन्तु अब उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए हमने अपने स्तर पर समस्या का समाधान करना चाहा। करार के क्रियान्वयन में जो बाधा आई, उसका कारण दोनों पक्ष में अनबन होना था। लेकिन अब हम इस मामले पर तत्काल विचार कर रहे हैं।

मेरे विचार में वस्त्र आयुक्त अथवा उसके कार्यालय ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का कार्य किया और संतोषजनक करार करवाने में सहायता दी।

बुनकर संघों में न केवल निर्धन बुनकर बल्कि समृद्ध बुनकर भी शामिल हैं। अतः हम ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे निर्धन बुनकरो को लाभ पहुंचे। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को परिवर्तित समय के अनुसार बदलना होगा। कुछ सिफारिशें पुरानी हो चुकी हैं और हमारी आर्थिक परिस्थितियों के अनुकुल नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : मैंने पूछा था कि उत्पादन और वितरण का काम सरकार अपने हाथ में ले ले।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने मांग की है कि वितरण का काम बुनकर संघों के माध्यम से किया जाना चाहिए। परन्तु हमें शिकायत मिली हैं कि बुनकर संघ यह उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों का विचार जानना भी आवश्यक है।

Shri Satpal Kapoor (Patiala:) Statement shows that the hon. Minister has considered the matter sympathetically. But basic issue is that production has gone down. The only solution before us is to allocate quota acccrding to production. There have been a number of agreements between spinners and weavers but not even a single agreement has been implemented.

Tariff Commission has fixed the rate at Rs. 16·07 paise per pound but this is being sold at Rs. 20 per pound by spinners in the open market. Therefore

this matter requires serious attention of the Government. Spinners Association has submitted latest memorandum on the Tariff Commission's report. Why not fix rates on the basis of memorandum? Government should take over production as well as distribution of spinning yarns. May I know the obstacles in the way of taking over the spinning yarn.

Secondly, what are the difficulties in implementation of Tariff's Commission report?

Thirdly, in the matter of distribution agencies of Central Government and State Governments should be involved, and management should be taken over by the Government.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऊंची कीमतों का कारण केवल उत्पादन में कमी होना नहीं है। वास्तविकता यह है कि कातने वाले ईमानदारी से काम नहीं करते। इसीलिए हमने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को आधार मानकर एक व्यवस्था की है। वितरण के मामले में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिन पर निर्णय करते समय विचार किया जाएगा। कई हथकरघे अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। अत: वितरण करते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वास्तविक हथकरघों को प्राथमिकता दी जाये। इसीलिए वितरण का प्रश्न इतना आसान नहीं है। अन्तिम निर्णय लेते समय हम ध्यान रखेंगे कि यथासंभव सर्वोत्तम प्रबन्ध किये जायें।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): The handlooms are in abundance in India and the cloth is supplied by them to the people living nearby. So far as the question of power-looms is concerned, I believe and perhaps you also know this that many of them are bogus. I want to know whether you have inquired into these bogus looms? But because of this reason it cannot be said that the material may not be supplied to the Co-operative Societies and Associations. The production has been stopped deliberately. They sell their production in the black-market. If there is difficulty in distribution, may I know whether you have adopted any measures to remove it. There should be no dependence on intermediaries. Therefore you should take stringent action in this regard. If the prices have been increased, the Tariff Commission should call the spinners and weavers and take decision in their presence and give preference to the Co-operative sector, so that the production may be increased.

The Government should make an assessment in the matter whether this shortage is artificial or actual. You should attend to the following three things:—

(1) What is the hitch in it, when the seasonal prices have been fixed by the Tariff Commission after hearing the viewpoints of the both parties?

(2) May I know whether the weavers would be supplied the materials because they are not getting at present.

(3) If the required material is not supplied to Punjab it effects the production adversely. May I now whether you would inquire into it and try to correct it?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि मुझ से यह पूछा जाता है कि इस बारे में मैं क्या कर रहा हूं तो मैं यह कह दूंगा कि मैं इन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा। किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। वस्त्र आयुक्त द्वारा निभायी गयी भूमिका की आलोचना की गयी है। इन हथकरघों को वस्त्र आयुक्त के पास पंजीकृत करना होता है। अत: आबंटन के मामले में, उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि देश में कुल 1,50,000 करघों में से लगभग 50,000 बोगस हैं। जब इन सभी करघों की सूचना मांग को पूरा करने के लिये कहा जाता है, तो ऐसा करने से बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो जाती है जबकि केवल एक लाख करघे ही पंजीकृत हैं। उपलब्ध उत्पादन बहुत ही अपर्याप्त है जिससे इस समूची मांग को पूरा किया जा सके।

कुछ ऐसी कठिनाइयां है जो कृत्रिम नहीं हैं। मैं यह कहता हूं कि इन कठिनाइयों से हमारी अथवा वस्त्र आयुक्त की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मैं पुन: यह कहता हूं कि हम ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे बुनकरों को कातने वालों की दया पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। हमने इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने का निर्णय किया है। इस बारे में कुछ अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श किया जा रहा है। शीघ्र ही ऐसा निर्णय किया जायेगा जिस से वास्तविक निर्धन बुनकरों को लाभ होगा न कि धनी बुनकरों को।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं इस वक्तव्य को देख कर बड़ा हैरान हुआ हूं जो कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है। आर्ट सिल्ट उद्योग आवश्यक रूप से छोटे पैमाने के कारखानो द्वारा चलाया जाता है। मैं उन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसे कुछ कारखाने बड़े कारखाने भी हैं। 75 प्रतिशत कारखाने छोटे पैमाने के कारखाने हैं। यह आवश्यक रूप से ही छोटे पैमाने के कारखानों की समस्या है और इसीलिये हम ने उन का ध्यान इस ओर दिलाया है। इनके विपरित 8 ऐसे कातने वाले हैं जो एकाधिकारी गृहों के अधीन हैं और जो सभी कच्ची सामग्री पर नियंत्रण कर रहे हैं। वे छोटे पैमाने के कारखानों को न तो कच्ची सामग्री दे रहे हैं और न ही वे उन्हें इसकी सप्लाई करना चाहते हैं पर सरकार छोटे कारखानों को सूत की सप्लाई करने के लिये अपने आप को असमर्थ पा रही है, हालांकि सरकार इन कातने वालों को कच्ची सामग्री सप्लाई कर रही है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार इन बड़े एककों से इन छोटे कारखानों को सूत दिलाने में अपने आपको असमर्थ क्यों समझती हैं।

ये छोटे पैमाने के कारखाने तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तामिल नाडु, में हैं। सारे देश भर में लोगों ने समितियां बना ली है और वे मंत्री महोदय के सामने अपनी समस्यायें प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय कृपा करके उनकी मांगों को सुनने तथा हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे है। किन्तु इसका परिणाम क्या निकला है? ये सभी एकक बन्द होते जा रहे हैं और मंत्री महोदय छोटे लोगों की सहायता करने के लिये अपने आप को असहाय पा रहे हैं। यह कातने वालों द्वारा पैदा की गयी कृत्रिम कमी है। इसी प्रकार की स्थिति 1968 में भी हुई थी और इस मामले को टैरिफ आयोग के पास भेज दिया गया है जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में दो वर्ष लगे और तत्पश्चात् सरकार ने इन प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिये तीन वर्ष का समय ले लिया। टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन गत वर्ष सभा पटल पर रखा गया था। अब भी एक वर्ष से अधिक हो चुका है और अभी कोई भी परिणाम नहीं निकला है और क्या किया जा रहा है। मिल स्पिनर्स अत्यधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं और छोटे पैमाने के उद्योगों को इन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बीच

सरकार ने कच्ची सामग्री को प्राप्त करने के लिये कातने वालों और बुनकरों के बीच एक अन्तरिम समझौता कराया है। इस बैठक का प्रबन्ध वस्त्र आयुक्त द्वारा किया गया था। किन्तु हम देखते हैं कि जब कभी कोई समझौता होता है, तो कुछ महीनों के बाद कातने वाले उस समझौते से मुकर जाते है।

इन परिस्थितियों में निर्धन बुनकर क्या कर सकते हैं ? इन्होंने मंत्री महोदय से हस्तक्षेप करने की मांग भी की, किन्तु अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

इसी प्रकार आर्ट सिल्क सूत तथा स्टेपल फाइबर की स्थिति है। इस मामले को भी 1968 में टैरिफ़ आयोग के सुपुर्द किया गया और आयोग का प्रतिवेदन 1972 में मिला। 1973 में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गयी। और कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी और इसके फलस्वरुप पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के छोटे पैमाने के एककों को कच्ची सामग्री के अभाव के कारण हानि पहुंच रही है।

मैं यह चाहता हूं कि जो कुछ भी सामग्री उत्पादित की जाये, उसे छोटे पैमाने के एककों को दे दिया जाना चाहिये।

मैं महोदय से कहूंगा कि उन्हें कातने वालों के लिये कुछ लाभांश निर्धारित करके उनसे कुल उत्पादन को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उस मामले में वे अधिक उत्पादन भी करेंगे। किन्तु वर्तमान व्यवस्था में वे उत्पादन तो कम करते हैं, किन्तु उन्हें लाभ अधिक होता है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने सदस्य महोदय द्वारा की गयी अधिकांश बातों का उत्तर अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते समय दे दिया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी अधिकांश मांगें मुझे स्वीकार्य हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं। हमारे हस्तक्षेप के कारण ही कातने वाले तथा बुनकरों की बैठक हुई और उन्होंने हमें बताया है कि वे समझौता कर लेंगे। अब वे कहते हैं कि वे समझौता नहीं कर सकते। हम इस परिणाम पर पहुंचने वाले हैं, जो मुख्य रूप से टैरिफ आयोग के निष्कर्षों पर आधारित है, कि इन्हें अद्यतन बना दिया जाये। अन्तिम निर्णय करते समय माननीय सदस्य द्वारा कही गयी सभी बातें तथा सुझावों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री धामनकर (भिवन्डी) : आर्ट सिल्क आयोग भारी संकट का सामना कर रहा है और मेरे विचार में सरकार आंशिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ने टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने तथा इसे कार्यान्वित करने में विलम्ब किया इसी से ही यह सारी गड़बड़ हुई। मंत्री महोदय ने कहा है कि वस्त्र आयुक्त की ओर से कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। क्या मैं उन्हें नम्रता पूर्वक बता सकता हूं कि वस्त्र आयुक्त द्वारा सभी कार्य गलत ढंग से किये गये हैं।.

सरकार की सभी समाजवादी नीतियों को वस्त्र आयुक्त द्वारा बहुत ही समाज विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। बड़े बड़े कातने वालों की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। सूत नियंत्रण नीति भी वस्त्र, आयुक्त द्वारा अपनाये गये रवैये के कारण असफल रही है और इस प्रकार गलत ढंग से आवंटन किये जाने के फलस्वरूप चोर बाजारी होने लगी। यह स्वैच्छिक समझौता वास्तविक रूप से स्वैच्छिक नहीं है। यह समझौता कातने वालों के

लिये स्वैच्छिक है। जब मूल्य कम हो जाते हैं तो वे एसोसियेशनों और सहकारी समितियों आदि को अपने सभी स्टाक दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि यदि आप इस माल को नहीं उठायेंगे, तो हम आबंटन करने की स्थिति में नहीं होंगे, और आपका कोटा कालातीत हो जायेगा। यदि मूल्य बढ़ जाते हैं, तो वे माल की सप्लाई नहीं करते हैं। यही कुछ हो रहा है। वस्त्र आयुक्त द्वारा कातने वालों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और इस तरह छोटे बुनकरों को हानि पहुंच रही हैं। यदि रेयन यार्न पर 100 प्रतिशत मूल्य नियंत्रण लागू किया जाता है, तो रेयन कपड़े पर भी मूल्य नियंत्रण लागू किया जाना चाहिये।

वस्त्र आयुक्त बुनकरों को कातने वालों के साथ समझौता करने के लिये कहता है। क्या यह वस्त्र आयुक्त का काम नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समझौता हो जाये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे अपना उत्पादन बुनकरों को दें और उसे चोर-बाजारी में न बेचा जाये। क्या मंत्री महोदय कातने वालों की सहकारी एकक की स्थापना करने के बारे में विचार करेंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य एककों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यदि नये एककों को स्थापित करना भी हो, तो उन्हें या तो सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिये।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि वस्त्र आयुक्त की आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी कठिनाईयां हैं जिसमें कोई अधिकारी अथवा मंत्री एक दम परिवर्तन नहीं ला सकता।

मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि टैरिफ़ आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने में जान-बूझ कर विलम्ब नहीं किया गया है। हम ने आयोग को इसे शीघ्र अद्यतन बनाने के लिये कहा है— किन्तु आयोग का कहना है कि वे यह काम शीघ्र नहीं कर सकते, क्योंकि यह वैज्ञानिक बात है। इस देश में कृत्रिम सूत्र का मूल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कम है। हमें अपने माल का मूल्य इस तरह निर्धारित करना चाहिये ताकि हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। अतः हमें अपने उत्पादन को उत्पादन की लागत से भी बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। टैरिफ़ आयोग का मूल्य समूचे उत्पादन पर इसी प्रकार के आधार पर निश्चित किया गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे कुल उत्पादन के एक भाग को पृथक कर दिया जाये और इसे बाजार मूल्य पर बेचा जाये ताकि उस संबंध में हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। मैं इतना ही कह सकता हूं **(व्यवधान)** आप इस बात को कृपा करके अपने ध्यान में रखें कि यद्यपि मैं आप द्वारा कही गयी बात से पूरी तरह सहमत हूं, तथापि कुछ बातों को ध्यान में रखना ही पड़ता है। निर्यातकों के बेचे जाने वाले सूत, के भाग के संबंध में, हम सुनिश्चित करेंगे कि इस भाग का हम ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने स्वीकार किया है कि यदि स्वैच्छिक समझौता सफ़ल नहीं हुआ है, तो जो वैकल्पिक प्रबन्ध हम करने जा रहे हैं, वह संतोषजनक रहेगा।

वितरण के संबंध में माननीय सदस्य एक मत नहीं हैं कि इसे एसोसिएशन अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये। अतः अन्तिम निर्णय लेते समय दोनों प्रकार के विचारों का ध्यान में रखा जायेगा और निर्णय भी शीघ्र कर दिया जायेगा।

भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक जल सीमा तथा तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में दोनों देशों के बीच हुए समझौता के बारे में वक्तव्य

Statement re. Agreement between India and Sri Lanka on Boundary in Historic Waters between the two countries and related matters.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री स्वर्ण सिंह वक्तव्य देंगे . . .

श्री मधु लिमिये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पहले सूचना दे चुका हूं ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : प्रत्येक सदस्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये अवश्य ही उचित समय दिया जाना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इससे पूर्व कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें, हम चाहते हैं कि भारत द्वारा इस क्षेत्र को देने के लिये किये गये इस समझौते से पहले सरकार को हम से परामर्श किया जाना चाहिये था और सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिये था । चूंकि सिद्धान्तों की चिन्ता किये बिना सरकार ने हमारा यह क्षेत्र श्रीलंका को दे दिया है, इसके लिये यह समझौता हमारे देश के हितों के विरुद्ध है। यह किसी भी सरकार के लिये भी अपवित्र तथा अपमानजनक राजनयिकता का कार्य है । अतः, हम मंत्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य से अपने आप को सम्बद्ध नहीं करना चाहते ।

श्री के० मनोहरन : हम ने सभा से बाहर जाने का निर्णय किया है और इसलिये सभा से बाहर जाने से पूर्व आप को ऐसा करने का कारण बताना चाहते हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच किया गया यह समझौता देश विरोधी है तथा देश भक्तिपूर्ण नहीं है। मैं श्री लंका की जनता अथवा श्री लंका की प्रधान मंत्री की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता . . .

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय के संबंध में माननीय सदस्य चर्चा करने वाले हैं, तब वे इन सभी बातों को उठा सकते हैं ।

श्री के० मनोहरन : इस समझौते के फलस्वरुप श्रीलंका की प्रधानमंत्री की विजय हुई है और भारत की प्रधान मंत्री की पराजय हुई है। यह तो देश की अखण्डता पर आघात है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने सभा से बाहर जाने का निर्णय किया है ।

Shri Madhu Limaye: On a point of order, Sir.

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Although this agreement was concluded on 22nd June, an informal decision to hand over the Kachchativu Island to Sri Lanka had been taken in January during the talks between the Prime Ministers of the two countries. Afterwards when this matter was raised in the House it was said on behalf of the Government that such agreement has not been signed. Thus the House was kept in dark. This is just surrender and not an agreement.

It has been said in the Agreement that we are entering into the agreement in the name of friendship. But friendship does not mean giving away one's own land to another country. While we want to have friendly relations with Sri Lanka, we cannot give away our land to any country in the name of friendship.

Kachchativu has been a part of our country from ancient times when it is known as 'Bali Dweep'. Even as late as 1880 it was a part of the Jagir of the Raja of Ramnad ... (*Interruption*).

Mr. Speaker: There will be debate on it ...

Shri Atal Bihari Vajpayee : We want your ruling whether the Government can give any part of India to another country without amending the constitution. Kachchativu is a part of Tamilnadu and a part of India. May I know whether the State Assemblies should not be consulted in this regard. This agreement is against the interests of the Country and I request you to ask the Hon'ble Minister not to lay it on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye : Sir, please listen to every body... (*Interruptions*) you are not listening to me. I have the right to raise the point of order you can give ruling on it ... (*Interruptions*) Please call every member turn by turn.

श्री पी० के० एम० थेवट (रामनाथपुरम्) : कच्चातिबू मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। हम इस समझौते का विरोध करते हैं। समूचा क्षेत्र तथा हजारों मछेरों का जीवन खतरे में पड़ गया है। श्रीलंका की सरकार अपनी सेना को उस द्वीप की ओर भेज दिया है। सरकार ने धोखा दिया है। सरकार ने उन लोगों से इस संबंध में कोई परामर्श नही किया है। सरकार यह सोचती होगी कि कच्चातिबू तमिलनाडु का भाग है ? यह केवल तमिलनाडु का ही भाग नहीं, अपितु सारे देश की पवित्र भूमि का भाग है। यह भविष्य में होने वाले युद्ध का अड्डा बनेगा। आप लोगों को घोखा दे रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र एवं फार्वड ब्लाक की ओर विरोध स्वरूप सभा से बाहर जाता हूं।

श्री मोहम्मद शरीफ (पेटियाकुलम) : 1 अप्रैल, 1968 को भी ,यह प्रमाणित करने के लिये कि कच्चातिबू रामनद के राजा के साथ राज्य का एक भाग था, मैनें कई प्रमाण प्रस्तुत किये थे सरकार के लिये यह शर्म की बात है कि उसने वहां के लोग तथा वहां के मुख्य मंत्री से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं किया। हम सरकार की इस कार्यवाही की निन्दा करते हैं और सभा से बाहर जाते हैं।

तत्पश्चात् श्री पी० के० एम थेवर और श्री मोहम्मद शरीफ सभा से उठ कर बाहर चले गये

Shri P.K.M. Theuar and Shri Muhammad Sheriff then left the House

Shri Madhu Limaye: About 5 years ago I had asked the Government to issue a white Paper on the documents regarding Kachchativu. At that time the Minister of External Affairs had in reply to a question admitted that we consider Kachchativu to be a part of our territory, if it is so how can the Government give it away by an executive agreement? No terri-

tory of our country can be transferred to another country without amending the Constitution. So the Minister of External Affairs should be allowed to make the statement. If in spite of all these things if the Hon'ble Minister tries to make the statement, we should also walk out.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मंत्री महोदय अपने वक्तब्य में भारतीय भू-भाग को श्रीलंका को दिये जाने के संबंध में बतायेंगे। परन्तु संविधान में भारतीय भूमि में से एक इंच भूमि के दिये जाने का उपबन्ध नहीं किया गया है। कच्चातिबू भूतपूर्व राजा रामनाद जमींदारी का एक भाग था और इस देश का अभिन्न अंग था। अत:, किसी भी स्थिति में सरकार को संविधान के अन्तर्गत हमारी एक इंच भूमि को देने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है। यदि हम इस तरह अपना क्षेत्र देते रहेंगे, तो देश में शेष क्या रह जायेगा।

दूसरी बात यह है कि इस सभा को विश्वास में न लेकर इस सभा के प्रति घोर अनुमान तथा अपमान प्रदर्शित किया है। अत: मेरी प्रार्थना है कि विदेश मंत्री को इन बातों पर विचार करना चाहिये तथा वक्तब्य को सभा पटल पर नहीं रखना चाहिये। अन्यथा हम सभा से बाहर जाने के लिये विवश हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अधिकार है। जब सरकार किसी अन्य सरकार के साथ समझौता करती है, तो उसे हमें अवश्य सभा के सामने अवश्य ही पेश करना चाहिये। सदस्यों को अवश्य ही सूचित किया जाना चाहिये कि क्या हो रहा है।

श्री सोफियान (कुम्बकोणम) : लेकिन करार असंवैधानिक है।

अध्यक्ष महोदय : इसका पता हमें कैसे लगेगा ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are not in agreement with your ruling. We stage walk out.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : This is statement of the Minister.

इस समय श्री कछवाय ने कुछ कागज फाड़े और उन्हें फैंका

At this stage Shri Kachwai tore some papers and threw them.

तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये

Some hon. Members left the House at this stage.

श्री के० लकप्पा : कागज फाड़ना सदन का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी विनिर्णय यह है कि कागजों का फाड़ना सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है।

M/P(D)1LSS—11

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : : हमारी स्वाधीनता के बाद वर्षों से इस सदन में कच्चातिबू द्वीप के विषय में अनेक बार प्रश्न पूछे गये हैं और बहस हुई है । सरकार ने भी निःसंदेह इसमें पूरी रूचि ली है और इस पुराने मामले का कोई शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिये चिंतित रही है और यह बताते हुये मुझे खुशी है कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच इसके बारे में 28 जून, को एक करार पर हस्ताक्षर हुये हैं । जिसकी एक प्रति मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं । नक्शे की भी एक प्रति लाइब्रेरी में रख दी गई है जो मूल करार का अनुबद्ध है ।

2. कच्चातिबू द्वीप जिसका विस्तार लगभग 3/4 वर्गमील में है, पाक खाड़ी में स्थित है । यह श्रीलंका के निकटतम स्थलवितरण के करीब साढ़े दस मील और निकटतम भारतीय तट से करीब साढ़े बारह मील दूर है । पाक खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका का ऐतिहासिक समुद्र है पाक जल-डमरूमध्य से प्रारम्भ की ओर करीब 18 मील चौड़ा है तथा इसकी औसत चौड़ाई करीब 28 मील है ।

3. कच्चातिबू पर भारत और श्रीलंका के दावों पर निर्णय का प्रश्न पाक खाड़ी के समुद्र में भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा निश्चित करने के प्रश्न से बहुत जुड़ा हुआ था । पाक खाड़ी के ऐतिहासिक समुद्र में जल सीमा का प्रश्न शीघ्र निर्णय की अपेक्षा रखता था जिसमें दोनों पक्षों के दावों का ऐतिहासिक साक्षिका, विधिक व्यवहार पूर्वोदाहरण का तथा व्यापक परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के साथ अपने बढ़ते हुये मित्रतापूर्ण संबंधों का ख्याल रखना था ।

4. कच्चातिबू हमेशा से ही एक निर्जन द्वीप रहा है । न तो श्रीलंका की और न भारत की वहां कोई स्थायी रिहायश थी । लंबी औपनिवेशिक अवधि में अवसर इस प्रश्न पर बहस हुई थी कि कच्चातिबू भारत का अंग है अथवा श्रीलंका का और इन मौकों पर दोनों ओर की तत्कालीन सरकारों ने अपने दावे और प्रतिदावे पेश किये थे । हाल के वर्षों में दोनों देशों में यह समझौता हुआ था कि विपक्षीय सौहार्दपूर्ण प्रयासों से जब तक कोई अन्तिम संविधान नहीं निकल आता तब तक कोई भी देश एक तरफा तरीके से ऐसी कोई कार्रवाही नहीं करेगा जिससे कच्चातिबू के अनिर्णित दर्जे में कोई परिवर्तन आता हो ।

5. मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विशेषरूप से इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब किसी मसले पर दोनों पक्षों के पास अपने समर्थन के लिये अच्छे तर्क होते हैं और वह मामला द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शीघ्रतापूर्वक नहीं निबटाया जा सकता तो लाज़मीतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपील करके अथवा तीसरे पक्ष को पंच बना कर बाहरी हस्तक्षेप कराने की कोशिश की जाती है । जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारा हमेशा ही यह दृढ़ मत रहा है कि अपने पड़ौसी के साथ किसी भी मतभेद को हमें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समानता और सद्भाव के आधार पर द्विपक्षीय बातचीत द्वारा समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिये हमारे लिये यह संतोष की बात है कि इस प्रश्न को सीधी द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से तय करने से हमारी प्रधानमंत्री के संकल्प को श्रीलंका की प्रधान मंत्री की ओर से भी वैसा ही हार्दिक उत्तर मिला और मित्रता तथा आपसी समझ-बूझ के वातावरण में यह समझौता हुआ ।

6. हमारे विशेषज्ञों द्वारा कच्चातिबू पर उपलब्ध ऐतिहासिक और अन्य रिकार्ड का सुविस्तृत अनुसंधान किया गया और हर उपलब्ध साक्ष्य को भारत के विभिन्न रिकार्ड कार्यालयों से, जैसे कि तमिलनाडु, गोवा और बम्बई और साथ ही विदेशों में ब्रिटिश और डच अभिलेखों से इकट्ठा किया गया । दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेषरूप से पिछले वर्ष साक्ष्य का गहरा परीक्षण किया

गया एवं विचारों का आदान-प्रदान किया गया। कच्चातिबू का यह प्रश्न, अभी-अभी बताए गए कारणों से आवश्यक रूप से पाक खाड़ी में सीमा के प्रश्न के साथ उसके एक भाग के रूप में तय किये जाने थे जिससे कि इन ऐतिहासिक समुद्रों में इस प्रकार के मामलों को लेकर भविष्य में उठने वाले झगड़े की सम्भावनाओं को समाप्त किया जा सके।

7. ऐतिहासिक रिकार्ड और अन्य साक्ष्यों के पूर्ण परीक्षण आधार पर और विधिक नियमों को ध्यान में रखते हुये और शांतिपूर्ण तरीके से झगड़ों को निपटाने की हमारी नीति को भी ध्यान में रखते हुये मुझे यह विश्वास है कि पाक खाड़ी में जल सीमा को निर्धारण करने के संबंध यह करार दोनों देशों के लिये उचित, न्यायसंगत और न्यायोचित रहेगा। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस करार को सम्पन्न करते हुये मच्छली पकड़ने का अधिकार, तीर्थयात्रा और नौवहन जिसका दोनों पक्षों ने पीछे भी लाभ उठाया है वह भविष्य के लिये भी पूर्ण सुरक्षित रखा गया है।

8. इस करार को किसी एक या दूसरे पक्ष की विजय समझना गलत होगा। इस के फलस्वरूप दोनों ही पक्षों को लाभ हुआ है, जो कि परिपक्व राजनीतिकमत्ता की विजय है, मित्रता की विजय है और इस क्षेत्र में सहयोग की विजय है। दोनों देशों के सबंधों में क्षोभ की सम्भावनाओं का एक बड़ा कारण जो वर्षों से तय नहीं हो पा रहा था अब निकल गया है और अब दोनों देश इन सुनिर्णित समुद्र प्रांगणों में आर्थिक तथा दूसरे संसाधनों के उपयोग पर अधिक दत्तचित होकर कार्य कर सकते हैं और विशेषरूप से विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर यह करार भारत और श्रीलंका को मित्रता के सूत्र में बांधने वाले बंधनों और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : करार को कार्यान्वित करने के दौरान कुछ समस्याएं सामने आयेंगी। इन समस्याओं के समाधान हेतु हमारी सरकार को श्रीलंका सरकार से बातचीत करनी चाहिये। इस वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह में विदेश मंत्रालय पर सामान्य चर्चा हो रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर) : वक्तव्य में कहा गया है कि कच्चातिबू द्वीपसमूह बिना आबादी वाला है लेकिन एक माननीय सदस्य कहते हैं कि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर है। यदि इसमें कोई आबादी नही तो यह उनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कैसे हो सकता है?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा 1921 में बनाई गई मत्स्य रेखा कच्चातिबू से तीन अथवा साढ़े तीन मील पश्चिम की ओर थी जिसमें भारतीय नागरिकों के मत्स्य अधिकार थे और पूर्व की ओर लंका के अधिकार थें।

करार से यह बात स्पष्ट है कि कच्चातिबू पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता होमे के बावजूद भी भारतीय मच्छुओं तथा तीर्थ यात्रियों द्वारा इस द्वीप को जाने संबंधी परम्परागत अधिकारों पर कोई आंच नहीं आयेगी। इसी प्रकार भारत तथा श्रीलंका द्वारा एक दूसरे की जलसीमा के भीतर के परम्परागत नौवहन अधिकारियों पर भी कोई आंच नहीं आयेगी (**व्यवधान**)।

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन)
Public Financial Institutions Law (Amendment) Bill

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना

श्री० बी० एन० कुराले (रामसनेथपियत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारत रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा माध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर तीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न् भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

अनुदानों की मांगें (गुजरात), 1974-75
Demands for Grants for (Gujarat), 1974-75

उपाध्यक्ष पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गुजरात बजट पर पुनः चर्चा शुरू करते हैं।

***श्री० जे० माता गोडर** (नील गिरि) : भारत सरकार राज्य में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार, कदाचार और चोरबाजारी को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने में असमर्थ रही है। लाधंशेप के बारे में

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

*Summarised translated version based an english translation of the speech delivered in Tamil.

राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई 1974 को लागू किये गये अध्यादेश के उपबंधों का पहले से ही पता लगने से राज्य में कुछेक एकाधिकार प्राप्त फर्मों को बहुत लाभ पहुंचा है। अतुल प्रोडक्टस कम्पनी, गुजरात फर्टीलाइजर्स, बड़ौदा रेयन कम्पनी और सेंचुरी मिल्स ने इस अध्यादेश के जारी होने से पहले ही अपने शेयरों को बाजार में निकाल दिया था और 50 लाख रुपये से अधिक मुनाफा कमा लिया था। सत्ताधारी कांग्रेस दल गुजरात के इन उद्योगपतियों को हुए इस अप्रत्याशीत लाभ से अवश्य ही लाभ उठायेगी। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा जब कि यह दल इन उद्योगपतियों की वित्तीय सहायता से राज्य के चुनावों में भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर लेगी।

श्री० चिमन भाई पटेल जब राज्य के मुख्य मंत्री थे तब केन्द्र ने राज्य को पर्याप्त माता में खाद्यान सप्लाई नहीं किया था। किंतु लोकप्रिय मंत्रीमडंल के पतन के तुरन्त बाद और विधान के भंग होने से गुजरात राज्य को केन्द्रीय पूल से वास्तविक आंवटन से अधिक खाद्यान्न भेजा गया। इतना अधिक खाद्यान्न केन्द्र ने उस समय क्यों नहीं भेजा जब राज्य में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी के विरुद्ध गम्भीर आन्दोलन चल रहा था।

कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ भाग पिछड़े क्षेत्र हैं। कच्छ क्षेत्र में सातःवर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है और फिर भी अकाल सहित इस क्षेत्र के लिये लागू नहीं की गई ह।

गुजरात के लोगों की मांग रही है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय गुजरात में स्थापित किया जाना चाहिए। किंतु केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के लोगों की इस जायज़ मांग की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

कच्छ क्षेत्र में खनिज बहुत माता में उपलब्ध है किंतु केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में खनिज सम्पदा को निकालने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। यह केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा और लापरवाही है जो अपराध है।

हाल ही में गुजरात में एक गांव में हरिजनों की निमर्म हत्या की गई है। देश के जिस भू-भाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ है वहां हरिजनों पर ऐसे निर्मम अत्याचार होना भारत सरकार पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ नही है। हरिजनों पर इस प्रकार के निर्मम अत्याचार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य की नितान्त उपेक्षा कर रही हैं। जब अन्य राज्यों से रूई की गांठे क्रय की जा सकती है तो गुजरात के मामले में यह क्यों कहा जाता है कि राशि की कमी है। इस राज्य के साथ इस प्रकार का सौतेली मां का व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

इस राज्य में सीमेंट, कोयले, टायरों, ट्यूबों, मोबिल आयल, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है। परन्तु ये वस्तुएं काले बाजार में उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्रशासन कालाबाजार रोकने में विफल हुआ है। गुजरात में बुआई का मौसम लगभग समाप्त हो चुका है। किसानों को पर्याप्त माता में उर्वरक नही मिले हैं। इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिये भूमिहीन श्रमिकों को मजूरी देने का काम तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये।

राज्य में पंचायत प्रशासन में शून्यता उत्पन्न हो गई है। जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों की अवधि समाप्त हो चुकी है। वहां अब ये पंचायतें नहीं हैं। वहां केवल अध्यक्ष है। परन्तु उन्हें बहुत कम शक्ति दी गयी है। इसलिये तुरन्त चुनाव कराये जायें तथा पंचायत अधिकारियों को शक्तियां दी जायें।

पेय जल सम्बन्धी स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया है। केराला गांव के लिये पेय जल की सप्लाई की एक योजना थी। यह मेरे क्षेत्र में है। इस पर बहुत पहले काम शरू हुआ था परन्तु उसे पूरा नही किया गया है। कुछ जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर इसकी जांच करायी जाये।

भावनगर में एक बहुद्देश्यीय औज़ार बनाने की परियोजना बड़े लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। एज० एम० टी० और जी० आई० आई० सी० के प्रतिनिधियों ने भावनगर का दौरा किया था और उन्होंने इस बारे में कुछ निर्णय भी किया था परन्तु इस बारे में क्या प्रगति हुई है ? मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

पी० डब्लयू० डी० ने भावनगर के निकट तटीय राजपथ पर जोड़ने वाली सड़कों का काम आरम्भ किया था। यह 1962 में आरम्भ किया था। परन्तु इस बारे में प्रगति बहुत कम हुई है। अधिकारी लोग इस परियोजना पर ध्यान दें और इसे यथाशीघ्र पूरा करें।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : गुजरात बजट पर बोलते हुऐ मुझे खुशी है। गुजरात म देश की रुई के उत्पादन का एक तिहाई उत्पन्न होता है। हम स्पेशल काटन का उत्पादन करते हैं। पहले इसका आयात होता था और बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाती थी। अब इसका कोई खरीददार नहीं है जिससे किसानों को बहुत हानि हो रही है। गुजरात सहकारी समितियों के पास लगभग 1,10,000 गांठें बिना बिके पड़ी हैं। भारत सरकार को काटन कारपोरेशन को पर्याप्त राशि देकर इसे खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए।

गुजरात में अनेक बड़े बड़े संगठन जैसे ओ० एन० डी० सी० पैट्रो-केमिकल्स आदि हैं। परन्तु स्थानीय लोगों को वहां रोजगार का अवसर नही मिलता विशेष रुप से तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर। मंत्री महोदय इस मामले में कुछ कार्यवाही करें।

गुजरात में नलकूपों में अभी तक सिंचाई के लिये दर लगभग 35 पैसे प्रति 10,000 लिटर थी। इसे बढ़ाकर 70 पैसे कर दिया गया है। यह नलकूप गरीब लोगों के लिये हैं यदि दर बढ़ा दी जाती है तो ये लोग पानी नही ले सकेंगे। अन्ततः नलकूप बंद हो जायेंगे और सरकार को हानि होगी। मंत्री महोदय इस मामले की ओर ध्यान दें।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I would like to know whether the problems of corruptions black-marketing, unemployment and price-rise, which led to dissolution of Vidhan Sabha in Gujarat, have been solved or are getting more serious.

It was hoped that there will be a change after the dissolution of the Asembly but the situation is deteriorating. Similar Slogan for the dissolution of Asembly has been raised in Bihar under the leadership of Shri Jaya Prakash Narain.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने को गुजरात और बजट तक सीमित रखें ।

Shri Ramavatar Shastri : What I Mean to say is that there should be mass movement against profiteering and capitalism. We should learn something from Gujarat and try to solve the problems of the people. Democracy should be protected at all costs.

श्री डी० पी० जवेजा (जामनगर) : गुजरात के बजट का मैं समर्थन करता हूं । मेरे क्षेत्र में सूखे की इस प्रकार की समस्या रहती है जो नर्मदा समस्या के समाधान तथा राजस्थान नहर क उस क्षेत्र में लाने से हल नही होती ।

हमारे क्षेत्र में कोई भी सिंचाई की बड़ी योजना नहीं है । वहां कोई बड़ी नदी नहीं है । इस वष लोगों को पीने का पानी 16 रुपये प्रति बैरल खरीदना पड़ा ।

लोगों को केवल पानी का खारापन दूर करने वाले यंत्र के द्वारा ही राहत दी जा सकती है । जो कुछ पानी प्राप्त किया गया वह भी अवैध तरीके से उसे बेकार कर दिया गया । सरकार इसमें हस्तक्षेप करके पानी को प्राप्त करे तथा और भूमि खारी भूमि मे न बदलने दी जाए ।

कई पीढ़ियों से तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम करने वाले गरीब मछुओं को राज सहायत दी जानी चाहिए । राज्य सरकार उन्हें आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करे जिससे उस क्षत्र का शोषण न किया जा सके ।

भूमि सम्बन्धी सुधार, वृक्षारोपण, गंदी बस्ती हटाना और विकास योजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I oppose this budget. Rs. 14 lacs have been provided under demand No. 3 for the travelling and other expenses of the officers of Election Commission. The work of delimitation of constituencies and preparation of voter's list should be taken up at the earliest and the elections should be held immediately after rainy season.

There had been heavy increase in the prices of groundnut oil. The Government should check this price rise and look into this matter carefully.

Though there is a proposal to issue licences for 3,000 rickshaw pliers for Ahmedabad only, yet I would request the Government to kindly put an end to this evil of rickshaw pulling. I would suggest that some alternative employment may be provided to the rickshaw pullers.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): गुजरात के बारे में पहले भी अनेक बार इस सदन में चर्चा हुई है । यह पहले भी कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिधियेन कार्य को अन्तिम रुप दिया जाना है और उसके बाद मतदाता सूचियां संशोधित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार तैयार की जायेंगी । उससे यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि कब चुनाव हो ? इस बात पर मतभेद नही है कि गुजरात में लोकप्रिय सरकार होनी चाहिये क्योंकि ऐसी सरकार ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है ।

गुजरात राज्य में हरिजनों पर किये गए अत्याचारों की बहुत चर्चा हुई है । इस बारे में गुजरात सरकार ने कुछ कार्यवाही की है । मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बम्बई पुलिस

अधिनियम का प्रयोग किया है और उसने निर्मम अपराधों के लिये जिम्मेवार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की है यदि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों को इस प्रकार का दण्ड दिया जाय तो उसका अवश्य प्रभाव होगा ।

अत्याचारों से क्षतिग्रस्त होने वाले हरिजन परिवारों के मुआवजा देने का प्रश्न गुजरात सरकार को सौंपा जा सकता है ।

बम्बई राज्य के विभाजन से पहले वहां मनुष्य द्वारा चलायी जाने वाली रिक्शाओं के चलाने पर कोई रोक नहीं थी । बाद में गुजरात के अधिकारियों ने उन्हें बंद करना सम्भव नहीं पाया । अब यह निर्णय किया गया कि उन्हें कुछ समय के लिये जारी रखा जाये । इसका यह कारण दिया गया है कि इससे बेकारी की समस्या और गम्भीर हो जायेगी । फिर ईधंन की भी कमी है । इसलिये इन रिखक्शाओं को जारी रहने दिया गया है । मैं इस मामले को पुन: गुजरात सरकार को भेजूंगा ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों द्वारा गुजरात के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों के पूरे उत्तर नहीं दिये हैं । इस हेतु प्रयाप्त समय क्यों नहीं दिया जाता ताकि ये पूरे उत्तर दे सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा का निर्णय है । सभा कार्य मंत्रणा समिति की रिर्पोट से सहमत है ।

श्री एच० एम० पटेल : यदि कोई राज्य राष्ट्रपति राज के अधीन हो तो वह अपनी शिकायतें कहां पेश कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां ।

श्री एच० एम० पटेल : इसके लिये बहुत ही कम अवसर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात ठीक ढ़ंग से रख दी है । हमें प्रक्रिया को समझना चाहिये (**व्यवधान**) । मैं श्री चावड़ा की इस बात से सहमत हूं कि सदन के कार्य मंत्रणा समिति की अपेक्षा अधिक अधिकार हैं । कार्य मंत्रणा समिति की रीर्पोट स्वीकृति के लिये सदन के सामने आती है ।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा नही हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री मावलंकर कोई कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से प्रस्तुत न करना चाहें तो मैं उन सब को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 को पृथकत: पेश करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided

पक्ष में 50 विपक्ष 210

Aye 50 Noes 210

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All the cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष द्वारा गुजरात राज्य की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Gujarat State were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
2	मन्त्रिपरिषद	5,56,000	—
3	चुनाव	9,62,000	—
5	सामान्य प्रशासन विभाग	28,00,000	—
6	पारपत्र प्रतिष्ठान	54,000	—
7	अन्य प्रशासनिक सेवायें (सामान्य प्रशासन विभाग)	7,00,000	—
8	विविध सामान्य सेवायें (सामान्य प्रशासन विभाग)	2,29,000	—
9	भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहन (सामान्य प्रशासन विभाग)	46,000	—
10	कला और संस्कृति (सामान्य प्रशासन विभाग)	14,000	—
11	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (सामान्य प्रशासन विभाग)	83,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
12	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें (सामान्य प्रशासन विभाग)	30,000	—
13	सामान्य प्रशासन विभाग आयोजन तंत्र	3,15,000	—
14	आर्थिक सलाह और अंक संकलन	35,22,000	—
15	सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	5,66,000
17	बिक्री कर	1,14,60,000	—
18	मनोरंजन और शिक्षा उपकर पर राजस्व व्यय	4,79,000	—
19	अल्प बचत संगठन	7,84,000	—
21	वित्त विभाग	13,24,000	—
22	राजकोष और लेखा प्रशासन	80,03,000	—
23	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत लाभ	2,80,66,000	—
24	वित्त विभाग के संबंध में अन्य राजस्व व्यय	3,73,40,000	—
25	शिक्षा उपकर का संग्रह	29,00,000	—
26	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (वित्त विभाग)	6,000	—
27	वित्त विभाग आयोजन तंत्र	50,000	—
28	भारतीय भागीदारी अधिनियम और सामान्य बीमा के प्रशासन पर राजस्व व्यय	7,92,000	—
31	वित्त विभाग में सरकारी कमचारियों को ऋण और अग्रिम	—	12,05,000
33	न्याय प्रशासन	1,47,06,000	—
34	विधि विभाग	10,06,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
35	अन्य प्रशासनिक सेवायें (विधि विभाग)	1,10,000	—
36	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (विधि विभाग)	3,18,000	—
37	धार्मिक और पूर्तअक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन	5,88,000	—
38	विधि विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	7,23,000
40	सिविल सप्लाई	10,74,000	8,33,00,000
41	खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग	3,22,000	—
42	खाद्य और पोषहार (खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग)	86,97,000	83,40,00,000
44	खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	3,83,000
45	राज्य विधानमण्डल	17,25,000	—
46	गुजरात विधानमण्डल सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	1,20,000
48	विदेशों से सहायता सामग्री के खाते में समायोजन	90,00,000	—
49	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	10,00,000	—
50	सहायता सम्बन्धी निर्माण कार्य (कृषि, वन और सहकारिता कृषि विभाग)	1,45,49,000	—
51	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	1,04,000	16,67,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
52	कृषि (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	10,00,000	—
53	सहकारिता (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	2,79,94,000	4,69,65,000
54	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	4,79,000	—
55	कृषि (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	6,12,66,000	1,77,16,000
56	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	3,17,04,000	59,59,000
57	पशु पालन	2,30,37,000	10,000
58	डैरी विकास	20,10,000	11,00,000
59	मत्स्य पालन	78,55,000	29,96,000
60	वन	1,55,39,000	68,64,000
62	कृषि वन और सहकारिता विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	24,00,000
63	राज्य उत्पादन शुल्क	15,10,000	—
65	शिक्षा और श्रम विभाग	9,56,000	—
66	शिक्षा	39,60,49,000	71,36,000
67	कला और संस्कृति (शिक्षा और श्रम विभाग)	68,81,000	—
68	विज्ञान सम्बन्धी सेवायें और अनुसंधान	20,0000	—
69	आवास	30,00,000	—
70	श्रम और रोजगार	1,07,94,000	—
71	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (शिक्षा और श्रम विभाग)	5,00,39,000	22,49,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
72	शिक्षा और श्रम विभाग आयोजन तंत्र	32,000	—
73	शिक्षा और श्रम विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	15,33,000
74	मोटर गाड़ियों पर कर	8,02,64,000	—
75	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (गृह विभाग)	5,49,000	—
76	गृह विभाग	8,38,000	—
77	पुलिस	10,61,70,000	—
78	जेल	40,22,000	—
79	अन्य प्रशासनिक सेवायें (गृह विभाग)	50,16,000	—
80	कला और संस्कृति (गृह विभाग)	38,000	1,23,000
81	सूचना और प्रचार	54,83,000	—
82	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (गृह विभाग)	82,000	—
83	सड़क और जल परिवहन सेवायें	20,20,000	1,68,00,000
84	पर्यटन	6,30,000	—
85	गृह विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	36,28,000
86	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	9,50,000	—
87	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,81,20,000	—
88	पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभ (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	1,76,000	—
89	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	14,90,000	1,23,77,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
90	उद्योग, खान और बिजली विभाग	5,76,000	—
91	निर्यात प्रोत्साहन	1,30,000	—
92	सहकारिता (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	10,77,000	18,31,000
93	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	9,27,000	—
94	उद्योग	30,91,000	74,75,000
95	ग्रामीण और लघु उद्योग	85,02,000	38,85,000
96	खान और खनिज	43,35,000	60,00,000
97	विद्युत परियोजनाएं	56,22,000	19,00,10,000
98	मशीन और इंजीनियरीं उद्योग	—	6,53,000
99	उपभोक्ता उद्योग	—	68,15,000
100	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निपेक्ष	—	1,76,33,000
101	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	—	1,00,00,000
102	उद्योग, खान और बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	9,53,000
104	अग्नि से सुरक्षा और नियंत्रण	10,000	—
105	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग	11,78,000	—
106	सामुदायिक विकास	6,92,15,000	21,60,000
107	चिकित्सा	10,84,40,000	—
108	परिवार नियोजन	3,67,05,000	—
109	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति	6,89,92,000	2,58,47,000
110	नगरीय विकास (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	1,10,14,000	3,43,000

1	2	3	
		राजस्व रूपये	पूंजी रूपये
111	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	1,01,51,000	—
112	दैवी विपत्तियों के कारण राहत कार्य (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	20,00,000	—
113	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग आयोजन तंत्र	32,000	—
114	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समर्पण	2,87,36,000	—
116	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	13,66,000
118	गैर रिहायशी इमारतें	6,55,98,000	2,09,48,000
119	अन्य प्रशासनिक सेवायें (लोक निर्माण कार्य विभाग)	17,00,000	—
120	आवास (लोक निर्माण विभाग)	1,55,75,000	2,40,68,000
121	राहत कार्य (लोक निर्माण विभाग)	1,20,26,000	—
122	लोक निर्माण विभाग	17,76,000	—
123	सहकारिता (लोक निर्माण विभाग)	1,33,000	2,00,000
124	सिंचाई	18,48,12,000	22,82,36,000
125	बन्दरगाह	2,77,24,000	1,99,97,000
126	ग्लाइडिंग क्लब	46,000	—
127	सड़क और पुल	9,29,07,000	1,41,98,000
128	गुजरात राजधानी निर्माण योजना	—	65,33,000
130	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (लोक निर्माण कार्य विभाग)	—	2,66,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
131	लोक निर्माण कार्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	18,26,000
132	भू-राजस्व	1,21,46,000	—
133	स्टाम्प और पंजीकरण	22,02,000	—
136	राजस्व विभाग	22,86,000	—
137	जिला प्रशासन	1,94,31,000	—
138	विविध सामान्य सेवायें (राजस्व विभाग)	33,000	—
139	शहरी विकास (राजस्व विभाग)	2,16,000	—
140	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व विभाग)	23,59,000	46,70,000
141	दैवी विपत्तियों के कारण राहत कार्य (राजस्व विभाग)	87,00,000	—
142	डंग्स जिला	1,37,08,000	4,49,000
143	कृषि (राजस्व विभाग)	1,02,000	1,00,000
144	क्षतिपूर्ति और समर्पण (राजस्व विभाग)	52,90,000	13,33,000
146	राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	—	15,33,000

गुजरात विनियोग, (संख्या 2) विधेयक, 1974

Gujarat Appropriation (No. 2) Bill, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वकित हुआ

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : में विधेयक पुर: स्थापित करता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधि निम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने "

प्रस्ताव स्विकृत हुआ

The motion was adopted.

खडं 2 तथा 3, अनुसची, खंड 1 अधिनियम सुत्र और विधयेक का पूरा नाम विधयेक में जोड़े गय ।

Clause 2 and 3, the Schedule, Clausel, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय। "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

मंत्री–परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

Motion of No. Confidence in the Council of Ministers

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। सरकार न केवल पूर्णरुपेण बेईमान है अपितु लोकतंत्र विरोधी तथा प्रतिशोधी भी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण मुद्रास्फिति बहुत बढ़ गयी है।

(श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये)

(Shri Nawal Kishore Sinha in the Chair)

सरकार ने और अधिक कर लगाने की घोषणा की है जिस में पूंजीवादी वर्ग को अछूता ही रखा जायेगा।

यह दावा किया जाता है कि भारत में सरकार लोकतंत्रीय प्रणाली की है। 15वें श्रम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम मजूरी सबके लिये आवश्यकता पर आधारित होगी। मूल्यों में हुई अत्याधिक वृद्धि तथा अन्य कठिनाईयों को ध्यान में रख कर रेल कर्मचारियों ने आवश्यकता पर आधारित वेतन तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान वेतन के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया। इसका उद्देश्य यह था कि बातचीत द्वारा समझौता किया जाये। रेल कर्मचारियों के कार्याकिरण के संबंध में प्रधान मंत्री प्रशंसा तो खूब कर देती हैं, लेकिन जब उनके वेतन मान आदि में परिवर्तन की बात उठती है, तो कह दिया जाता है कि धन नहीं है। इसीलिये रेलवे में हड़ताल हुई। यह ऐतिहासिक हड़ताल 8 मई को आरम्भ हो गई और 20 लाख रेल कर्मचारी चट्टान की तरह एक हो गए। हड़ताल जारी रहती, किन्तु सरकार ने रेल कर्मचारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह जानते हुए भी कि रेलवे बन्द होने से प्रति दिन 4 करोड़ रुपये की क्षति होती है हड़ताल से 12 दिन पहले 200 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई और ऐसा यात्रियों तथा रेल कर्मचारियों पर अवांछित दबाव डालने के लिए किया गया। भारत रक्षा नियम और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत उनका दमन किया गया। विभिन्न रेलवे कालोनियों में शर्मनाक ढंग के अत्याचार किए गए। गृह मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल, और 7 अप्रैल को जारी किए गए परिपत्रों से इस बात की पुष्टि होती है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हड़ताल से कई महीने पूर्व एक गुप्त परिपत्र हड़ताल कराने वालों को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया था। संघर्ष के दौरान भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह आपका प्रजातंत्र है। 20 लाख कर्मचारियों में से 11 लाख कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाल दिया गया है। लगभग 30,000 स्थायी कर्मचारियों को या तो निकाल दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है। 10 से 15 साल तक की सेवा करने वाले लगभग 50,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। 25,000 कर्मचारियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है। अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। रेल कर्मचारी अब पुन: बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। जो बातचीत चल रही थी और जो बीच में रुक गई थी, उसे अब आरम्भ किया जाना चाहिए। अब सारी बात जनरल मैनेजरों के हाथ में छोड़ दी गई है और वह अपनी मनमानी कर रहे हैं।

सरकार ने कहा है कि बोनस पुनरीक्षण समिति बोनस के मामले पर विचार कर रही है, परन्तु प्रधान मंत्री के अनुसार धन नहीं है। यदि हम गत वर्ष की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को देखें,

तो पता चलेगा कि रेलवे ने आई० बी० एम० से 6 लाख रुपये से कम की मशीनरी खरीदी और 54 लाख रुपये किराये के रुप में दिए और एक पुर्जे के लिए जिसका मूल्य 450 रूपये है, उन्होंने बिना दर मंगाए 3500 रुपये दिए हैं। अत: धन की कमी नहीं है। निजी क्षेत्र से लाए जाने वाले कोयले के सैकड़ों वैगनों में घटिया कोयला होता है परन्तु कर्मचारियों के मामले में धन का अभाव है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश रेल कर्मचारियों को अधिक धन नहीं दे सकता। देश के धनी किसानों के उत्पादन के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बड़े बड़े अफसरों के करों में 100-120 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई है परन्तु जब कर्मचारी मांग करते हैं, तो धन की कमी होती है।

एक प्रतिवेदन, में जो सदन के सभापटल पर रखा गया था कहा गया है कि एक वर्ष में 2,41, 65,05,019 रुपये की सीमाशुल्क से छूट दी गई।

रेल मंत्री सभा को बताएं कि क्या रेलवे का वैगनों का विशेष कोटा है और उसमें से रेलवे मंत्री 1,20,000 रुपये के बदले कोयला वैगनों के दो रेक देते हैं? सदन को बताया जाए कि रेलवे बोर्ड ने गत वर्ष विशेष में विशेष कोटे से कितने रेक दिये हैं क्योंकि यह एक बहुत गंभीर विषय है।

हड़ताल के दिनों में आकाशवाणी का काम विशेषकर बहुत निन्दनीय रहा। उन्होंने सरकार द्वारा मनगढ़न्त भाषणों को उसी रुप से दोहरा दिया। सरकार को अपना यह रवैया बदल देना चाहिए। रेल हड़ताल के तुरन्त बाद रेलवे प्रशासन ने एक असामाजिक कार्यवाही की है। सरकार ने श्रमिक वर्ग के वेतन पर रोक लगाने वाला अध्यादेश जारी किया है। इस रोके हुए धन का दो वर्ष पश्चात् भुगतान से कर्मचारियों को धन की हानि होगी, क्योंकि आज उस धन का जो वास्तविक मूल्य है वह दो साल बाद निश्चित ही कम हो जाएगा और यह हानि उठानी पड़ेगी गरीब कर्मचारियों को। आप इस वेतन को रोक कर देश के 55 करोड़ व्यक्तियों का कैसा उद्धार करने जा रहे हैं। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है किन्तु वेतन उसके अनुरुप नहीं बढ़ाए गए। आप वेतन और उत्पादिता का संबंध स्थापित करना चाहते थे, आपके उस सिद्धान्त का क्या हुआ। सरकार ने केवल मुनाफाखारों और जमाखोरों को लूटमार करने की अनुमति दे रही है अपितु गेहूं, चावल, खाद, वनस्पति, डबलरोटी साबुन, सूती कपड़ा, शिशु आहार, तथा अन्य अनेक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। इसका कोई औचित्य नहीं है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने वर्ष 1971 और 1972 में क्रमश: 7,45,59,000 रुपये और 10,50,000 रुपये लाभ कमाया और इस पर भी आप उन्हें डालडा की कीमत बढ़ाने की अनुमति दे रहे हैं। मैसर्स शा वैलेस को इस वर्ष 1972 की तुलना में 99 प्रतिशत लाभ हुआ सूती वस्त्रों के मामले में बम्बई टैक्सटाइल वालों को इतना लाभ पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुआ, जितना इस वर्ष हुआ। फिर भी यह बड़ी कम्पनियां अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ा रही है। सरकार इन बड़ी कम्पनियों को हाथ नहीं लगाना चाहतीं, क्योंकि इस सरकार का अस्तित्व ही इन कम्पनियों पर निर्भर करता है।

आज वास्तविक बुराई है समानान्तर अर्थव्यवस्था की, जिससे यह सरकार बनी है। इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को चलाने वालों को हाथ तक नहीं लगाया जाता क्योंकि सरकार का अस्तित्व ही इस काले धन पर बना हुआ है। यही कारण है कि सरकार ने वांचू समिति के प्रतिवेदन पर, जिसमें 1970 में लगभग 7,000 करोड़ रुपये करेंसी का विमुद्रीकरण करने पर जोर दिया गया था, विचार नहीं किया। काले धन की सुरक्षा स्वयं प्रधान मंत्री कर रही हैं।

सरकार द्वारा बनाई गई आज सबसे बड़ी समस्या मूल्य वृद्धि की है जो कृत्रिम अभाव के कारण हुई है। 1973–74 में तो यह बहुत अधिक थी। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1973–74 में थोक भावों के आधार पर 22.7 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई जबकि 1972–73 में खुदरा भाव में 52 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई। केवल एक महीने में खुदरा स्तर पर 11 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई थी। 1971–74 के दौरान अनेक मदो में तो 300 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हुई इस वर्तमान मुद्रास्फीति से केवल बड़े किसानों, व्यापारियों, एकाधिकारवादियों, बड़े भूमि पतियों और वस्तुविक्रेताओं को ही लाभ होगा। क्योंकि ये सत्ताधारी दल के संरक्षक सन्त हैं।

अब उनका कहना है कि वह कुल धन सप्लाई में से 5 प्रतिशत धन को गतिहीन बनाएंगे। अप्रैल और जून 1974 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की 490 करोड़ रुपये की राशि की अपेक्षा धन सप्लाई में 638 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। प्रधान मंत्री का कहना है कि आज की मुख्य समस्या बढ़ती हुई कीमतें हैं। पर इस समस्या का केवल भारत द्वारा ही नहीं, अपितु विश्व के अनेक बड़े देशों को सामना करना पड़ रहा है। पर साथ ही वह यह भी कहती हैं कि विश्व से इस बात में हमारा कोई संबंध नहीं है। यह कैसा विरोधाभास है?

भारत सरकार का मुख्य ध्येय दमन है। यह एक अर्ध फासिस्ट राज्य है। गत वर्ष सरकार का केन्द्रीय पुलिस का व्यय 1950 में 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 169 करोड़ रुपया हो गया है राज्य सरकारों की पुलिस का व्यय 1946 में 13 करोड़ रुपये की तुलना में 313 करोड़ रुपये हो गया है। सीमा सुरक्षा बल की 77 बटालियनें हैं। गत दो वर्षों में उनमें अत्यधिक वृद्धि की गई है यह सब यदि क्रांति हो, तो सेना से लड़ने के लिए हैं। इसीलिये उनको पुलिस के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है। गुजरात और बिहार में कई बार हुई गोलाबारी में अनेक लोग मारे गए तथा घायल हुए।

बिहार में कालेजों, तथा विश्वविद्यालयों को दबाव डालकर खुलवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। छात्रों को पुलिस के संरक्षण में वहां भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय और कालेज पुलिस कैम्प बन गए हैं। प्रोफेसरों के बजाए छात्रों को सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पढ़ा रही है।

बिहार के लोग कठिन परिश्रम करने वाले हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार का बहुत योगदान है। किन्तु आज वह देश का सबसे निर्धन राज्य है। उसकी प्रति व्यति आय सबसे कम है। सरकार का हर कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त है। प्रधान मंत्री और श्री चव्हाण के अनुसार वह मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। मुद्रास्फीति का सामना करने का यह क्या शानदार ढंग है।

इस सदन में सच्ची बातें नहीं बताई जाती। गया में गैर सरकारी जांच आयोग ने बताया कि 30 व्यक्ति मारे गये जबकि यहां कहा गया कि 8 व्यक्तियों की जान गई।

आसाम जैसे शान्त राज्य में पुलिस ने अत्यधिक अत्याचार किए हैं। 25 जून को गोहार्थ विश्वविद्यालय के छात्रावास पर धावा बोला गया। बीमार विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़ा गया। 100 के लगभग विद्यार्थी बुरी तरह जख्मी हुए 1 सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने उन पर भयंकर अत्याचार किए।

हरियाणा में रिवासा के स्थान पर...

श्री बी० आर० शुक्ल (बाहराईच) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। माननीय सदस्य विषय की परिधि से बाहर जा रहे हैं। वह बिहार सरकार हरियाणा सरकार और अन्य राज्य सरकारों को इस में घसीट रहे हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अगर रिवासा जाओ और किसी भी आदमी से जिसका ताल्लुक राजनीति से जरा भी नहीं है, पूछो तो वह भी आपको पुलिस अत्याचारों के बारे में बताएगा। उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 85 वर्षीय एक औरत को मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसके पोता का मुख्य मंत्री के बेटे से राजनीतिक मतभेद था। एक भाई और बहन को पुलिस स्टेशन में नंगा करके पीटा गया।

देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैल हुआ है। मंत्रियों के विरुद्ध यदि वरिष्ठ नताओं द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो उनकी रिपोर्ट को गुप्त रखा जाता है या उनकी भर्त्सना कर दी जाती है। किसी भी अवस्था मे उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती।

आप मुख्य मंत्री, श्री बंसीलाल का मामला लीजिए। उनके विरुद्ध 125 संसद सदस्यों ने आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन दिया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने हरियाणा को एक विशेष लेखा परीक्षक दल भेजा है और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। किन्तु सरकार उस दस्तावेज पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रतिवेदन को मैं सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। लेखा पक्षीषा प्रतिवेदन में आवश्यकताओं के आक्कलन के लिए समुचित प्रणाली न होना, क्रयादेशों को पेश करने में त्रुटियां, अधीक्षण की दोषपर्ण प्रणाली, क्रय में अतिरिक्त व्यय और सूची नियंत्रक की अपचरिप्त प्रणाली तथा इसी प्रकार की अन्य कमियों का उल्लेख है। यह बहुत लम्बा चौड़ा प्रतिवेदन है। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसका विस्तार में उल्लेख कर सकूं। मैं इसे सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। *क्योंकि सरकार कभी इसे यहां नहीं लाएगी। केन्द्रीय सरकार बंसीलाल की सरकार को बचाना चाहती है और यही कारण है कि इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

***अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्य अनुमति प्रदान किए जाने के कारण कागजात / दस्तावज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।**

The speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper/Document was not treated as paper laid on the Table.

श्री नगद नारायण ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि वह जांच आयोग के समक्ष आने के लिए तैयार हैं। पर बाद में उन्होंने एक हलफनामें में कहा कि वह जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं। इस जांच की तैयारी काफी समय से हो रही है। जब तक वह दिए गए कोटे को पुरा करते हैं, तब तक वह बचे हुए हैं। यही वजह है कि गुजरात के मुख्य मंत्री को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि यदि उन्हें कुछ कहा गया, तो वह सब को बता देंगे कि उन्होंने दिल्ली में क्या भेजा है...... (व्यवधान)...

30,000 टन धान की तस्करी की गई है। चूंकि कुछ महत्वपुर्ण व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः इसकी कोई जांच नहीं की गई। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री एक स्पष्ट वक्तव्य दें कि इसमें कौन-कौन शामिल हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

अब सरकार विदेशी गेहूं, अशोधित तेल, समुद्री तथा हवाई जहाज की खरीद में कटौती कर रही हैं।

क्या वह अस्वीकार कर सकती है कि कार के मूल्य में 4,000 रुपये वृद्धि करने पर उन्हें एक करोड़ रुपये दिये गये ? पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा के पटसन उत्पादकों का अहित करके पटसन उद्योन ने 2 करोड़ रुपये प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय को दिए।

यार्न घोटाले की जांच करने के लिए जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

गत वर्ष लखनऊ में प्रधान मंत्री ने "मारुती" के बारे में जांच करवाने का आवश्वासन दिया था परन्तु अब वह कहती हैं कि इस विषय में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद वह जानती हैं कि यदि सच सामने आ गया तो वह एक दिन भी पद पर नहीं रह सकेंगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्हें के० के० बिड़ला से 50 लाख रुपये मिले हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करना एक परम्परा बन कर रह गई है, इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं। श्री ज्योतिर्मय बसु का दल हिंसात्मक कार्यों में लगा हुआ है। खड़गपुर वर्कशाप में महिला कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नंगा करके उनकी परेड करवाई गई। सरकार को इस शर्मनाक घटना की जांच करवानी चाहिए। और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मार्क्सवादी दल ने रेलवे कर्मचारियों को गुमराह करके उन्हें हड़ताल करने के लिए कहा और आज जब सरकार ने हड़ताल करनें वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है, तो इनका कहना है कि सरकार कर्मचारियों को तंग कर रही है। नेशनल फेडरेशन आफ रैलवे मैन ने इस विषय पर चर्चा की और सरकार को तथा प्रधानमंत्री को अपील की कि गुमराह किए गए व्यक्तियों पर नरमी बरती जाये। हमारे अनुरोध के परिणाम स्वरुप प्रधान मंत्री ने 60,000 रेलवे कर्मचारियों के सेवा व्यवधान को समाप्त कर दिया तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों के सेवा व्यवधानों को समाप्त करने के बारे में भी जांच की जा रही है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति बफादार रहे उन्हें नौकरी पर वापिस ले लिया जाएगा और 5,000 से अधिक कर्मचारी नौकरी पर वापिस ले लिए गए हैं।

सरकार ने अनिवार्य जमा योजना शुरु करके आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर महत्वपुर्ण कदम उठाया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने केवल मनगढ़न्त बातें बताई हैं, कोई ठोस सुझाव नहीं दिया । प्रतिपक्ष का यह कर्तव्य है कि वह स्थिति को सुधारने के बारे में सुझाव दे ।

अविश्वास प्रस्ताव पेश करना एक परम्परा बन गई है । यह प्रस्ताव या तो सत्र के आरम्भ में अथवा सत्र के अन्त में पेश किया जाता है । इसके द्वारा वह देश में यह धारणा उत्पन्न करना चाहते हैं कि देश की हालत बहुत खराब है । मार्क्सवादी केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि सदन इस प्रस्ताव को रद्द कर दे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री ए० पी० शर्मा पुरानी बातें कर रहे हैं । आज उनका कोई महत्व नहीं है ।

(श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए)

Shri Dinesh Chander Goswami in the Chair

हम यह अनुभव करते हैं कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां तथा की गई कार्यवाही निन्दनीय है ! इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें चाहे हमें उन लोगों का समर्थन क्यों न प्राप्त करना पड़े जिसके साथ हमारा मौलिक विचारधारा मेल नहीं खाती । मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है सरकार अपने आश्वासनों से फिर रही है ।

जहां तक खड़गपुर घटना का सम्बन्ध है, हड़ताल समाप्त कर दी गई थी और लोगों ने काम करना शुरु कर दिया था । जिस दिन हड़ताल हुई थी, उस दिन 14,000 कर्मचारियों में से 13000 कर्मचारी हड़ताल पर थे । इसलिए इस मामले में ऐसी कोई शर्मनाक बात नहीं हुई जिसके लिए हमें सिर झुकाना पड़े । यह बात सच नहीं है कि महिला कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों क कपड़े उतारकर उनकी परेड करवाई गई ।

कलकत्ता में लाल बाजार स्थित जेल में 22–23 वर्ष की नक्सलवादी लड़कियों को नंगा किय गया और उनके हाथ बांधकर जलती सिगरेट उनके बदन से छुआई गई । मैंने प्रधानमंत्री को इस शर्मनाक घटना के बारे में पत्र भी लिखा था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में कहा गया था कि हड़ताल में भाग लेने पर किसी को तंग नहीं किया जाएगा और न ही कोई सज़ा दी जाएगी । केवल उन्हीं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करने के आरोप हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार द्वारा जो आश्वासन दिये गये थे, उनका उल्लंघन किया जा रहा है । मंत्री महोदय द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 6 लाख कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाल दिया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि ये लोग हड़ताल पर होंगे । परन्तु प्रश्न यह है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसके विरुद्ध तोड़ फोड़ या

रेल माल की हानि आदि के आरोप है । इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं, उनका दोष केवल इतना ही है कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया । अगर यही करना था तो फिर आवश्वासन देने की आश्यकता ही क्या थी ?

रेलवे विभाग के डिवीजनल सुप्रिन्टेन्डेन्ट आज कल सच्चे अर्थों में नौकरशाह बने हुये हैं । उन्हें ऐसे कर्मचारियों के दोषों आदि की जांच कर उन्हें फिर से बहाल करने का कार्य सौंपा गया है । वह अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से कर रहे हैं । जिन लोगों के विरुद्ध उन्हें शिकायत थी, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उनसे बदला लेने का उन्हें अवसर मिल गया है तथा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं । यही कारण है कि आज हड़ताल समाप्त होने के दो महीनों के बाद भी अनेक ऐसे कर्मचारियों को जिन पर केवल हड़ताल में भाग लेने का दोष है, बहाल नहीं किया गया है । क्या मंत्री महोदय इससे इन्कार कर सकते हैं ।

रेलवे में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की परिभाषा भी अन्य कार्यालयों से भिन्न है । अनेक स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है । उनसे कहा गया है कि यदि वे फिर से नौकरी में आना चाहते हैं तो उन्हें फिर से अपने आप को 3 या 3.50 या 4 रुपये प्रतिदिन की मजूरी की दर पर नैमित्तिक श्रमिक के रुप में कार्य आरम्भ करना पड़ेगा । मैं अपने संघ की ओर से अनेक बार रेलवे अधिकारियों से मिलता रहता हूं और वे अक्सर मजाक में यह बात कह देते हैं कि जिन लोगों से हम पीछा छुड़वाना चाहते थे, उसके लिए हमें अच्छा अवसर मिल गया है ।

मनुभाई न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार किसी कर्मचारी को दो या तीन महीने की नौकरी पूरी करने पर स्थायी बना दिया जाता है । परन्तु आज स्थिति पूर्णतया इसके विपरीत है । जिन लोगों ने 5 या 10 या 15 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, उन्हें नौकरी से अलग किया जा रहा है । जिन्हें हड़ताल के दौरान मअत्तल किया गया था । उन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है । जिन लोगों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाया गया था, उन्हें भी अभी तक रिहा नहीं किया गया है । पश्चिम बंगाल में लोग अभी भी बंदी बने हुये ह । जिन 6 लाख कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाला गया था, उनमें से 60,000 कर्मचारियों के मामले में उसे माफ़ कर दिया गया है परन्तु अन्य 5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा ? जिन लोगों को क्वाटरों से निकाल दिया गया था, उन्हें हड़ताल समाप्त होने पर अभी तक क्वाटर नहीं दिये गये ह । परन्तु लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया । क्या यह दमनकारी प्रवृत्ति नहीं है ?

मुझे पता चला है कि पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने कहीं कहा है कि कर्मचारियों की कुछ अपील आई हुई हैं जिन पर पुनर्विचार करना है परन्तु बहुत सी अपीलों के बारे में कहा गया है कि वे "समान पाठ वाली साइक्लोस्टाइल्ड" अपीलें हैं और रेलवे स्रोतों के अनुसार इन्हें कुछ संगठनों द्वारा तैयार किया गया है । यदि कार्मिक संघों ने उन्हें तैयार किया है तो इसमें क्या बुराई है ?

अनेक स्थानों पर रेल कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं उन्हें बहाल नहीं किया गया है । नर्कहाती और कंचरापाड़ा में दो कर्मचारियों ने इसलिये आत्म हत्या कर ली कि उन्हें दिये गए आश्वासन पूरे नहीं किये जा रहे हैं । इस प्रकार सामान्य स्थिति नहीं लाई जा सकती ।

विभिन्न कार्मिक संघों के पदाधिकारियों को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उस मामले में कार्मिक संघों को मान्यता क्यों दी जाती है। यदि रेल मंत्री ने स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड या अफसरों पर डाली तो मुझे आशंका है कि स्थिति बद से बदतर हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री यह सुनिश्चित करेंगी कि जो आश्वासन दिये गए हैं उन्हें शीघ्र और ईमानदारी से पूरा किया जाये।

मैं इस प्रस्ताव का जिस दूसरी बात के लिये समर्थन कर रहा हूं वह है अध्यादेश द्वारा शासन करने की आदत। आपको यह देखना है कि अध्यादेश जारी करने की सीमा कितनी बढ़ गई है। मैं जिस राज्य से आया हूं उसके लिये विभिन्न मंत्रियों के विरुद्ध भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये वांचू आयोग गठित किया गया है या करने का विचार है।

मुख्य मंत्री ने यह आग्रह किया कि जांच अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन किया जाये ताकि विद्यमान शक्तियों के अतिरिक्त आयोग को शक्ति मिले जिससे वह उस साक्ष्य पर सरकारी तौर पर मुकदमा चला कर दंड दे सके जो आयोग के समक्ष झूठी गवाही देता है। इस अधिनियम में संशोधन किया गया। जिस पर भारत सरकार ने अनुमति दे दी।

सरकार की अध्यादेश जारी करने की झक हो गई है। यदि जांच अधिनियम के उपबन्धों में संशोथन करना है तो संसद में संशोधन किया जायेगा। अन्यथा संसद का मान कहाँ रहा ?

इसके अतिरिक्त एक और भी अध्यादेश लाया गया है। इसके बारे में मेरे मित्र कह रहे हैं कि इससे वेतन पर रोक नहीं लगेगी परन्तु मैं कहता हूं कि इससे वेतन पर रोक लगेगी। ब्रिटेन और अमरीका की सरकारों ने भी इसकी अजमाइश की है.......

इससे मुद्रा स्फीति कम नहीं होगी। इसका कारण यह है कि यह दोषयुक्त सिद्धान्त है। हमारे समाज में श्रमिकों के वेतन से मूल्यों का मौलिक निर्धारण नहीं होता है अपितु उनका निर्धारण उद्योग के बड़े बड़े क्षेत्रों में पूंजीपतियों के प्रभुत्व से होता है जो मानवीय अभाव उत्पन्न करके अत्याधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से मूल्य निर्धारित करते हैं। मुद्रा स्फीति से पूंजीपतियों को सबसे अधिक लाभ होता है।

मुद्रा-स्फीति के मूल कारण काले धन के जमा होने और भारतीय रिजर्व बैंक, जो देश में मुद्रा-स्फीति का मूलस्रोत है, हैं। सरकार रिजर्व बैंक से क्या कर रही है। क्या यह समय-समय पर अपनी बैंक दरों में वृद्धि की घोषणा करने के लिये ही हैं और क्या इससे समस्या का समाधान हो जायेगा ? सट्टे बाजों, जमाखोरों और आवश्यक वस्तुएं छिपा कर रखने वालों की घाटे की अर्थव्यवस्था को दूर करनेहेतु इसकी पुरानी ऋण देने सम्बन्धी नीति है। इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मेरा कहना है कि यह अध्यादेश तो एक ढंकोसला मात्र है। 3,000 के लगभग कम्पनियों में से 200 से अधिक कम्पनियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंशधारियों में लाभांश के रुप में जो धन वितरित किया गया है वह उनके पास रहेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कपनियों के हाथ में जो अतिरिक्त धन आयेगा उसे उत्पादन-कार्य में लागया जायेगा।

यह अध्यादेश के 180 लाख वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध लाया गया है और इसका प्रभाव भी 15 दिसम्बर, से पहले नहीं होने वाला है। यह संसद का अपमान है कि संसद की बैठक होने से थोड़े समय पुर्व ही इसे जारी किया गया है।

इन कारणों से हम इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): This no-confidence motion has been brought forward for two reasons viz., victimisation of railway employees and secondly the promulgation of ordinance meant for curbing price rise

The railway employees had put forward six demands. The Government accepted four demands for which it had to incur expenditure of Rs. 190 crores. The railway employees were given 40 per cent increase in their pay in one year. Inspite of this, the railway employees went on strike because they demanded bonus and an **ad hoc** increase of 75 per cent in their pay.

The railway employees wanted to shatter the economy of the country by stopping the work. of steel plants, power houses and the movement of foodgrains The Prime Minister had done the right thing before going abroad. Had she not done that, she would have failed in her duty towards the country. It is true that the difficulties of the country have increased after the railway strike. The opposition is blaming the Government for price rise. These are the very people responsible for price rise because they incited the railway employees to go on strike and the strike resulted in price rise.

Those who resorted to violence and brought harm to the economy are being punished. There is no ground for a no-confidence motion against the Government.

Now, I come to the bonus issue. Bonus is not a deferred wage. It is necessary to link bonus with production. An income wage policy should be framed.

The second ground for no-confidence motion is the promulgation of recent ordinances.

Shri Jyotirmoy Basu has given statistics to show price-rise. When prices shot up, the Prime Minister considered it necessary to promulgate ordinance to curb price rise and inflation, This ordinance does not indicate any wage freeze.

The Government issued an ordinance in June, 1974 in order to make punitive provision of the Essential commodities Act more stringent. This Ordinance is aimed at compulsory deposits.

This no confidence motion is preposterous, wrong and baseless. I oppose this motion.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। रेल हड़ताल दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का विषय बन गई है। 8 मई को हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी और उस चर्चा का विषय भी अधिकतर रेल हड़ताल ही थी जो 8 मई से आरम्भ हुई थी। पुन: डेढ़ महीने पश्चात् विरोधी पक्ष एक और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है।

विरोधी पक्ष ने दो बातें उठाई है। एक, सरकार ने रेल हड़ताल को किस ढंग से निपटाया और दूसरे, सरकार मुद्रा-स्फीति के भय का सामना करने के लिये क्या उपाय कर रही है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार में अपने विश्वास को दोहराता हूं। जिस ढंग से सरकार ने रेल हड़ताल से उत्पन्न स्थिति का सामना किया और जिस ढंग से सरकार देश के वर्तमान आर्थिक संकट का सामना करने के लिये दृढ़ कदम उठा रही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस पक्ष औंर विरोधी पक्ष के बीच मूल मतभेद हैं। हम चाहते हैं कि कार्मिक संघ श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये न उकसायें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

44वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 24 जुलाई, 1974/2 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, July 24, 1974/Sravana 2, 1896 (Saka).

M/P(D)1LSS– 490—1-11-74 – GIP